



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

नियन्त्रणमुक्त फॉस्फेट और पोटेशियुक्त उर्वरकों के लिए
पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति
पर

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



संघ सरकार
(उर्वरक विभाग)
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
2015 की प्रतिवेदन संख्या 16
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

fo"k; / yph

		i" B f; k
	प्राक्कथन	i
	कार्यकारी सार	iii
v/; k; 1	i Lrkouk	
1-1	पृष्ठभूमि	1
1-2	पीएण्डके उर्वरकों की किस्में	1
1-3	पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति	2
1-4	एनबीएस नीति के अन्तर्गत दी गई राजसहायता के प्रकार	3
1-5	उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस)	5
1-6	राजसहायता भुगतान	5
v/; k; 2	ys[kki jh{k nk n"Vdks k , oa i wbrh'z ys[kki jh{k tkp ifj .kke	
2-1	लेखापरीक्षा उद्देश्य	7
2-2	लेखापरीक्षा मापदण्ड	7
2-3	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र विस्तार	7
2-4	लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली	8
2-5	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा जाँच परिणाम	8
v/; k; 3	, uch, l uhfr ds m'is ; ka dh i kflr	
3-1	एनबीएस नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देशों का न होना	11
3-2	पोषक तत्वों का असंतुलित उपयोग	12
3-3	उत्पादन में कमी	13
3-4	एनबीएस नीति के अन्तर्गत आयातित एवं स्वदेशी उर्वरकों पर राजसहायता	16
3-5	गुणवत्ता नियंत्रण	17
v/; k; 4	Mhvks Q }kjk uhfr dk dk; k'lo; u	
4-1	राजसहायता का परिहार्य भुगतान	19
4-2	लम्बित प्रोफार्मा 'बी'	22
4-3	एसएसपी के लिए एकमुश्त मालभाड़ा राजसहायता पर ₹25.74 करोड़ का अधिक भुगतान	23
4-4	पीएण्डके उत्पादक कम्पनियों द्वारा सस्ती घरेलू/एपीएम (प्रशासनिक मूल्यांकन तंत्र) गैसों के प्रयोग के कारण हुए लाभ की वसूली नहीं करना	26
4-5	नियन्त्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में मासिक आपूर्ति योजना (एमएसपी)	28
4-6	आवश्यकता से अधिक डीएपी का आयात करने के कारण राजसहायता का अनुचित भुगतान	30
4-7	मार्च 2012 के दौरान आवश्यकता का आंकलन किए बिना एसएसपी की बिक्री	33
v/; k; 5	dEi fu; ka }kjk uhfr dk dk; k'lo; u	
5-1	उर्वरक कंपनियों द्वारा निर्धारित एमआरपी के मुद्दे	37

v/; k; 6	fu"d"kl , oa vuq kd k, a	
6-1	निष्कर्ष	43
6-2	अनुशांसारं	44
	<i>vuqkud</i>	ए-1 से ए-16
	<i>'klnkoyh</i>	बी-1
	<i>l fklrkklj</i>	सी-1 से सी-2

i kDdFku

भारत के नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखे जाने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 2010—11 से 2013—14 की अवधि के चार वर्षों के लिए “नियंत्रणमुक्त फॉस्फेट और पोटेशियुक्त उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति” पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम अन्तर्विष्ट हैं।

अप्रैल 2010 में, उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने तत्कालीन “रियायत योजना” को असफल कर देने वाली समस्याओं के निवारण के उद्देश्य से नियन्त्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति का प्रारम्भ किया।

भारतीय अर्थव्यवस्था में उर्वरक उद्योग के महत्व, निरंतर बढ़ता राजसहायता बिल और पूर्ववर्ती योजना पर विपरीत प्रभाव डालने वाली समस्याओं के निवारण के दृष्टिकोण से, एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन ने इसे एक महत्वपूर्ण योजना बना दिया। निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की गई थी कि योजना के उद्देश्य प्राप्त हो गये थे।

कार्यकारी सार

1- iLrkouk

भारत सरकार ने वर्ष 1992 में नियंत्रणमुक्त फॉस्फेट और पोटेशियुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए एक रियायत योजना प्रारम्भ की जो कि 31 मार्च 2010 तक जारी रही। रियायत योजना का मूल उद्देश्य किसानों को वहनीय मूल्य पर पीएण्डके उर्वरक उपलब्ध करवाना था। भारत सरकार द्वारा पीएण्डके उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) वास्तविक मूल्य से नीचे के स्तर पर निर्धारित किया गया था तथा वास्तविक मूल्य और एमआरपी के मध्य के अन्तर की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा उत्पादकों/आयातकों को राजसहायता के रूप में की जाती थी।

उर्वरक विभाग (डीओएफ) ने कृषि उत्पादकता में सुधार, उर्वरकों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने, स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने और राजसहायता के बोझ को कम करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2010 से एक नई योजना अर्थात् 'पोषक तत्व आधारित राजसहायता' (एनबीएस) अधिसूचित की। एनबीएस नीति के अन्तर्गत, पीएण्डके उर्वरकों के एमआरपी को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है और उत्पादकों/आयातकों/विपणनकर्ताओं को पीएण्डके उर्वरकों के लिए उचित स्तर पर एमआरपी निर्धारित करने की छूट दी गई है। राजसहायता का निर्धारण उर्वरकों में अंतर्विष्ट पोषक तत्वों जैसे कि 'एन' (नाइट्रोजन), 'पी' (फॉस्फेट), 'के' (पोटेशियम) और 'एस' (सल्फर) के आधार पर होता है। प्रत्येक पोषक तत्व पर किए जाने वाले एनबीएस के भुगतान का निर्धारण भारत सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है।

राज्य सरकारें उर्वरकों की अपनी आवश्यकताएँ कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) को सूचित करती हैं, जिसकी सूचना डीओएफ को दी जाती है ताकि राज्यों को आपूर्ति व्यवस्था उर्वरक कम्पनियों द्वारा की जाए। डीओएफ द्वारा उर्वरकों के आवागमन और वितरण की निगरानी ऑनलाइन वैब आधारित उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) के माध्यम से की जाती है।

2- e[; ys[kki jh{kk tkp ifj.kke

, uch, l uhfr ds ml's ; ka dh i kflr

- डीओएफ के रिकार्ड से निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, एनबीएस नीति के कार्यान्वयन से संबंधित एक स्पष्ट दिशानिर्देश या समयसीमा या निगरानी तंत्र के विद्यमान होने के कोई प्रमाण नहीं मिले।

(पैरा 3.1)

- एनपीके पोषक तत्वों के प्रयोग का वरीयता अनुपात 4:2:1 है। 'एन', जोकि 2009-10 में 4.3 था, 2012-13 में बढ़कर 8.2 हो गया क्योंकि किसानों ने, पीएण्डके उर्वरकों की तुलना में सस्ता होने के कारण यूरिया को वरीयता दी, जिसमें 'एन' अंतर्विष्ट था। ऐसे प्रयोग से मृदा की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस प्रकार, एनबीएस नीति ने संतुलित उर्वरण को प्रोत्साहन नहीं दिया।

(पैरा 3.2)

- स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास के एनबीएस नीति के निर्धारित उद्देश्य के बावजूद, स्वदेशी उर्वरक उद्योग द्वारा पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादन में गिरावट आई।

(पैरा 3.3)

- देश में स्थित 78 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं (एफक्यूसीएल) के उपयोग के गंभीर पुनरीक्षण की आवश्यकता थी क्योंकि कुछ एफक्यूसीएल का क्षमता से बहुत अधिक उपयोग हुआ जबकि कुछ का क्षमता से बहुत कम।

(पैरा 3.5)

Mhvks, Q }kjk uhr dk dk; kJlo; u

- नवम्बर 2010 में 2011-12 के लिए डीएपी के लिए राजसहायता के निर्धारण के लिए विचारित बेंचमार्क दर प्रचलित आयात/प्राप्ति दरों की अपेक्षा कम थी, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक कंपनियों के साथ कोई भी उर्वरक कंपनी संविदओं को अंतिम रूप नहीं दे सकी। डीएपी के लिए लैंडेड कीमत बढ़ गई और अंत में मई 2011 में बेंचमार्क मूल्य को यूएस\$ 612 प्रति मीट्रिक टन (पीएमटी) पर निर्धारित किया गया जो कि नवम्बर 2010 में निर्धारित की गई बेंचमार्क दर से 35 प्रतिशत अधिक था। नवम्बर 2010 में एक तार्किक स्तर पर बेंचमार्क मूल्य निर्धारित न करने से, भारत सरकार ने ₹5555 करोड़ की राजसहायता बचाने का अवसर खो दिया। डीओएफ द्वारा बेंचमार्क मूल्य का तर्कसंगत स्तर पर निर्धारण सुनिश्चित किया जाए जिससे उर्वरक कंपनियों समय से अंतर्राष्ट्रीय पूर्तिकारों के साथ संविदओं को अन्तिम रूप दे सकें।

(पैरा 4.1)

- प्रोफार्मा 'बी', राज्य सरकार द्वारा एम-एफएमएस में उपलब्ध करायी गई सूचना के साथ उर्वरक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए उर्वरकों की मात्रा व गुणवत्ता संबन्धित सूचना के पुर्न-सत्यापन के लिए समन्वय का एक मूलभूत साधन थे जोकि बड़ी संख्या में लम्बित थे। पीएण्डके उर्वरकों के संदर्भ में 31 अक्टूबर 2014 तक 2007-08 से 2013-14 की अवधि से संबंधित 4112 प्रोफार्मा 'बी' लंबित थे। इनमें से, 3899 उस काल से संबंधित थे जब एनबीएस नीति लागू थी। इसलिए, डीओएफ द्वारा विलम्बन के निपटान के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है।

(पैरा 4.2)

- अन्तर मंत्रालयी समिति (नवम्बर 2010) की अनुशंसा पर, सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) पर राजसहायता ₹104 पीएमटी घटा दी गई चूँकि द्वितीयक मालभाड़ा अंश वापिस ले लिया गया एवं इस वापसी के लिए ₹200 पीएमटी का एकमुश्त भाड़ा क्षतिपूर्ति के रूप में स्वीकृत कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप डीओएफ पर ₹25.74 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।

(पैरा 4.3)

- मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन हेतु आयातित अमोनिया के प्रयोग की अपेक्षा अमोनिया (घरेलू/एपीएम गैस का प्रयोग कर) के उत्पादन की लागत सस्ती थी। अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (ईजीओएम) ने (फरवरी 2012) डीओएफ को उन पीएण्डके उत्पादक उर्वरक कंपनियों से वसूली को प्रभावी बनाने के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया जिन्हें घरेलू गैस का उपयोग करते हुए अनुचित लाभ प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त, रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री ने (नवम्बर 2013) निर्देश दिया कि दिशानिर्देशों के अन्तिम रूप के लम्बित

रहने तक डीओएफ को 'तदर्थ' वसूली प्रारंभ करनी चाहिए और तदनुसार, जनवरी 2014 में डीओएफ ने इसे अधिसूचित किया। हालाँकि, ईजीओएम द्वारा निर्देश के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी डीओएफ ने न तो उर्वरक कंपनियों से इस प्रकार की वसूली को प्रभावी बनाने के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया और न ही इस संदर्भ में तदर्थ वसूलियों की। पीएण्डके उर्वरकों के साथ ही यूरिया के उत्पादन के लिए अमोनिया के उपयोग संबंधी आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण इस गैर वसूली का वित्तीय आंकलन लेखापरीक्षा नहीं कर पाया।

(पैरा 4.4)

- उर्वरक कंपनियों के साथ-साथ राज्यों को जारी किए जाने वाले नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में, मासिक आपूर्ति योजना (एमएसपी) आवश्यकताओं के वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित नहीं थी। कंपनियों द्वारा वास्तविक रूप से आपूर्ति की जाने वाली मात्रा एमएसपी में उल्लिखित मात्रा से बिना कोई मिलान किए ही नियमित की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, एसएसपी के लिए कोई एमएसपी नहीं बनाया जा रहा था।

(पैरा 4.5 एवं 4.7)

- डीओएफ ने (8 फरवरी 2012) निर्णय लिया कि यूरिया के अलावा फरवरी 2012 और मार्च 2012 में आने वाले डीएपी (एमएपी/टीएसपी/डीएपी लाईट), एनपीके (सभी ग्रेड) एवं एमओपी उर्वरकों को अगला आदेश आने तक पत्तनों से किसी भी राज्य को नहीं भेजा जाएगा। तथापि, डीओएफ ने (28 फरवरी 2012) इस तथ्य के बावजूद निर्णय को बदल दिया कि स्वदेशी उत्पादन और पिछले माह से अग्रणीत स्टॉक द्वारा माह की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता था। जैसे कि आईएमसी द्वारा 2012-13 के लिए डीएपी के लिए एनबीएस दर (7 फरवरी 2012) में भारी कमी की अनुशंसा की गई थी, डीओएफ द्वारा आयातित डीएपी की आपूर्ति को पुनः प्रारम्भ करने के निर्णय ने उर्वरक कंपनियों को जिला स्तर पर आयातित डीएपी को जारी करने और 2011-12 की उँची दरों पर राजसहायता का दावा करने में समर्थ बना दिया। परिणामस्वरूप, कोई तात्कालिक आवश्यकता न होने के बावजूद, आयातित उर्वरकों की अतिरिक्त मात्रा पर डीओएफ को ₹653 करोड़ का परिहार्य भार उठाना पड़ा।

(पैरा 4.6)

moʃ d dā fu; kə }kjk , uch, l uhfr dk dk; kʃo; u

डीओएफ ने उर्वरक कंपनियों द्वारा निर्धारित की गई एमआरपी की तार्किकता के मूल्यांकन और उसे लागू करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए थे, लेखापरीक्षा ने एमआरपी में लागत के अनुचित घटकों को जोड़ने के निम्नलिखित उदाहरणों को पाया:

- 23 सितंबर 2011 से 30 मई 2012 के दौरान इफको ने 'उर्वरक बाँड के विक्रय पर हानि' के रूप में ₹142 पीएमटी को डीएपी (आयातित) की एमआरपी को निर्धारित करने के लिए लागत के घटक के रूप में जोड़ दिया। इसको जोड़ने का वित्तीय प्रभाव ₹9.89 करोड़ था।

(पैरा 5.1.1.1)

- डीओएफ द्वारा इफको से, 1 अप्रैल 2011 तक, ₹4.41 लाख की राशि के बराबर बढ़ी हुई राजसहायता को आयातित डीएपी के प्रारंभिक स्टॉक पर वसूल किया गया जिसके बदले में, ₹40 पीएमटी को 'राजसहायता की वापसी पर हानि' के रूप में आयातित डीएपी के एमआरपी

के निर्धारण के लिए लागत घटक के रूप में सम्मिलित कर लिया। इससे कम्पनी को ₹2.59 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

(पैरा 5.1.1.2)

- वर्ष 2010–11 के लिए राजसहायता के निर्धारण के लिए कुछ कम्पनियों की डीएपी की क्रय लागत डीओएफ द्वारा विचारित यूएस\$ 500 पीएमटी की बेंचमार्क कीमत से कम थी। एमआरपी की गणना हेतु इस प्रकार के उत्पादों के लिए किसी भी लागत शीट के अभाव में और डीओएफ में अलग से कोई सत्यापन तंत्र न होने से, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि इस प्रकार के कम लागत के क्रय के लाभ को एमआरपी में कमी के द्वारा किसानों को हस्तांतरित किया गया या नहीं।

(पैरा 5.1.2)

- 1 जनवरी 2011 से 'एक समान मालभाड़े' के समान द्वितीयक मालभाड़े के भुगतान के लिए एनबीएस नीति में आंशिक संशोधन होने के परिणामस्वरूप डीएपी के मामले में ₹300 पीएमटी तक सन्निहित मालभाड़ा राजसहायता को हटा लिया गया। हालाँकि यह पाया गया कि कथित अधिसूचना के बाद, डीएपी के लिए चंबल उर्वरक और रसायन लिमिटेड (सीएफसीएल) इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) और इफको ने अपनी एमआरपी को ₹800 पीएमटी तक बढ़ा दिया। यद्यपि इफको और आईपीएल द्वारा एमआरपी को इस प्रकार से बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट कारण उपलब्ध नहीं थे, सीएफसीएल ने सन्निहित द्वितीयक मालभाड़ा राजसहायता को हटाने के कारण का उल्लेख किया।

(पैरा 5.1.3.1)

वृद्धि का, a

कुछ प्रमुख अनुशंसाएं नीचे दी गयी हैं:

- नीति के प्रत्येक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सुपरिभाषित दिशानिर्देशों, जो कि अन्य बातों के साथ-साथ इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परिमाण निर्धारित करने योग्य सुपुर्दगियों और विशिष्ट समयसीमा को इंगित करते हों, को निर्धारित करने की आवश्यकता है।

(अनुशंसा 1 – अध्याय 3)

- डीओएफ यूरिया की कीमतों के आलोचनात्मक पुनरीक्षण सहित उचित रूप से समन्वित विशिष्ट उपायों को रखे तथा प्रचार की एक समर्पित योजना के द्वारा उर्वरक के संतुलित उपयोग के लाभों को किसानों तक पहुँचाए।

(अनुशंसा 2 – अध्याय 3)

- डीओएफ वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पहले बेंचमार्क मूल्य के निर्धारण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के प्रभाव या गति का ध्यान रखे जो उर्वरक कम्पनियों को अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता के साथ समय पर आवश्यकतानुसार प्राप्ति के लिये संविदा करने में सक्षम बना सके।

(अनुशंसा 5 – अध्याय 4)

- डीओएफ एक तंत्र की स्थापना करे जो यह सुनिश्चित करे कि डीएसी द्वारा अनुमानित माह-वार तथा राज्य-वार उर्वरकों की मांग के आधार पर उर्वरकों की आवश्यकता का अग्रिम आंकलन हो पाए तथा उर्वरकों की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति की व्यवस्था का समन्वय करे। एसएसपी के लिए एमएसपी होने की आवश्यकता और उसके लिए रूप रेखाओं को डीएसी के निकट सहयोग से डीओएफ द्वारा निश्चित किया जाना चाहिए।

(अनुशंसा 7 एवं 8 – अध्याय 4)

- चूँकि एनबीएस योजना ने एमआरपी को उर्वरक कम्पनियों द्वारा एक तर्कसंगत स्तर पर निर्धारित करने के लिए नियंत्रणमुक्त किया था, इसलिए डीओएफ उठाए गए कदमों की पर्याप्तता का यह सुनिश्चित करने के लिए गहनता से पुनरीक्षण करना चाहिए कि कम्पनियों द्वारा मूल्य वास्तव में एक तर्कसंगत स्तर पर निर्धारित किया गया है इसलिए डीओएफ द्वारा पहले ही से नियुक्त की गई फर्मों को निर्देश दिया जाए कि वे अपने प्रतिवेदनों को समय पर प्रस्तुत करें ताकि अपने मूल्यों पर विसंगत लागत घटकों को शामिल करने वाली उर्वरक कम्पनियों के विरुद्ध डीओएफ कार्यवाही कर सके। इसके अतिरिक्त, डीओएफ अप्रैल 2010 से आगे 2012-13 से परीक्षित लागत आँकड़ों की बजाए एनबीएस नीति के प्रारम्भ की तिथि से उर्वरक कम्पनियों के लागत आँकड़ों को सत्यापित करने पर विचार करे।

(अनुशंसा 9 – अध्याय 5)

v/; k; 1 & iLrkouk

1-1 i "Bhkfe

भारत सरकार ने 25 अगस्त 1992 से फॉस्फेट (पी) और पोटाश (के) युक्त उर्वरकों को नियंत्रणमुक्त किया। नियंत्रणमुक्त होने के पश्चात्, इन उर्वरकों के मूल्यों में यूरिया की तुलना में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई जिसके परिणामस्वरूप पीएण्डके उर्वरकों की मांग और खपत में गिरावट दर्ज हुई। इससे, मृदा में पोषक तत्वों नाइट्रोजन (एन), 'पी' और 'के' के प्रयोग में असंतुलन का खतरा उत्पन्न हो गया जिसका कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव होता।

नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने एवं एनपीके पोषक तत्वों के संतुलित प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए, भारत सरकार ने (अक्टूबर 1992) नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों के लिए एक 'रियायत योजना' प्रारम्भ की। यह योजना, जो कि तदर्थ आधार पर प्रारम्भ की गई थी, में डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), मुरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी) और एनपीके मिश्रित उर्वरकों के 11 ग्रेड सम्मिलित थे। बाद में, 1993-94 के दौरान इस योजना में सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) को सम्मिलित किया गया। पीएण्डके उर्वरकों के लिए रियायत योजना 31 मार्च 2010 तक जारी रही।

'रियायत योजना' का उद्देश्य किसानों को वहनीय मूल्य पर नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरक उपलब्ध कराना तथा उर्वरक क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिलाभ की उचित दर सुनिश्चित करना था। उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) का निर्धारण उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (डीओएफ) भारत सरकार द्वारा किया गया था। फार्म गेट¹ स्तर तक उर्वरकों की कुल सुपुर्दगी लागत तथा किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति उत्पादकों/आयातकों को राजसहायता के रूप में की जाती थी।

'रियायत योजना' के कार्यान्वयन के दौरान, डीओएफ ने अनुभव किया कि:

- पिछले दशक अर्थात् 2000-01 से 2009-10 में उर्वरक क्षेत्र में कोई निवेश नहीं हुआ।
- 2004 से 2009 के दौरान दी जा रही राजसहायता में 530 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई जिसमें से 90 प्रतिशत उर्वरकों और आदानों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होने के कारण हुई।
- राजसहायता बिल में वृद्धि के अनुरूप कृषि उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई।

उपरोक्त समस्याओं के निवारण हेतु नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों के लिए 'रियायत योजना' के स्थान पर (अप्रैल 2010) एक नई योजना 'पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति' आरम्भ की गई।

1-2 i h, .Mds moĳ dka dh fdLea

पीएण्डके उर्वरकों को निम्न समूहों में बांटा गया है :

- QNLOQV; ħr ĩi ĩ½ moĳ d—इस समूह के प्रमुख उर्वरक डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी), मोनो-अमोनियम फॉस्फेट (एमएपी) और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी) हैं।

¹ वह मूल्य (कर सहित) जिस पर उर्वरक अन्तिम उपभोक्ता अर्थात् किसान को उपलब्ध है।

प्रकार, भारत सरकार द्वारा निर्धारित पोषक तत्व आधारित राजसहायता को प्रत्येक राजसहायता प्राप्त उर्वरक के लिए प्रति टन राजसहायता में परिवर्तित किया जाएगा।

- iii. टैरिफ कमीशन की निर्णायक अनुशंसा के अधीन नैपथा आधारित कैप्टिव अमोनिया का प्रयोग करने वाले मिश्रित उर्वरक के स्वदेशी उत्पादकों को 'एन' के उत्पादन की उच्च दरों की क्षतिपूर्ति के लिए डीओएफ अलग से/अतिरिक्त राजसहायता प्रदान करेगा। यह क्षतिपूर्ति दो वर्षों की अवधि (1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012) के लिए स्वीकृत थी जिसके दौरान उत्पादक इकाइयों को गैस में बदलना होगा या आयातित अमोनिया का प्रयोग करना होगा।
- iv. डीएपी, एमओपी, एमएपी, टीएसपी, मिश्रित उर्वरकों के 12 ग्रेड और अमोनियम सल्फेट (एएस) पर एनबीएस³ लागू होगा।

एनबीएस नीति के आगमन के साथ ही एक अंतर मंत्रालयी कमेटी (आईएमसी) गठित की गई जिसमें अध्यक्ष के रूप में सचिव (उर्वरक) और कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएससी), व्यय विभाग (डीओई), योजना आयोग तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) के संयुक्त सचिव स्तरीय प्रतिनिधि शामिल थे। आईएमसी, डीओएफ द्वारा निर्णय के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष के आरम्भ होने से पहले 'एन', 'पी', 'के' एवं 'एस' के लिए प्रति पोषक तत्व राजसहायता की अनुशंसा करता है। आईएमसी सुदृढीकृत राजसहायता प्राप्त उर्वरकों में द्वितीयक ('एस' के अतिरिक्त) एवं सूक्ष्म पोषक तत्व प्रति टन की अतिरिक्त राजसहायता की भी अनुशंसा करता है। यह राजसहायता व्यवस्था के अन्तर्गत निर्माताओं/आयातकों के आवेदन तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की आवश्यकता के अनुसार नए उर्वरकों को सम्मिलित करने हेतु विचार एवं अनुशंसा करती है जिस पर डीओएफ द्वारा निर्णय लिया जाता है।

एनबीएस नीति में शामिल उर्वरकों की एक सूची **vuyxud I** में दी गई है।

1-4 , uch, l uhfr ds vlxr nh xbl jktl gk; rk ds i xkj

, ½ mojd jktl gk; rk

यह वह राजसहायता है जिसे राजसहायता प्राप्त एमआरपी के रूप में किसानों को दिया जाता है, जो फार्म गेट स्तर पर इन उर्वरकों की सुपुर्दगी लागत की तुलना में कम है। एनबीएस नीति के अधीन प्रासंगिक घटकों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, विनिमय दर, इनवेंटरी स्तर और पीएण्डके उर्वरकों की वर्तमान अधिकतम खुदरा कीमतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर राजसहायता प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों के प्रत्येक पोषक तत्व पर राजसहायता की दर (₹ प्रति किलो के अनुसार) निर्धारित की है। एनबीएस नीति के अधीन शामिल विभिन्न पीएण्डके उर्वरकों पर प्रति किलोग्राम राजसहायता दरों को प्रति टन राजसहायता में परिवर्तित कर दिया जाता है। एनबीएस की गणना का उदाहरण **vuyxud II** में दिया गया है।

ch½ vfrfjDr jktl gk; rk

- अतिरिक्त राजसहायता दो वर्ष की अवधि अर्थात् 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 तक के लिए 'एन' के उत्पादन की उच्च कीमत की प्रतिपूर्ति के लिए नैपथा आधारित कैप्टिव अमोनिया का प्रयोग करते हुए मिश्रित उर्वरक का उत्पादन करने वाले स्वदेशी निर्माताओं [(नामत: उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी), मद्रास उर्वरक लिमिटेड (एमएफएल) और गुजरात

³ गुजरात राज्य उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (जीएसएफसी) और उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) द्वारा उत्पादित कैप्रोलेक्टम ग्रेड

नर्मदा वैली उर्वरक कम्पनी लिमिटेड (जीएनएफसी)] को दी गई थी। इस अवधि के दौरान, इन इकाइयों से अपेक्षा की गई कि वे गैस आधारित उत्पादन में परिवर्तित हों अथवा आयातित अमोनिया का उपयोग करें।

हालांकि केवल एफएसीटी अपने फीडस्टॉक को गैस में परिवर्तित कर सका है और एमएफएल व जीएनएफसी का परिवर्तित होना शेष है (नवंबर 2014)।

- प्राथमिक पोषक तत्वों के साथ बोरॉन और जिंक जैसे द्वितीयक और सूक्ष्म-पोषक तत्व ('एस' के अलावा) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अलग से प्रति टन राजसहायता प्राप्त कर सकते हैं। एनबीएस नीति के अधीन शामिल पीएण्डके उर्वरकों का कोई भी रूपान्तर जिसे द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों (सल्फर के अलावा) के साथ आवृत/सुदृढ़ीकृत किया गया है वह भी, इस प्रकार से राजसहायता के पात्र होंगे।

1.1.2 एनबीएस नीति के अधीन

- एनबीएस नीति के अधीन

रेल द्वारा पीएण्डके उर्वरकों (एसएसपी के अलावा) की प्राथमिक गतिविधि⁴ हेतु मालभाड़े का भुगतान रेल रसीदों के वास्तविक आधार के अनुसार दिया जाएगा। पीएण्डके उर्वरकों (एसएसपी के अलावा) की सीधी सड़क गतिविधि के कारण मालभाड़े की प्रतिपूर्ति का भुगतान सामयिक/वास्तविक के अनुसार किया जाएगा बशर्ते कि वह समतुल्य रेलभाड़े से अधिक न हो। सीधी सड़क गतिविधि (डायरेक्ट रोड मूवमेंट) के अधीन अधिकतम स्वीकृत दूरी 500 कि.मी.⁵ होगी।

- एनबीएस नीति के अधीन

प्रारम्भतः डीओएफ ने सभी पीएण्डके उर्वरकों की द्वितीयक गतिविधि⁶ के लिए भी वाहन शुल्क प्रदान किया। 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2012 से आगे के नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों के लिए एनबीएस नीति के अधीन स्वीकृत द्वितीयक मालभाड़ा का विवरण निम्नानुसार है:—

एनबीएस नीति के अधीन द्वितीयक मालभाड़ा का विवरण

वर्ष	विवरण
1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010	₹104 से ₹339 प्रति मीट्रिक टन (पीएमटी) तक का द्वितीयक मालभाड़ा विभिन्न पीएण्डके उर्वरकों की एनबीएस दरों में सम्मिलित था।
1 अप्रैल 2011 से 31 एप्रैल 2012	पीएण्डके उर्वरकों (एसएसपी के अलावा) के लिए द्वितीयक मालभाड़े को यूरिया के लिए लागू एक समान मालभाड़ा राजसहायता (यूएफएस) नीति ⁷ के समान दिया गया। एसएसपी के लिए ₹200 पीएमटी का एकमुश्त मालभाड़ा दिया गया ⁸ ।
1 अप्रैल 2012 से वर्तमान तक	सभी पीएण्डके उर्वरकों के लिए द्वितीयक मालभाड़े को समाप्त कर दिया गया ⁹ ।

⁴ संयंत्र अथवा बन्दरगाह से विभिन्न रिक प्वाइंटों तक रेल द्वारा गतिविधि

⁵ 1 जनवरी 2011 से 31 मार्च 2011 की अवधि के दौरान इसे 700 किमी तक बढ़ा दिया गया था

⁶ निकटतम रिक प्वाइंटों से जिले के ब्लॉक मुख्यालय तक सड़क द्वारा गतिविधि

⁷ जुलाई 2008 में डीओएफ द्वारा अधिसूचित किया गया।

⁸ एकमुश्त द्वितीयक मालभाड़ा राजसहायता केवल आठ महीनों के लिए दी गई (जनवरी-अगस्त 2011)

⁹ मार्च 2012 में डीओएफ द्वारा अधिसूचित किया गया।

1-5 $moj d fuxjkuh iz kkyh \frac{1}{4}, Q, e, l \frac{1}{2}$

उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस), जो एक आईटी प्रणाली है, को डीओएफ द्वारा जनवरी 2007 में अलग-अलग उर्वरकों के विभिन्न चरणों पर उनकी मूल्य श्रृंखला में गतिविधि की निगरानी के लिए प्रारंभ किया गया। यूरिया तथा पीएण्डके उर्वरकों (स्वदेशी व आयातित) जिसमें एसएसपी सम्मिलित है, के उत्पादन, प्रेषण और विक्रय की निगरानी इससे अपेक्षित थी। एफएमएस को प्रसंस्करण समय कम करके और यूरिया तथा एसएसपी सहित पीएण्डके उर्वरकों के राजसहायता/रियायत भुगतानों (प्राप्ति के आधार पर) के प्रसंस्करण को भी सुसाध्य बनाना था।

1-6 $jktl gk; rk Hk\text{r}ku$

डीओएफ ने नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों को उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक कम्पनियों को एनबीएस नीति के अधीन 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹137611 करोड़ की कुल राजसहायता का भुगतान किया। कम्पनी-वार राजसहायता का भुगतान तालिका 2 में दिया गया है :

रक्यदक 2 % fu; .ke\Pr ih, .Mds moj dka ij jktl gk; rk ds iklrd\kkz

₹ dj\kka e\z

Øe l a	vk; krd@fuek\rk	o"k&okj nh xbl jktl gk; rk				
		2010&11	2011&12	2012&13	2013&14	dy
vk; krd						
1.	इंडियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली (निजी)	9929	7688	5039	5319	27975
2.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ओपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली, (सहकारिता)	2962	2105	1999	342	7408
3.	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुडगांव, हरियाणा (निजी)	1706	1396	1143	1087	5332
4.	चंबल फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली (निजी)	835	781	855	1317	3788
5.	नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एवं कैमिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (निजी)	383	814	810	876	2883
6.	मोजैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुडगांव, हरियाणा (निजी)	904	734	339	625	2602
7.	टाटा कैमिकल्स लिमिटेड (एचएलएल), नोएडा, उत्तर प्रदेश (निजी)	796	533	582	591	2502
8.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई, महाराष्ट्र (सरकारी)	608	264	625	363	1860
9.	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, सिंकदराबाद, आंध्र प्रदेश (निजी)	439	536	487	553	2015
10.	कृषक भारती को-ओपरेटिव लिमिटेड, नोएडा, उत्तर प्रदेश (सहकारिता)	640	371	534	387	1932
11.	अन्य आयातक ¹⁰	1648	943	2163	2467	7221
dy vk; krd		20850	16165	14576	13927	65518

¹⁰ दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स एवं कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कम्पनी लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड आदि

Øe l a	vk; krd@fuekŕk	o"k&okj nh xbl jkt l gk; rk				
		2010&11	2011&12	2012&13	2013&14	dy
	fuekŕk					
1.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ओपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली (सहकारिता)	5935	5968	4490	4975	21368
2.	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (निजी)	3978	3270	2555	2547	12350
3.	पाराद्वीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर, उड़ीसा (निजी)	1861	1345	1218	1279	5703
4.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, वड़ोदरा, गुजरात (सरकारी)	1943	1419	753	1215	5330
5.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचिन, केरल (सरकारी)	1185	1085	826	761	3857
6.	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुडगांव, हरियाणा (निजी)	1191	869	592	433	3085
7.	टाटा कैमिकल्स लिमिटेड (एचएलएल), नोएडा, उत्तर प्रदेश (निजी)	1024	994	598	814	3430
8.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (सरकारी)	717	625	706	560	2608
9.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कम्पनी लिमिटेड, भड़ूच, गुजरात (सरकारी)	180	248	199	197	824
10	अन्य निर्माता ¹¹	2636	4120	4063	2719	13538
dy	fuekŕk	20650	19943	16000	15500	72093
dy		41500	36108	30576	29427	137611

¹¹ दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स कोरपोरेशन लिमिटेड, गोदावरी फर्टिलाइजर्स एवं कैमिकल्स लिमिटेड, ग्रीन स्टार फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, हिडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेगलोर कैमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आदि

v/; k; 2 & ys[kki jh{kk nf"Vdks k , oa i wbrh/ ys[kki jh{kk tkp i fj .kke

2-1 ys[kki jh{kk mÍd ;

निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि:

- क्या भारत सरकार एनबीएस नीति के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकी जो विशेषरूप से पूर्ववर्ती योजना की तुलना में कुल राजसहायता बिल को सीमित करने, पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने तथा स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास से संबंधित थे;
- क्या राजसहायता की अदायगी एनबीएस नीति के अनुसार की गई;
- क्या कम्पनियों ने उर्वरकों के अन्तःशेष पर उत्तरवर्ती वर्षों के बीच राजसहायता के अंतर का अनावश्यक लाभ उठाया; और
- क्या कम्पनी द्वारा निर्धारित की गई एमआरपी कच्चे माल/अन्य इनपुट की लागत पर आधारित थी और क्या वह उचित थी।

2-2 ys[kki jh{kk eki n.M

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नानुसार के संदर्भ में की गई :

- पीएण्डके उर्वरकों के लिए एनबीएस नीति के अधीन राजसहायता को देने के लिए डीओएफ द्वारा जारी नीति दिशानिर्देश/परिपत्र/आदेश;
- वार्षिक राजसहायता के निर्धारण से संबंधित नीति फाईल; और
- चयनित उर्वरक उत्पादक/आयातक कम्पनियों के उर्वरक के उत्पादन/आयात से संबंधित रिकार्ड।

2-3 ys[kki jh{kk dk; [ks= foLrkj

निष्पादन लेखापरीक्षा ने ₹137611 करोड़ को सम्मिलित करते हुए अप्रैल 2010 (एनबीएस नीति के प्रारंभ से) से मार्च 2014 तक की अवधि को लिया। आरंभ में, 34 उर्वरक कम्पनियों में से आठ¹² कम्पनियों के प्रतिदर्श का लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया जिन्हें प्रत्येक वर्ष में ₹500 करोड़ से अधिक की राजसहायता प्राप्त हुई हो। हालांकि, डीओएफ के साथ उद्घाटन सम्मेलन के दौरान, आठ कम्पनियों में से केवल पाँच¹³ कम्पनियों तक ही लेखापरीक्षा को सीमित करने का निर्णय लिया गया क्योंकि डीओएफ ने सुनिश्चित किया कि कम्पनियों से लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित सभी आंकड़े उनके द्वारा उपलब्ध कराए

¹² बंबल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल), नई दिल्ली (निजी), कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड (सीआईएल), सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (निजी), इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल), नई दिल्ली (निजी), जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जेडआईएल), गुडगांव, हरियाणा (निजी), इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को-ऑपरेटिव लिमिटेड (इफको), नई दिल्ली, (सहकारिता), फर्टिलाइजर्स एवं कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी), कोच्चिन, केरल (सरकारी), गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एवं कैमिकल्स लिमिटेड (जीएसएफसी) वड़ोदरा, गुजरात (सरकारी) और राष्ट्रीय कैमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ), मुम्बई, महाराष्ट्र (सरकारी)

¹³ इफको, एफएसीटी, जेडआईएल, आईपीएल और सीएफसीएल

जाएंगे। पाँच कम्पनियों में से चयनित 3 निजी कम्पनियाँ हैं, एक केन्द्रीय लोक सेवा उद्यम (सीपीएसई) है और एक सहकारी संस्था है।

डीओएफ द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद क्षेत्र लेखापरीक्षा के समाप्त होने के बाद ही कम्पनियों के लिए लागत आँकड़े प्रस्तुत (अक्टूबर 2014) किये। यद्यपि, यह लागत आँकड़े किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रमाणित नहीं थे। अतः लेखापरीक्षा लागत आँकड़ों की सटीकता को सत्यापित नहीं कर सकी।

2-4 ys[kki jh{kk dk; ; z kkyh

निष्पादन लेखापरीक्षा की डीओएफ के साथ 26 जुलाई 2013 को हुए उद्घाटन सम्मेलन के साथ शुरुआत हुई जिसमें लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली, लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्य क्षेत्र और मापदण्ड को स्पष्ट किया गया। चयनित पाँच पीएण्डके उर्वरक उत्पादक/आयातक कम्पनियों के डीओएफ के रिकार्ड से संबंधित राजसहायता के निर्धारण और एमआरपी के निर्धारण दावों, डीओएफ से प्राप्त राजसहायता, अन्तिम स्टॉक, उर्वरकों के क्रय आदि से संबंधित उर्वरक कम्पनियों के रिकार्डों की भी जाँच की गई।

डीओएफ को ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट 15 सितंबर 2014 को इस निवेदन के साथ जारी की गई कि वह अपनी प्रतिक्रिया 24 अक्टूबर 2014 तक भेज दे। लेखापरीक्षा को डीओएफ से प्रतिक्रिया 3 नवंबर 2014 को प्राप्त हुई। डीओएफ को लेखापरीक्षा जाँच परिणामों पर चर्चा करने और अपने विचारों को प्रस्तुत करने हेतु अवसर देने के लिए 24 नवंबर 2014 को समापन सम्मेलन का आयोजन किया गया। डीओएफ को 27 फरवरी 2015 को इस निवेदन के साथ ड्राफ्ट अन्तिम रिपोर्ट जारी की गई कि वह इस की प्राप्ति के दो सप्ताह में अपनी प्रतिक्रिया भेज दे, डीओएफ से इसकी प्रतिक्रिया 13 मार्च 2015 को प्राप्त हुई। समापन सम्मेलन के दौरान डीओएफ की प्रतिक्रिया के साथ-साथ उनके द्वारा व्यक्त विचारों पर भी विधिवत रूप से विचार किया गया और उपयुक्त रूप से रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

2-5 i wbrh/ ys[kki jh{kk tkp i fj .kke

उर्वरक राजसहायता की निष्पादन लेखापरीक्षा जो 2011-12 (सिविल) की सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या-8 में आयी थी उसमें 2003-2004 से 2008-09 की अवधि शामिल है और उसमें पहले की रियायत योजना के अंतर्गत यूरिया और पीएण्डके उर्वरक दोनों से संबंधित मुद्दों को भी सुलझाया गया है। पीएण्डके उर्वरकों से संबंधित मुख्य लेखापरीक्षा जाँच परिणाम निम्न हैं:

- फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों के संदर्भ में, उत्पादन क्षमता 1998-99 से 2008-09 तक करीब दुगुनी हो गई जबकि डीएपी और एनपीके मिश्रणों का उत्पादन केवल 30 प्रतिशत तक ही बढ़ा। वास्तव में, डीएपी का उत्पादन काफी हद तक नीचे गिर गया। तथापि, फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन अधिकांशतः आयातित कच्चे माल/मध्यस्थों पर आधारित था। अत्यधिक ऊंची कीमतों पर आयात द्वारा डीएपी/एमएपी/एनपीके मिश्रणों के उपभोग को मुख्य रूप से बढ़ाया गया जिससे राजसहायता देने का बोझ कई गुना बढ़ गया।
- राष्ट्र की पोटाशयुक्त उर्वरकों की आवश्यकता को पूर्णतया आयात द्वारा पूरा किया गया। आगे आयात को नियंत्रित करने तथा मार्च 2008 तक के उपलब्ध स्टॉक पर से आहरण करने की अपेक्षा मंत्रालय ने एमओपी के 57 लाख एमटी का (व्यय आँकड़ों के अनुसार 43 लाख एमटी) अतिरिक्त आयात किया जिससे राजसहायता पर ₹10000 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त बोझ पड़ा।

- राज्य सरकार द्वारा प्रोफार्मा 'बी' में कृषि उद्देश्यों के लिए नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की बिक्री के प्रमाणीकरण की आवश्यकता, प्रमाणीकरण प्रक्रिया में अपर्याप्तता होने के बावजूद भी, उर्वरकों के एण्ड-यूज पर एकमात्र मुख्य नियंत्रण था। प्रोफार्मा 'बी' के समय पर प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए 10/15 प्रतिशत (असमायोजित छूट के 100 प्रतिशत के लिए बैंक गारंटी दण्डनीय खण्ड में है) के संतुलित भुगतान के साथ प्रमाणीकरण को जोड़ने से स्पष्ट प्रोत्साहन/अवप्रेरक उपलब्ध हुए। जून 2007 से, इस प्रकार के संयोजन को हटाने से कृषि उद्देश्यों के लिए नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के एण्ड-यूज को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था। इस कारण वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए ₹50587 करोड़ के बकाया प्रोफार्मा 'बी' का संचयन हुआ।
- लेखापरीक्षा ने इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) द्वारा डीएपी के आयात में अनेक अनियमितताओं के साथ-साथ उसके आयात तथा समरूपी आपूर्ति में अनेक भिन्नताओं को पाया।

2012-13 की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने विस्तृत जाँच के लिए 2011-12 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 8 का चयन किया। 30 अप्रैल 2013 को संसद में रखी गई उसकी 81वीं रिपोर्ट में पीएसी के विचारों/अनुशंसाओं को रखा गया है। पीएसी की पीएण्डके उर्वरकों से संबंधित अनुशंसा पर डीओएफ द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति को **vuyxud III** में सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

v/; k; 3 & , uch, l uhfr ds mÍs' ; ka dh i kflr

पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति में अन्तर्निहित था कि उर्वरकों में समाविष्ट प्रत्येक पोषक तत्व के लिए राजसहायता को निर्धारित किया जाएगा। राजसहायता के निर्धारण के साथ, फार्म गेट स्तर पर उर्वरकों की विक्रय कीमत को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया और उन्हें बाजारीय शक्तियों द्वारा निर्धारण के लिए छोड़ दिया गया। यद्यपि फार्म गेट कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और राजसहायता स्तर पर निर्भर थी, इसलिए यह अपेक्षित था कि प्रतिस्पर्धा न केवल फार्म गेट कीमतों को नियंत्रित करेगी बल्कि उर्वरक उद्योग को किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार बनाए गए नए उर्वरकों के उत्पाद के विकास, कृषि भूमि की विस्तार सेवाएँ, ब्रॉड का निर्माण, उत्पाद के विशिष्टीकरण आदि द्वारा उन पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आगे यह भी अपेक्षित था कि देश में उर्वरक की बढ़ी हुई माँग पर आधारित बेहतर उर्वरक उत्पादों और स्वदेशी उद्योग के विकास के द्वारा संतुलित उर्वरक के दोहरे उद्देश्यों को पाने की दृष्टि से द्वितीयक तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले नए उर्वरकों को शामिल करने के लिए राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के दायरे को धीरे-धीरे बढ़ाया जाए।

एनबीएस नीति को निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों के साथ प्रारम्भ किया गया:

- उर्वरकों के संतुलित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करना;
- स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास को सुधारना;
- राजसहायता बिल को सीमित करना;
- उर्वरक निर्माता/आयातक द्वारा एमआरपी को उचित स्तर पर निर्धारित करने के लिए नियंत्रण मुक्त करना।

3-1 , uch, l uhfr ds mÍs' ; ka dks i kflr djus ds fy, fn' k kfun' k ka dk u gksuk

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गए डीओएफ के रिकॉर्ड ने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एनबीएस नीति के कार्यान्वयन के लिए किसी स्पष्ट दिशानिर्देश को प्रकट नहीं किया।

डीओएफ ने समापन सम्मेलन (नवम्बर 2014) के दौरान कहा कि उर्वरक उत्पादन और राजसहायता का विनियमन जटिल मामले हैं। इसके अतिरिक्त यूरिया तथा पीएण्डके उर्वरकों के लिए दो अलग नीतियाँ होने और दो अलग-अलग नीतियों के उद्देश्यों के समान लक्ष्य होने से डीओएफ के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिशानिर्देश तथा समयसीमा निर्धारण एक बड़ी चुनौती बन गई थी। एनबीएस योजना के आरम्भ के पश्चात्, डीओएफ ने भारत सरकार के राजसहायता बजट को काफी हद तक कम कर दिया था। डीओएफ ने किसानों को पीएण्डके उर्वरकों की अनुपलब्धता जैसे बड़े मामले का भी समाधान किया और वर्ष भर समय पर पीएण्डके उर्वरकों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया। योजना के कार्यान्वयन के दौरान पायी गई कुछ विसंगतियों के लिए संशोधनात्मक कार्रवाई को भी प्रारंभ किया जा चुका है। डीओएफ ने यह भी कहा कि एनबीएस के प्रारम्भ हेतु अनुमोदित कैबिनेट नोट (फरवरी 2010) में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दिशानिर्देश उपलब्ध थे। डीओएफ ने आगे यह भी उत्तर दिया (मार्च 2015) कि एनबीएस नीति के उद्देश्य स्थायी प्रकृति के थे तथा उनकी प्राप्ति अन्य कारकों पर निर्भर थी। अतः उद्देश्य प्राप्ति के लिए दिशानिर्देश अथवा समयसीमा को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

डीओएफ द्वारा संदर्भित कैबिनेट नोट की जाँच ने दर्शाया कि नोट के अनुलग्नक IX में एनबीएस के लिए कार्यान्वयन योजना के साथ राजसहायता प्राप्त उर्वरक उत्पादों के विभिन्न पोषक तत्वों के लिए

पोषक तत्व आधारित राजसहायता का निर्धारण समाविष्ट है। यह प्रति पोषक तत्व के लिए राजसहायता के निर्धारण, मालभाड़े के समानीकरण, उद्योगों को राजसहायता देने और उत्पादन तथा वितरण आदि पर एनबीएस योजना के अपेक्षित प्रभाव जैसे प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा करता है। हालाँकि इसने न तो किसी भी निगरानी प्रक्रिया पर विचार किया और न ही योजना के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी समयसीमा को परिभाषित किया। इसके अतिरिक्त, डीओएफ का दावा कि नीति की प्राप्ति के लिए दिशानिर्देश तथा समयसीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि किसी बड़ी योजना/कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सुपरिभाषित दिशानिर्देश एवं समयसीमा नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक पूर्व शर्त है।

वृद्धि के 1% नीति के प्रत्येक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सुपरिभाषित दिशानिर्देशों, जो कि अन्य बातों के साथ-साथ इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परिमाण निर्धारित करने योग्य सुपुर्दगियों और विशिष्ट समयसीमा को इंगित करते हों, को निर्धारित करने की आवश्यकता है।

3-2 निर्यात रोक के विलंबता में; कृषि

फरवरी 2010 में, एनबीएस नीति को अंतिम रूप देते हुए, कैबिनेट नोट में दर्शाया गया कि भारतीय कृषि में 'एन', 'पी', एवं 'के' पोषक तत्वों का कुल उपयोग 4.2% के वरीयता अनुपात की तुलना में 5.3% था। उर्वरक राजसहायता को तर्कसंगत बनाने के लिए अंतर मंत्रालयी समूह (जुलाई 2009 में सचिवों की समिति की बैठक में चर्चा की गई) की रिपोर्ट के अनुसार 'एन' के पक्ष में असंतुलित उपयोग के लिए अधिक राजसहायता प्राप्त यूरिया (जिसमें 'एन' है, डीएपी की तुलना में जिसमें 'पी' है), की कीमत को योगदान करने वाले कारकों में से एक माना गया।

2007-08 से 2013-14 के दौरान 'एन', 'पी' एवं 'के' के उपभोग अनुपात का विवरण तालिका-3 में दिया गया है:

तालिका 3: 'एन', 'पी' एवं 'के' के उपभोग अनुपात का विवरण, 2007-08 से 2013-14 तक

वर्ष	एन:पी:के अनुपात
2007-08	5.5:2.1:1
2008-09	4.6:2.0:1
2009-10	4.3:2.0:1
2010-11	4.7:2.3:1
2011-12	6.7:3.1:1
2012-13	8.2:3.2:1
2013-14	8.0:2.7:1

4:2:1 (एन:पी:के) के वरीयता अनुपात की तुलना में 'एन' 2009-10 में 4.3 से 2012-13 में 8.2 के अनुपात स्तर तक बढ़ गया। 2013-14 में अनुपात 8.0:2.7:1 पर रहा। यह मुख्य रूप से इस कारण से था कि किसान 'एन' वाले यूरिया को पीएण्डके उर्वरकों की तुलना में सस्ते होने के कारण वरीयता देते थे यद्यपि इसके प्रयोग से मृदा की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इस प्रकार से, यह स्पष्ट है कि एनबीएस नीति मृदा में 'एन', 'पी' एवं 'के' पोषक तत्वों के असंतुलित उपयोग को नियंत्रित करने में

¹⁴ स्रोत: कृषि एवं सहकारिता विभाग

असफल रही, जो इस तथ्य को इंगित करता है कि संतुलित उर्वरण को बढ़ावा देने के प्रयास सही रूप से निर्दिष्ट और प्रचारित नहीं हुए।

डीओएफ ने अपने उत्तर (जून 2014) में कहा कि उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन पीएण्डके उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि के कारण हुआ जबकि यूरिया की कीमतों में तुलनात्मक स्थिरता थी। डीओएफ ने आगे कहा (अक्टूबर 2014) कि दो भिन्न योजनाओं के अधीन यूरिया और पीएण्डके उर्वरकों की राजसहायता के विनियमन के कारण देश में 'एन', 'पी' एवं 'के' के विद्यमान अनुपात में विकृति थी। समापन सम्मेलन (नवंबर 2014) के दौरान डीओएफ ने सूचित किया कि वह इस मामले के समाधान के लिए यूरिया हेतु न्यू प्राइसिंग स्कीम (एनपीएस) में संशोधन करने की प्रक्रिया में थे। डीओएफ ने फिर उत्तर दिया (मार्च 2015) कि एनबीएस योजना उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देती है। उर्वरकों के प्रयोग में किसी तरह का असंतुलन पीएण्डके उर्वरकों की तुलना में यूरिया की कीमतों का कम होना है। सरकार ने इस पर ध्यान दिया है तथा यूरिया नीति के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में थी।

डीओएफ के उत्तर इन तथ्यों के प्रकाश में देखने होंगे कि भारत सरकार की एक ओर पीएण्डके उर्वरकों को नियंत्रणमुक्त करने तथा दूसरी ओर यूरिया की कीमतों पर उसका नियंत्रण जारी रखने की नीति से उपभोग संतुलन विरूपित हो गया क्योंकि पीएण्डके उर्वरकों की तुलना में यूरिया की कीमत में अधिक वृद्धि नहीं देखी गई। जो कि इस तथ्य द्वारा स्पष्ट होता है कि 2010-11 से 2013-14 के बीच यूरिया की प्रति मीट्रिक टन (पीएमटी) की कीमत केवल 1 प्रतिशत तक (2010-11 में ₹5310 से 2013-14 में ₹5360 तक) बढ़ी जबकि उसी अवधि के दौरान पीएण्डके उर्वरकों की कीमतों में 104 प्रतिशत (एनपीके 15-15-15-0 के लिए 2010-11 में ₹7421 पीएमटी से 2013-14 में ₹15150 पीएमटी तक) और 251 प्रतिशत (एमओपी 0-0-60-0 के लिए 2010-11 में ₹5055 पीएमटी से 2013-14 में ₹17750 पीएमटी तक) तक वृद्धि हुई।

इसके परिणामस्वरूप यूरिया और प्रमुख पीएण्डके उर्वरकों की कीमतों के बीच बड़ा अंतर था। इसलिए किसानों के लिए यह स्वाभाविक था कि वह पीएण्डके उर्वरकों के लिए यूरिया को प्रतिस्थापित करें जिसके परिणामस्वरूप पीएण्डके की तुलना में 'एन' के लिए उपभोग अनुपात विषम हो गया।

पीएसी (2012-13) ने 30 अप्रैल 2013 को संसद में रखी गई अपनी 81वीं रिपोर्ट में यह भी चाहा कि "विभाग राष्ट्र की संतुलित उर्वरक आवश्यकता को उपयुक्त संयोजनों और आवश्यक इनपुट सहित सक्रिय संकल्पना के रूप में समाधान करे ताकि एक लक्षित समयसीमा के भीतर एनबीएस नीति के अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके"।

तथ्य यह रहा कि उर्वरकों के संतुलित उपयोग के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यूरिया मूल्यांकन नीति को शीघ्र पुनरीक्षण की आवश्यकता थी।

वृद्धि के 2% डीओएफ यूरिया की कीमतों के आलोचनात्मक पुनरीक्षण सहित उचित रूप से समन्वित विशिष्ट उपायों को रखे तथा प्रचार की एक समर्पित योजना के द्वारा उर्वरक के संतुलित उपयोग के लाभों को किसानों तक पहुँचाए।

3-3 मरि क्नु एंडेह

एनबीएस नीति के अन्तर्गत स्वदेशी उर्वरक उद्योग¹⁵ के विकास के साथ-साथ कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि की अपेक्षा थी। हालांकि यह पाया गया कि एनबीएस व्यवस्था के दौरान डीएपी और मिश्रित

¹⁵ देश फॉस्फेटयुक्त क्षेत्र में 90 प्रतिशत तक और पोटाशयुक्त क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक या तो तैयार उत्पाद अथवा कच्चे माल के रूप में आयातों पर निर्भर था। पीएण्डके उर्वरकों के मुख्य भागों के साथ-साथ पीएण्डके उर्वरकों के लिए नाईट्रोजन की आवश्यकता को या तो आयातित कच्चे माल/मध्यस्थों के साथ उत्पादन द्वारा अथवा तैयार उर्वरकों के आयात द्वारा उपलब्ध कराया गया।

उर्वरक के उत्पादन स्तर नहीं बढ़े। 2009-10 से 2013-14 के दौरान उर्वरक उत्पादन संयंत्रों और स्थापित क्षमता की संख्या का विवरण तालिका 4 में दिया गया है:-

रक्यदक 4 % 2009&10 I s 2013&14 ds nkjku LFkkfi r {kerk

(क्षमता लाख एमटी में)

वर्ष	उत्पादन		क्षमता	
	डीएपी	मिश्रित उर्वरक	डीएपी	मिश्रित उर्वरक
2009-10	13	21	72.99	52.22
2010-11	13	21	72.99	52.22
2011-12	13	21	72.99	52.22
2012-13	13	21	72.99	52.22
2013-14	13	21	83.32	60.71

तालिका 4 में आँकड़ों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि इस तथ्य के बावजूद कि स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास को बढ़ावा देना एनबीएस नीति के उद्देश्यों में से एक था। एनबीएस नीति के कार्यान्वयन की अवधि (2010-11 से 2013-14) के दौरान न तो उर्वरक संयंत्रों की संख्या में कोई वृद्धि हुई और न ही इन उर्वरक संयंत्रों की स्थापित क्षमता में कोई वृद्धि हुई। वास्तव में संयंत्रों की संख्या और उनकी स्थापित क्षमता 2003-04 से स्थिर रही। यद्यपि 2013-14 में भी संयंत्रों की संख्या वही रही परंतु उसी वर्ष के दौरान डीएपी और मिश्रित उर्वरकों के लिए स्थापित क्षमता आंशिक रूप से क्रमशः 10.33 एलएमटी और 8.49 एलएमटी तक बढ़ गई थी।

2009-10 से 2013-14 के दौरान डीएपी और अन्य मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन स्तर का विवरण तालिका 5 में दिया गया है:-

रक्यदक 5 % 2009&10 I s 2013&14 ds nkjku okLrfod mRi knu¹⁶

(उत्पादन लाख एम टी में)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
डीएपी	42.47	35.37	39.63	36.47	36.11
मिश्रित	58.18	48.46	54.29	49.97	43.33
कुल	80.38	87.27	77.70	61.81	69.13
क्षमता	153.93	167.11	148.79	118.34	113.86

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि:

¹⁶ एमओपी पर विश्लेषण के लिए विचार नहीं किया गया क्योंकि देश एमओपी के लिए 100 प्रतिशत आयात पर निर्भर था।

¹⁷ डीएपी वर्ग के उर्वरकों में एमएपी/टीएसपी/डीएपी लाईट सम्मिलित हैं।

- डीएपी का उत्पादन जो कि 2009-10 (रियायत योजना) में स्थापित क्षमता का 58.18 प्रतिशत था वह 2013-14 में स्थापित क्षमता के 43.33 प्रतिशत तक गिर गया। जहाँ तक वास्तविक उत्पादन का प्रश्न है, यह 2009-10 से 2013-14 के दौरान 14 प्रतिशत तक गिर गया।
- इसके अतिरिक्त, 2009-10 से 2013-14 के दौरान मिश्रित उर्वरक के उत्पादन में भी 14 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई क्योंकि यह 2009-10 में 80.38 एलएमटी से 2013-14 के दौरान 69.13 एलएमटी तक गिर गया।
- यद्यपि मिश्रित उर्वरक के संदर्भ में क्षमता उपयोग डीएपी से बेहतर था परंतु 2009-10 से 2013-14 के दौरान मिश्रित उर्वरक संयंत्रों की समग्र क्षमता उपयोग में कमी हो गयी। मिश्रित उर्वरक का उत्पादन करने वाले उर्वरक उद्योग 2009-10 में अपनी क्षमता का 153.93 प्रतिशत उपयोग कर रहे थे जो 2013-14 में 113.86 प्रतिशत तक गिर गया।

डीओएफ ने कहा (जून 2014) कि एनबीएस नीति में, एसएसपी के अलावा पीएण्डके उर्वरकों के लिए कोई अधिकतम/न्यूनतम उत्पादन सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एसएसपी के संदर्भ में, राजसहायता के लिए पात्र होने के लिए एक इकाई को उसकी वार्षिक स्थापित क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा 40000 एमटीपीए¹⁸ जो भी कम हो का उत्पादन करना आवश्यक था। जहाँ तक क्षमता उपयोग का संबंध है पीएण्डके उर्वरक कम्पनियाँ अपने वाणिज्यिक महत्व के अनुसार राजसहायता प्राप्त उत्पादों की मात्रा का उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र थीं।

लेखापरीक्षा अवलोकन एवं डीओएफ के उत्तरों को इन तथ्यों के आलोक में देखा जाना चाहिए कि एनबीएस नीति का एक उद्देश्य स्वदेशी उर्वरक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना था। साथ ही, रियायत योजना की प्रमुख कमियों में से एक, डीओएफ द्वारा अवलोकित किया गया कि 2000 से 2009 के दौरान उर्वरक क्षेत्र में कोई निवेश नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एनबीएस नीति के आरंभ के पश्चात् उर्वरक क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों की संख्या में वृद्धि या स्थापित क्षमता में वृद्धि के लिए कोई सार्थक निवेश नहीं किया गया।

आगे, कम्पनियों के लिए तैयार उत्पादों को आयात करने की अपेक्षा कच्चे पदार्थ/व्युत्पन्न को आयात करने और इनसे तैयार उत्पादों का उत्पादन करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि एनबीएस ने तैयार उत्पाद आयातित करने वाली कम्पनियों तथा तैयार उत्पाद बनाने के लिए कच्चा माल आयातित करने वाली कम्पनियों में कोई फर्क नहीं किया। इसलिए उर्वरक कम्पनियों ने तैयार उत्पादों का आयात करने को वरीयता दी।

डीओएफ ने तर्क दिया (अक्टूबर 2014) कि देश में उपलब्ध संभरण या भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए बिना कोई भी कम्पनी उर्वरक व्यवसाय में प्रवेश नहीं करेगी, जहाँ उर्वरक कम्पनियों की स्थापना में विशाल निवेश की आवश्यकता है। इसलिए पीएण्डके उर्वरक क्षेत्र में, एनबीएस के प्रारम्भ किये जाने के बाद भी, कोई निवेश नहीं हुआ। देशी उद्योगों को कच्चा माल/व्युत्पन्न को आयात करने के लिए प्रोत्साहन के संदर्भ में, डीओएफ ने पहले ही वित्त मंत्रालय के साथ कच्चे माल पर सीमा शुल्क कम करने का मामला उठाया था।

हालाँकि यह तथ्य रहता है कि स्वदेशी उर्वरक उद्योग की वृद्धि को सुधारने के उक्त उद्देश्य के साथ एनबीएस नीति को लाने के बावजूद भी स्वदेशी उर्वरक उद्योग द्वारा पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादन में गिरावट आई। डीओएफ भारत सरकार की नोडल एजेन्सी होने के नाते भारत सरकार के अन्तर्गत अन्य

¹⁸ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष

विभागों के साथ स्वदेशी उर्वरक उद्योग में वृद्धि करने तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समन्वित रणनीति बनाए।

वृद्धि कर 3 % डीओएफ को वित्त मंत्रालय के घनिष्ठ समन्वय के साथ उर्वरक क्षेत्र में निवेश में वृद्धि तथा इसके प्रोत्साहन के लिए कदम उठाने चाहिए। पीएण्डके उर्वरक के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण को शीघ्र अपनाने की अनुशंसा की जाती है।

3-4 , uch, l uhfr ds vUrxr vk; kfr , oa Lons kh mojdka ij jktl gk; rk

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान आयातित एवं स्वदेशी उर्वरकों पर राजसहायता के भुगतान की स्थिति तालिका-6 में दर्शाई गई है:-

rkfydk 6 % Lons kh , oa vk; kfr ih, .Mds mojdka ij Hkqrku dh x; h jktl gk; rk dh jkf'k

ih, .Mds mojdka Hkqrku dh x; h jktl gk; rk	jktl gk; rk % djkM+e# %ek=k&yk[k ehfV'd Vu ea % y, eVh%#									
	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	राशि %ek=k%#	प्रतिशत	राशि %ek=k%#	प्रतिशत	राशि %ek=k%#	प्रतिशत	राशि %ek=k%#	प्रतिशत	राशि %ek=k%#	प्रतिशत
Lons kh	16000 (153.78)	40.56 (58.56)	20650 (154.10)	49.76 (51.10)	19943 (170.28)	55.23 (53.96)	16000 (144.05)	52.33 (64.50)	15500 (147.51)	52.67 (68.44)
vk; kfr %r\$ kj mRi kn%	23452 (108.83)	59.44 (41.44)	20850 (147.46)	50.24 (48.90)	16165 (145.26)	44.77 (46.04)	14576 (79.27)	47.67 (35.50)	13927 (68.0)	47.33 (31.56)
; ksx	39452 (262.61)	100	41500 (301.56)	100	36108 (315.54)	100	30576 (223.32)	100	29427 (215.51)	100

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- स्वदेशी पीएण्डके उर्वरक पर राजसहायता जोकि 2009-10 में उस वर्ष के कुल राजसहायता व्यय का 40.56 प्रतिशत थी, 2013-14 में बढ़कर 52.67 प्रतिशत हो गई। डीओएफ ने 2009-10 में 153.78 लाख मीट्रिक टन स्वदेशी उर्वरकों के लिए ₹16000 करोड़ की राजसहायता निर्गत की और 2013-14 में 147.51 लाख मीट्रिक टन स्वदेशी उर्वरकों के लिए ₹15500 करोड़ राजसहायता निर्गत की।
- आयातित पीएण्डके उर्वरकों के लिए 2009-10 में राजसहायता जोकि कुल राजसहायता व्यय का 59.44 प्रतिशत थी, 2013-14 में घटकर 47.32 प्रतिशत हो गयी। 2009-10 के दौरान, डीओएफ ने 108.83 लाख मीट्रिक टन आयातित उर्वरकों के लिए ₹23452 करोड़ राजसहायता के रूप में निर्गत किये तथा 2013-14 के दौरान 68 लाख मीट्रिक टन के आयातित उर्वरकों पर ₹13927 करोड़ राजसहायता के रूप में निर्गत किये गये।

स्पष्ट रूप से, एनबीएस नीति के प्रारंभ के बाद राजसहायता बिल को कम रखने का उद्देश्य प्राप्त किया गया था। हालाँकि लेखापरीक्षा ने पाया कि इस अवधि के दौरान पीएण्डके उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन के साथ-साथ उनके आयातों में भी गिरावट आयी, जो दर्शाता है कि देश में इन उर्वरकों की उपलब्धता कम है। यह संकेत करता है कि इस अवधि के दौरान, देश में पीएण्डके उर्वरकों की खपत में गिरावट आयी और जैसाकि पैरा 3.3 में पहले ही बताया जा चुका है, माँग अधिक राजसहायता प्राप्त यूरिया की ओर मुड़ गई।

डीओएफ ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2014) में बताया कि आयात पर राजसहायता को किसी विशेष स्तर पर बनाये रखने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। चूँकि अधिकाँश पीएण्डके उर्वरक आयातित थे तथा भारत सरकार ने स्वदेशी उत्पादन को नियंत्रित नहीं किया, अतः दो विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत राजसहायता में घटत-बढ़त होगी। इसके अतिरिक्त, समग्र राजसहायता भार एक ही स्तर पर बना रहा।

हालाँकि उत्तर देश में पीएण्डके उर्वरकों की घटती हुई खपत के बारे में मौन था जो कि एनबीएस नीति के अंतर्गत विचारित उर्वरकों के संतुलित उपयोग की प्राप्ति न होने के लिए एक प्रधान योगदानकर्ता है।

3-5 xq koUkk fu; Æ. k

उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 (एफसीओ) की अनुसूची II तथा उसमें हुए विभिन्न संशोधनों में प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा लॉट/बैग, छोटे-बड़े गोदामों तथा बड़े भंडारणों से उर्वरक प्रतिदर्श निकालने की विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन है। एफसीओ संग्रह किये गये प्रतिदर्शों के विश्लेषण तथा विश्लेषण के लिए समयसीमा तथा परिणामों की सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया को भी वर्णित करती है।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, संग्रहित प्रतिदर्शों के परीक्षण के लिए, विभिन्न राज्यों में 78 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ (एफक्यूसीएल) थीं, जिनमें फरीदाबाद, कल्याणी (कोलकाता), मुम्बई तथा चेन्नई में स्थित भारत सरकार की प्रयोगशालाएँ थी।

डीओएफ द्वारा प्रस्तुत किये गए विभिन्न राज्यों में एफक्यूसीएल की विश्लेषण क्षमता के राज्य-वार और वर्ष-वार आँकड़ों (2010-11 से 2013-14) ने दर्शाया कि कुछ राज्यों में विश्लेषण क्षमता का सततरूप से कम उपयोग हुआ जबकि अन्य राज्यों में जाँचे गए नमूनों की संख्या क्षमता की तुलना में अधिक थी। उदाहरण के लिए 250 की विश्लेषण क्षमता की तुलना में 2010-11 से 2013-14 के दौरान मिजोरम एफक्यूसीएल में जाँचे गए नमूनों की संख्या शून्य से पाँच थी। इसके विपरीत 2013-14 में 7500 की विश्लेषण क्षमता की तुलना में गुजरात एफक्यूसीएल में जाँचे गए नमूनों की संख्या 14623 थी। 2010-11 से 2013-14 के दौरान सभी प्रयोगशालाओं में जाँचे गए नमूनों का विवरण vuyxud IV में दिया गया है।

यह एक ओर तो निर्मित सुविधाओं के उपइष्टतम उपयोग को दर्शाता है और दूसरी ओर अत्यधिक उपयोग को दर्शाता है, दोनों सुविधाओं के आलोचनात्मक पुनरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयासों को सुधारने के लिए आवश्यकता पर बल देते हैं।

डीओएफ (नवम्बर 2014) ने समापन सम्मेलन में कहा कि :

- डीएसी ने सूचित किया कि इसने विभिन्न फोरमों में विभिन्न हिस्सेदारों द्वारा सुझायी गयी दिशा में एक नया उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण अधिनियम बनाया है जोकि अन्य देशों के कानूनों के समान होगा।
- इस संबंध में, ग्रेडों की अधिसूचना, पंजीकरण/अनुज्ञापिकरण, रेफरी विश्लेषण जैसे विभिन्न पक्षों को शामिल करते हुए एक विस्तृत संकल्पना पत्र तैयार किया गया तथा राज्य सरकारों एवं हिस्सेदारों को टिप्पणी के लिए प्रस्तुत किया गया तथा डीएसी टिप्पणियों की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रस्तावित अधिनियम में पहले से ही, लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों से संबंधित उपयुक्त प्रावधान हैं।

- डीओएफ ने डीएसी को 19 सितम्बर 2014 को फार्म गेट स्तर पर उर्वरकों की गुणवत्ता प्रवर्तित करने के लिए तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने का सुझाव दिया जिस पर केन्द्रीय उर्वरक समिति हिस्सेदारों के साथ शीघ्र ही विचार-विमर्श कर सके तथा दो माह के अंदर कार्यान्वयन हेतु अंतिम रूप रेखा तैयार कर सके।

हालाँकि, यह तथ्य फिर भी रह जाता है कि गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को प्रभावी बनाने के पर्याप्त अवसर अभी शेष हैं।

वुड को 4% एफव्यूसीएल के उपयोग का आलोचनात्मक पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है, जिससे कि इन सुविधाओं का परिहार्य कम उपयोग अथवा अत्यधिक उपयोग न हो।

v/; k; 4 & Mhvks Q }kjk uhfr dk dk; kll; u

4-1 jktl gk; rk dk ifjgk; Z Hkxrk

एनबीएस नीति के अनुसार, आईएमसी द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व डीओएफ द्वारा निर्णय हेतु 'एन', 'पी', 'के' और 'एस' के लिए प्रति पोषक तत्व राजसहायता अनुशंसित करना था। आईएमसी ने निर्णय (अगस्त 2010) लिया कि 2011-12 के लिए एनबीएस दरें, उपलब्धता एवं समय पर आपूर्ति हेतु नवम्बर 2010 में अनुशंसित की जाएँगी।

आईएमसी द्वारा अनुशंसित बेंचमार्क मूल्य¹⁹ के आधार पर 2011-12 के लिए नवम्बर 2010 में डीएपी के यूएस\$ 450 सीएफआर²⁰ प्रति एमटी (पीएमटी) के बेंचमार्क मूल्य के आधार पर डीओएफ ने डीएपी की एनबीएस दर निर्धारित की। हालाँकि, उर्वरक कम्पनियों ने 10 फरवरी तक डीएपी के आयात के लिये संविदा नहीं किये थे। डीओएफ की उर्वरक उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ 10 फरवरी 2011 को एक बैठक हुई जिसमें उर्वरक उद्योग के प्रतिनिधियों ने तत्कालीन प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर बेंचमार्क मूल्यों पर पुनर्विचार के लिए सुझाव दिया। आईएमसी ने सुझाव पर विचार करते हुए, फरवरी 2011 में महसूस किया कि असाधारण परिस्थिति एवं बेंचमार्क मूल्यों पर पुनर्विचार की आवश्यकता के कारण, जीओएम मुद्दे पर विचार कर सकती है तथा उपयुक्त निर्देश दे सकती है। जीओएम ने यूएस\$ 580 पीएमटी की बढ़ायी गई दर को 15 फरवरी 2011 को अनुमोदित किया तथा डीओएफ ने इन संशोधित दरों को 9 मार्च 2011 को अधिसूचित किया। तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय दरों तथा उपरोक्त अधिसूचित दरों में बड़े अंतर को ध्यान में रखते हुए, उर्वरक उद्योग ने डीओएफ से पुनः 28 मार्च 2011 को बेंचमार्क मूल्य को संशोधित करने का अनुरोध किया। आईएमसी ने 30 मार्च 2011 को हुई अपनी बैठक में, अभिलेख पर लाया कि मैसर्स जुआरी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ओसीपी, मोरक्को के साथ डीएपी के आयात हेतु यूएस\$ 612 सीएफआर पीएमटी की दर से संविदा को अंतिम रूप दे चुकी थी। विचार-विमर्श के बाद, आईएमसी ने यूएस\$ 612 पीएमटी की दर से डीएपी की दर को अनुमोदित किया। कैबिनेट ने पुनः संशोधित दरों को 28 अप्रैल 2011 को अनुमोदित किया तथा डीओएफ ने इसको 2011-2012 के लिए 5 मई 2011 को अधिसूचित किया। बेंचमार्क मूल्य का निर्धारण तथा राजसहायता पर इसका प्रभाव तालिका 7 में दर्शाया गया है:-

rkfydk 7 % 2011&12 ds fy, Mh, i h ds cpekdZ eW; ka dh xfr' khyrk

vkb/, el h cBd dh frffk	, uch, l njka dh vf/kl ipuk dh frffk	Mh, i h %cpekdZ eW; ½ ; w l \$ l h, Qvkj i h, eVh½	Mh, i h ds fy, jktl gk; rk ¼ h, eVh ₹ e½
8 uoEcj 2010	19 नवम्बर 2010	450	12960
14 Qjojh 2011 ²¹	9 मार्च 2011	580	18474
30 ekpZ 2011	5 मई 2011	612	19763

¹⁹ बेंचमार्क मूल्य से तात्पर्य है राजसहायता दरों के निर्धारण के लिए विचार की गई कीमत/प्रारंभिक बेंचमार्क कीमत गत एक वर्ष (अक्टूबर 2009 से सितंबर 2010) तक या गत छह महीनों अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक) जो भी कम हो की भारत औसत कीमत पर आधारित थी।

²⁰ सीएफआर-लागत और मालभाड़ा

²¹ 5वीं आईएमसी बैठक 11 और 14 फरवरी 2011 को की गई

नवम्बर 2010 में डीएपी का अनुशंसित बेंचमार्क मूल्य यूएस\$ 450 पीएमटी था। यह अभिलिखित रूप से पिछले एक वर्ष या छः महीने के उर्वरकों के भार के अनुसार औसत मूल्यों, में से जो कम हो, पर आधारित था, 2011-12 हेतु डीएपी की एनबीएस दर, जो यूएस\$ 450 पीएमटी के बेंचमार्क मूल्य पर आधारित थी, 19 नवम्बर 2010 को अधिसूचित की गई।

अधिकतर उर्वरक कम्पनियाँ मई 2010 से नवम्बर 2010 के दौरान यूएस\$ 495 पीएमटी से लेकर यूएस\$ 498 पीएमटी तक की दरों पर डीएपी का आयात/प्राप्त कर रही थीं। स्पष्टतः, उर्वरक कम्पनियों में से कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय उर्वरक कम्पनियों के साथ संविदाओं को अंतिम रूप नहीं दे सकी क्योंकि डीएपी के लिए राजसहायता के निर्धारण हेतु ली गई बेंचमार्क दर तत्कालीन आयात/क्रय की दरों से कम थी।

डीओएफ व उर्वरक उद्योग के मध्य फरवरी से मार्च 2011 के दौरान कई बार वार्ताएं हुईं। इसी अवधि के दौरान डीएपी के लैण्डेड मूल्य में वृद्धि हो गई। अन्ततोगत्वा, मई 2011 में डीओएफ ने 2011-12 के लिए डीएपी की राजसहायता को निश्चित करने हेतु बेंचमार्क मूल्य यूएस\$ 612 पीएमटी की दर से अधिसूचित किया। यह प्रारम्भ में निर्धारित की गई बेंचमार्क दर से 35 प्रतिशत अधिक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएपी की तत्कालीन प्राप्ति दरों को ध्यान में रखते हुए आईएमसी/डीओएफ द्वारा बेंचमार्क मूल्य के निर्धारण के कारण उर्वरक कम्पनियाँ ऐसी अधिसूचना²² के तुरन्त बाद अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबन्धों को अन्तिम रूप देने में समर्थ हो पाती। नवम्बर 2010 में बेंचमार्क दर का निर्धारण उचित स्तर पर न होने से भारत सरकार ने ₹5555²³ करोड़ का राजसहायता बचाने का अवसर खो दिया।

डीओएफ ने अपने उत्तर में कहा (जून 2014) कि 19 नवम्बर 2010 को घोषित पीएण्डके उर्वरक की राजसहायता दरें बहुत से कारकों को ध्यान में रखते हुए आईएमसी द्वारा निर्धारित की गई थी। तथापि, यह रिपोर्ट किया गया कि कोई भी कम्पनी फरवरी मध्य तक वैश्विक स्तर पर उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि होने के कारण 2011-12 के लिए आयात संविदा को अंतिम रूप नहीं दे पायी। उद्योग ने डीओएफ से एनबीएस दरों पर पुनर्विचार करने तथा बेंचमार्क मूल्यों को ऊपर की ओर संशोधित करने अथवा एमआरपी में समायोजन की अनुमति देने का आग्रह किया। किसानों के हितों की रक्षा के लिए बेंचमार्क मूल्यों को ऊपर की ओर संशोधित करने का निर्णय लिया गया और तदनुसार कैबिनेट की संस्तुति पर एनबीएस दरों को दो बार संशोधित किया गया। डीओएफ का मत था (अक्टूबर 2014) कि लेखापरीक्षा आपत्तियां काल्पनिक निष्कर्ष थी तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के चलन के वास्तविक विश्लेषण पर आधारित नहीं थी। बहुत से कारक, साथ मिलकर अथवा अलग-अलग, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को प्रभावित करते हैं। भारत पीएण्डके उर्वरकों का विश्व में बड़ा आयातक होने के कारण, फॉस्फेट और पोटैश के बड़े उत्पादकों अथवा आपूर्तिकर्ताओं के कॉर्टलाइजेशन का भी अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। देश में इन्वेंटरी स्तरों की पर्याप्त उपलब्धता, अच्छी मानसून अवस्थाएँ, उर्वरकों की अन्तर्राष्ट्रीय उपलब्धता आदि भी पीएण्डके उर्वरकों के आयात मूल्य को प्रभावित करते हैं। अतः लेखापरीक्षा द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि उर्वरक कम्पनियों द्वारा इस प्रकार के संविदा को अंतिम रूप देने में देरी के परिणामस्वरूप बेंचमार्क दरें ऊँची दरों पर निश्चित की गई तथा अतिरिक्त राजसहायता भार पड़ा ठीक नहीं था। इसके अतिरिक्त एनबीएस दरों को अंतिम रूप देने की प्रक्रियात्मक आवश्यकतायें जैसे की अंतर मंत्रालयी

²² उर्वरक कम्पनियों ने दिसम्बर 2010 से फरवरी 2011 तक यूएस\$ 497 में यूएस\$ 500 पीएमटी के औसत दर से डीएपी आयात किया। मार्च 2011 में खरीद नहीं हुई।

²³ वास्तव में अदा की गयी राजसहायता की तुलना उस राजसहायता से जो तब अदा की जाती यदि बेंचमार्क मूल्य यूएस\$ 500 सीएफआर पीएमटी पर निर्धारित किया जाता (यूएस\$ 500 के बेंचमार्क मूल्य पर राजसहायता आंकलन करने के लिए विचारित किए गए घटक अनुलग्नक V में दिये गए हैं) के मिलान से राजसहायता के प्रभाव का आंकलन किया है।

सलाह, कैबिनेट द्वारा विचार आदि ने भी इन दरियों में योगदान दिया। डीओएफ ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि लेखापरीक्षा ने इस मुद्दे पर अपनी आपत्तियाँ जताते समय देश में उर्वरकों की उपलब्धता का विश्लेषण नहीं किया है। पीएण्डके उर्वरकों के आयात हेतु कम्पनियों द्वारा संविदा किये जाने में असफलता से देश में उर्वरकों की कमी हो जायेगी क्योंकि अधिकांश पीएण्डके उर्वरक आयातित थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि लेखापरीक्षा ने आयातों के लिए संविदा न किये जाने के कारणों के विवरण का विश्लेषण नहीं किया था। आईएमसी ने एनबीएस दरों के संशोधन की अनुशंसा करने से पहले इस विषय पर विस्तृत विचार विमर्श किया था और इस कारण राजसहायता की कोई हानि अथवा राजसहायता का अधिक भुगतान नहीं हुआ था।

डीओएफ के उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के विपरीत देखने की आवश्यकता है:

- नवम्बर 2010 में, आईएमसी ने बेंचमार्क मूल्य (i) पिछले एक वर्ष (अक्टूबर 2009—सितम्बर 2010) या (ii) पिछले छः माहों, अप्रैल 2010 से सितम्बर 2010 के भारत औसत मूल्यों में से जो भी कम हो के आधार पर अनुशंसित किए। पिछले वर्ष के दौरान भारत औसत मूल्य यूएस\$ 449.73 पीएमटी और पिछले छः माह के दौरान यूएस\$ 499.58 पीएमटी था। अतः आईएमसी ने 2011—12 के लिए यूएस\$ 450 पीएमटी की दर (जो कि दोनों में से कम था) से डीएपी के बेंचमार्क मूल्य की अनुशंसा की, जिसे उर्वरक विभाग द्वारा 19 नवम्बर 2010 में अधिसूचित किया गया। जैसाकि डीओएफ द्वारा कहा गया, उर्वरकों के वैश्विक मूल्य बढ़ रहे थे। मूल्यों के बढ़ते समय, में पिछले एक वर्ष या पिछले छः महीने के भारत औसत मूल्य में से कम के मापदण्ड से पिछले एक वर्ष के भारत औसत मूल्य के बेंचमार्क मूल्य का निर्धारण हुआ जिसने उस समय प्रचलित मूल्य की उपेक्षा की। डीओएफ द्वारा बढ़ते मूल्य के प्रभाव पर विचार नहीं किये जाने के कारण 2011—12 के लिये डीएपी का बेंचमार्क मूल्य प्रचलित मूल्य की तुलना में कम पर निर्धारित हुआ तथा उर्वरक कम्पनियाँ डीएपी के आयात के लिये संविदा नहीं कर सकी।
- दिसम्बर 2010 से फरवरी 2011 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य यूएस\$ 497 पीएमटी से यूएस\$ 500 पीएमटी तक थे।
- जहां तक डीओएफ का दावा कि आयात के लिये संविदा न किये जाने के कारणों के विस्तार में लेखापरीक्षा नहीं गया, यह देखा गया कि सचिव (उर्वरक) और उर्वरक उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच 10 फरवरी 2011 को हुई सभा में उर्वरक उद्योग के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि 2011—12 के लिए नवम्बर 2010 में घोषित बेंचमार्क मूल्य उर्वरकों/उर्वरक निवेश के बढ़ते मूल्यों के कारण अपर्याप्त साबित हुए।
- लेखापरीक्षा का यह मत है कि बेंचमार्क मूल्य के नवम्बर 2010 में अतार्किक स्तर पर निर्धारण के कारण संविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी हुई और जब तक संविदाओं को अंतिम रूप दिया जा सका (मार्च 2011 के अन्त तक) अन्तर्राष्ट्रीय आयात मूल्यों में काफी वृद्धि हो गई।

अतः तथ्य यह है कि बेंचमार्क मूल्य के अतार्किक स्तर पर निर्धारण से संविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी हुई तथा परिणामस्वरूप भारत सरकार पर ₹5555 करोड़ अतिरिक्त राजसहायता का बोझ पड़ा।

वृद्धि के 5 % डीओएफ वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पहले बेंचमार्क मूल्य के निर्धारण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के प्रभाव या गति का ध्यान रखे जो उर्वरक कम्पनियों को अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता के साथ समय पर आवश्यकतानुसार प्राप्ति के लिये संविदा करने में सक्षम बना सके।

4-2 यफेर i kQkekZ ^ch*

एनबीएस के अन्तर्गत पीएण्डके उर्वरकों (एसएसपी के अलावा) के लिए राजसहायता के भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार डीओएफ पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादकों/आयातकों को 'ऑन अकाउंट' 85 प्रतिशत (90 प्रतिशत बैंक गारंटी के साथ) राजसहायता भुगतान जिलों/राज्यों में उर्वरकों की प्राप्ति के आधार पर निर्गत करता है। उत्पादक/आयातक 'ऑन अकाउंट' भुगतान का दावा कम्पनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एवं सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित निर्धारित प्रोफार्मा 'ए' में करते हैं। उर्वरक कम्पनियों द्वारा राजसहायता के शेष भुगतान (10-15 प्रतिशत) भी कम्पनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित निर्धारित प्रोफार्मा 'डी' के आधार पर दावा किया गया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा डीओएफ को निर्धारित प्रोफार्मा 'बी' में उर्वरक की प्राप्ति का प्रमाण पत्र देना आवश्यक था।

25 अक्टूबर 2012 को मोबाइल उर्वरक निगरानी प्रणाली (एम-एफएमएस) के प्रारंभ के साथ शेष धनराशि राज्य सरकारों द्वारा एम-एफएमएस पर मात्रा के प्रमाणन पर निर्गत किया जाएगा। मात्रा का प्रमाणन प्राप्ति की तिथि के 30 दिन के अन्दर दिया जायेगा, अन्यथा इसे प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। गुणवत्ता का राज्यों द्वारा प्रमाणन 180 दिनों के अन्दर दिया जाएगा। गुणवत्ता व मात्रा के संदर्भ में इन प्रमाण पत्रों को क्रमशः प्रोफार्मा 'बी1' व 'बी2' में दिया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 31 अक्टूबर 2014 तक पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में 4112 प्रोफार्मा 'बी' 2007-08 से 2013-14 की अवधि के लिए लम्बित थे। इनमें से 213 प्रोफार्मा 'बी' 'रियायत योजना' से संबंधित थे जबकि शेष 3899 एनबीएस योजना के कार्यान्वयन की अवधि से संबंधित थे। वर्ष-वार विवरण तालिका 8 में उल्लिखित है:

रकfydk 8 % यफेर i kQkekZ ^ch*

(₹ करोड़ में)

vof/k	o"kl	cdk; k i kQkekZ ^ch* dli l q; k
, uch, l l s i wZ	2007-08	91
	2008-09	98
	2009-10	24
	; kx	213
, uch, l ds nkj ku	2010-11	59
	2011-12	268
	2012-13	1079
	2013-14	2493
	; kx	3899
	dy ; kx	4112

वर्ष 2012-13 (पन्द्रहवीं लोकसभा) की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने उर्वरक राजसहायता की निष्पादन लेखापरीक्षा पर 81 वीं रिपोर्ट में अनुशांसा की कि "समस्या का आकार और अनाचारों के कारण राजसहायता भार के अन्तर्निहित परिणामों की दृष्टि में यह अत्यावश्यक है कि वास्तविक समय सूचना/ डाटा पर आधारित निवारक दण्डात्मक/वित्तीय दण्ड के कठोर प्रवर्तन के साथ कठोर सत्यापन जाँच

पद्धति का प्रावधान किया जाए। समिति यह भी चाहती है कि डीओएफ अधिक सख्त निगरानी प्रणाली और निरीक्षण पद्धति जिसमें भण्डार/बिक्री के प्रमाणन की सुस्पष्ट प्रक्रिया हो, के साथ आये जिससे कि चोरी, विचलन और राजसहायता उर्वरकों के निःसरण के भय को रोका जा सके।”

डीओएफ ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2014) कि जारी की गई संशोधित प्रक्रिया के (परिपत्र संख्या एफ. नम्बर डी(एफ.ए0)/सी.सी.ई./2011 दिनांक 25 अक्टूबर 2012 के अनुसार, शेष 10-15 प्रतिशत मात्रा का दावा राज्य सरकार द्वारा एम-एफएमएस के माध्यम से प्रमाणन तथा खुदरा व्यापारियों द्वारा एम-एफएमएस के माध्यम से उर्वरक प्राप्ति की पुष्टि की शर्तों के पूर्ण होने पर निर्गत किया जायेगा। राज्यों द्वारा मात्रा का प्रमाणन प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर दिया जाएगा अन्यथा इसे प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। राज्य द्वारा गुणवत्ता का प्रमाणन प्राप्ति के 180 दिनों के अन्दर दिया जाएगा। यद्यपि मात्रा प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ मान लिया गया था (यदि 30 दिन में प्राप्त नहीं हुआ) गुणवत्ता प्रमाणपत्र शेष दावे के भुगतान के लिए आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, राज्यों ने राज्यों में प्राप्त मात्रा को प्रमाणित करते हुए एफएमएस पर प्रोफार्मा ‘बी’ अपलोड करना जारी रखा। डीओएफ नियमित रूप से राज्य सरकारों को प्रोफार्मा ‘बी’ को प्रस्तुत करने हेतु कहती रही। जब भी राज्य सरकार द्वारा प्रोफार्मा ‘बी’ के माध्यम से मात्रा में कमी सूचित की जाती थी, डीओएफ दण्ड ब्याज के साथ उस मात्रा पर राजसहायता की वसूली किया करता था।

तथ्य यह है कि डीओएफ को प्रोफार्मा ‘बी’ के लंबे विलम्बन के मुद्दे पर ध्यान देने तथा विलम्बन को समाप्त करने के लिये समयबद्ध कार्य नीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब तक किये गये उपायों ने संतोषजनक परिणाम नहीं दिये हैं।

Vuqkd k 6 % डीओएफ प्रोफार्मा ‘बी’ की प्राप्ति तथा विलम्बन की विद्यमान निगरानी व्यवस्था की आलोचनात्मक रूप से समीक्षा करें तथा इस मुद्दे की तात्कालिकता/अनिवार्यता की भावना लाने के लिये तथा विलम्बन को समाप्त करने के लिये क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर स्थिति की आवधिक समीक्षा करने पर विचार करें।

4-3 , l , l i h d s f y , , d e f r e k y H k k M k j k t l g k ; r k i j ₹25-74 d j k M + d k v f / k d H k q r k u

सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) एक स्थानीय उर्वरक है, जो कि देश में ही लघु उद्योगों द्वारा स्वदेशी रूप से उत्पादित किया जाता है। जहाँ पर एसएसपी उत्पादन इकाइयाँ स्थित हैं, इसे उसके आस-पास के राज्यों में विक्रय किया जाता है। जबकि पीएण्डके उर्वरक प्राथमिक मालभाड़े (रेल मालभाड़ा और/अथवा डाइरेक्ट रोड मूवमेन्ट) के लिए योग्य थी, किन्तु एसएसपी के लिए इस प्रकार का प्रावधान नहीं था।

वर्ष 2010-11 के लिए एनबीएस के अन्तर्गत पीएण्डके उर्वरकों की प्रारंभिक दरें आईएमसी द्वारा मार्च 2010 में इसकी प्रथम बैठक में अनुशंसित की गई थी तथा डीओएफ द्वारा इन्हें 1 अप्रैल 2010 से क्रियान्वित किया गया था। एसएसपी को एनबीएस नीति में 1 मई 2010 से शामिल किया गया। 19 अगस्त 2010 को हुई दूसरी बैठक में, आईएमसी को सूचित किया गया कि उर्वरकों के द्वितीयक परिचालन (द्वितीयक मालभाड़ा) हेतु माल भाड़ा की क्षतिपूर्ति के लिए डीएपी तथा एमओपी की एनबीएस लागत की गणना के अंश के रूप में ₹300 पीएमटी जोड़ दिया गया है। इस प्रकार, द्वितीयक मालभाड़ा एनबीएस लागत में सम्मिलित हो गया। यद्यपि 8 नवम्बर 2010 को हुई तीसरी बैठक में द्वितीयक मालभाड़े के विषय पर चर्चा करते समय, आईएमसी ने निष्कर्ष निकाला कि एनबीएस लागत की गणना के अंश के रूप में द्वितीयक मालभाड़े के लिए जोड़ा गया ₹300 पीएमटी एक असंगति प्रतीत होती है

क्योंकि इसने उक्त भाड़ा को फार्म गेट तक पहुँचाने में सहायता प्रदान नहीं की थी और इस कारण इसे एनबीएस दरों से बाहर कर देना चाहिए। अतः आईएमसी ने जनवरी 2011 से वर्ष 2010-11 के लिए सभी पीएण्डके उर्वरकों हेतु इस सीमा तक एनबीएस दरों को कम करने की अनुशंसा की। आईएमसी ने निष्कर्ष निकाला कि इस समाप्ति का एसएसपी के संबंध में राजसहायता पर ₹104 पीएमटी का प्रभाव पड़ता। आगे, आईएमसी ने अनुशंसा की कि 'चूँकि एसएसपी के लिए स्पष्ट रूप से किसी भी मालभाड़े का भुगतान नहीं किया गया है, अतः मालभाड़े के रूप में उत्पादकों को 1 जनवरी 2011 से एकमुश्त ₹200 पीएमटी का भुगतान किया जाए।'

इसके अनुपालन में, डीओएफ ने दिसम्बर 2010 में, एसएसपी के लिए ₹200 पीएमटी का एकमुश्त माल भाड़े के भुगतान की अधिसूचना जारी की, यद्यपि इस भुगतान के विषय में कैबिनेट से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई। इसी दौरान, 1 अप्रैल 2011 से, डीओएफ ने आईएमसी की अनुशंसा पर एसएसपी के एमआरपी पर प्रतिबन्ध को वापिस ले लिया तथा एसएसपी उत्पादकों/विक्रेताओं को स्वयं एमआरपी निर्धारित करने की अनुमति दे दी गई।

6 जून 2011 को डीओएफ ने ₹200 पीएमटी की एकमुश्त मालभाड़ा राजसहायता प्रदान करने के लिए पूर्व प्रभाव से अनुमति प्राप्त करने हेतु सीसीईए के लिए एक ड्राफ्ट नोट तैयार किया तथा इसे डीओई तथा अन्य विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दिया (7 जून 2011)। डीओई ने दिनांक 22 जून 2011 और 23 अगस्त 2011 के अपने नोट के माध्यम से प्रस्ताव पर समर्थन नहीं दिया। डीओएफ ने 2 सितम्बर 2011 को डीओई के समक्ष पुनः यह कहते हुए आवेदन किया कि ₹200 पीएमटी की मालभाड़ा राजसहायता एसएसपी उद्योग को एनबीएस लागत में ₹104 पीएमटी की समाप्ति के स्थान पर प्रदान की गई थी और ₹200 पीएमटी के भुगतान को बन्द करने की बजाय ₹96 पीएमटी जो कि ₹104 के अतिरिक्त है, को रोका जा सकता था। इसके अतिरिक्त, डीओएफ ने डीओई से इस अधिक भुगतान की वसूली के लिए प्रभावी तिथि का सुझाव देने का निवेदन किया। उत्तर में डीओई ने 8 दिसम्बर 2011 को अपना पूर्व मत यह कहते हुए दोहराया कि "इस विभाग का सुविचारित मत है कि 1 अप्रैल 2011 यानि कि उस दिन जब से एसएसपी के एमआरपी को नियन्त्रणमुक्त कर दिया गया था, और राजसहायता को ₹4296 पीएमटी से बढ़ाकर ₹5359 पीएमटी कर दिया गया था से एसएसपी पर किसी प्रकार की मालभाड़ा राजसहायता के भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं है।" इस दौरान, डीओएफ ने अगस्त 2011 में एसएसपी पर मालभाड़ा राजसहायता का निलम्बन कर दिया।

इस विषय पर 23 दिसम्बर 2011 को हुई आईएमसी की नवीं बैठक में पुनः विचार किया गया तथा यह निर्णय किया गया कि चूँकि डीओएफ ने अगस्त 2011 में एसएसपी पर मालभाड़ा राजसहायता के निलम्बन की घोषणा की थी, अतः अगस्त 2011 तक हुई एसएसपी की बिक्री पर ₹200 पीएमटी की दर से एकमुश्त मालभाड़ा राजसहायता का भुगतान किया जा सकता है। उपरोक्त निर्णय के अनुसार एक ड्राफ्ट सीसीईए नोट तैयार किया गया तथा 30 मार्च 2012 को परिचालित किया गया। डीओई ने एसएसपी के लिए किसी भी प्रकार की एकमुश्त मालभाड़ा राजसहायता के भुगतान के प्रस्ताव को पूर्व में तीन बार अस्वीकृत करने के बावजूद, डीओएफ के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। तत्पश्चात्, 1 जनवरी 2011 से 31 अगस्त 2011 तक एसएसपी को 200 पीएमटी की दर से एकमुश्त मालभाड़ा राजसहायता के भुगतान के लिए कैबिनेट ने पूर्व प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि एसएसपी के लिए एनबीएस नीति के प्रारंभ से पहले, एसएसपी के संचालन के लिए कोई भी मालभाड़ा राजसहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा था, इसका कारण यह बताया गया कि एसएसपी स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाला मूलतः एक स्थानीय उत्पाद है फिर भी बड़े पीएण्डके/यूरिया उर्वरक उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा विभिन्न राज्यों में इस उत्पाद के विपणन के पश्चात् एसएसपी का एक राज्य से दूसरे में स्थानांतरण शुरू हो गया था।

इसके परिणामस्वरूप, एनबीएस नीति में, एसएसपी को द्वितीयक मालभाड़ा राजसहायता के योग्य बनाया गया। एसएसपी के एनबीएस दरों में शामिल द्वितीयक मालभाड़ा राजसहायता का अंश ₹104 पीएमटी था जिसका मई 2010 से दिसम्बर 2010 तक भुगतान किया गया। जबकि, एनबीएस नीति से द्वितीयक मालभाड़ा अंश के निकाले जाने के बाद, आईएमसी की सिफारिश पर एक एकमुश्त मालभाड़ा राजसहायता ₹200 पीएमटी की दर से एसएसपी के लिए प्रारम्भ किया गया।

लेखापरीक्षा ने अनुभव किया कि जब द्वितीयक मालभाड़ा राजसहायता को हटाने का असर केवल ₹104 पीएमटी था, तो ₹96 पीएमटी (₹200-₹104) का अतिरिक्त भुगतान करना न्यायसंगत नहीं था और इसके परिणामस्वरूप ₹25.74²⁴ करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

डीओएफ ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2014) में कहा कि:

- एसएसपी मालभाड़ा के मामले में हमेशा ही पीएण्डके उर्वरकों से अलग समझा गया था। जबकि पीएण्डके उर्वरक प्राथमिक मालभाड़ा और डाइरेक्ट रोड मूवमेन्ट के मालभाड़ा के योग्य थे, एसएसपी जो कि लघु उद्योग द्वारा देश में ही स्वदेशी रूप से तैयार की जाती थी, के लिए प्राथमिक मालभाड़ा की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रारम्भ में, पीएण्डके उर्वरकों में एसएसपी को शामिल करते हुए, के लिए राजसहायता के निर्धारण में द्वितीयक मालभाड़ा शामिल किया गया। जब यह आईएमसी के ध्यान में लाया गया कि द्वितीयक मालभाड़ा का अंश किसानों तक कटौती किए गए मूल्य के रूप में पहुंच नहीं पा रहा है, तब आईएमसी ने द्वितीयक मालभाड़ा अंश को एनबीएस दरों से निकालने का निर्णय लिया। इसके अनुसार ही, एनबीएस की दरों को 1 जनवरी 2011 से द्वितीयक मालभाड़ा अंश को निकाल कर ठीक किया गया लेकिन प्राथमिक मालभाड़ा और द्वितीयक मालभाड़ा का भुगतान एकरूप मालभाड़ा नीति जो कि एसएसपी को छोड़कर सभी पीएण्डके उर्वरकों तथा यूरिया पर लागू थी, पर किया गया। परिणामस्वरूप एनबीएस दरों पर एसएसपी के लिए उपलब्ध द्वितीयक मालभाड़ा को वापिस ले लिया गया।
- यद्यपि, एसएसपी को किसी प्राथमिक मालभाड़े का भुगतान नहीं हो रहा था और द्वितीयक मालभाड़े को भी 1 जनवरी 2011 से वापिस ले लिया गया; आईएमसी ने 1 जनवरी 2011 से प्राथमिक और द्वितीयक दोनों मालभाड़े के स्थान पर ₹200 पीएमटी के एकमुश्त मालभाड़े की अनुषंसा की, न कि एनबीएस गणना से हटाए गए द्वितीयक मालभाड़े के स्थान पर। 1 अप्रैल 2011 से एसएसपी के मूल्यों के विनियंत्रण के बाद भी, इस ₹200 पीएमटी की एकमुश्त राजसहायता का भुगतान संयंत्र से रेक प्वाइंटों और फिर जिला मुख्यालयों (डीलर बिन्दुओं) तक एसएसपी के परिचालन की प्रतिपूर्ति के लिये जारी रहा। चूँकि ₹200 पीएमटी की एकमुश्त मालभाड़ा राजसहायता 1 जनवरी 2011 से एनबीएस दरों की गणना से हटाए गए द्वितीयक मालभाड़े के स्थान पर नहीं थी, इसलिए सरकार को न तो अतिरिक्त राजसहायता का भार पड़ा न ही मालभाड़ा व्यय का नुकसान हुआ। मालभाड़ा दरों के लिए कैबिनेट की स्वीकृति के संबंध में, यद्यपि डीओएफ राजसहायता दरों को तय करने हेतु निर्णय लेने में सक्षम था, किन्तु मालभाड़ा राजसहायता दरों के मामले में, विभाग ने कैबिनेट की स्वीकृति लेने का निर्णय लिया। चूँकि एसएसपी पर एकमुश्त मालभाड़े के प्रस्ताव पर सीसीईए की स्वीकृति पूर्व प्रभाव से थी, इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की असहमति का कोई कारण नहीं था। इस मामले में निर्णय लेने में कोई देरी भी नहीं थी।

²⁴ ₹96 X 2680767.88 एमटी जो कि 1 जनवरी 2011 से 31 अगस्त 2011 की अवधि में बेची गयी एसएसपी की मात्रा है।

- डीओएफ ने समापन सम्मेलन के दौरान कहा (नवम्बर 2014) कि 1 जनवरी 2011 से 31 अगस्त 2011 तक एसएसपी के संचालन के लिए ₹200 पीएमटी एकमुश्त मालभाड़ा अनुमोदित किया गया, वह 1 जनवरी 2011 से एनबीएस दर की गणना से समाप्त किये गये द्वितीयक मालभाड़ा के घटक के स्थान पर नहीं था। एनबीएस दरों की गणना से द्वितीयक मालभाड़ा अंश को 1 जनवरी 2011 से निकालने के पश्चात्, द्वितीयक मालभाड़ा सभी पीएण्डके उर्वरकों को एसएसपी के अलावा, एकरूप मालभाड़ा राजसहायता नीति के तहत दिया गया। विभाग ने एसएसपी पर जनवरी से अगस्त 2011 तक मालभाड़ा राजसहायता के भुगतान हेतु कैबिनेट की अनुमति ले ली थी। व्यय विभाग जबकि प्रारंभ में इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ, किन्तु बाद में प्रस्ताव के ड्राफ्ट कैबिनेट नोट पर अन्तर मंत्रालयी सलाह के दौरान इस प्रस्ताव पर राजी हो गया।

डीओएफ के उत्तर को इन तथ्यों के प्रकाश में देखा जाना चाहिए:

- आईएमसी ने ₹200 पीएमटी की दर से एकमुश्त मालभाड़ा राजसहायता की सिफारिश की, जबकि द्वितीयक मालभाड़ा राजसहायता अंश को एसएसपी के वर्तमान राजसहायता से निकालने का प्रभाव केवल ₹104 पीएमटी था। इसके अतिरिक्त, डीओएफ का इस संदर्भ में विचार था कि मालभाड़ा राजसहायता द्वितीयक मालभाड़ा के स्थान पर नहीं था, यह पाया गया कि डीओएफ ने ₹96 पीएमटी के दर से की जाने वाली वसूली की तिथि पर डीओई के (सितम्बर 2011) विचार लेते समय स्पष्ट रूप से कहा था कि राजसहायता द्वितीयक मालभाड़ा को हटाने के स्थान पर है।
- इसके अतिरिक्त एसएसपी पर ₹200 पीएमटी की दर से एकमुश्त मालभाड़ा राजसहायता केवल आठ माह अर्थात् 1 जनवरी 2011 से 31 अगस्त 2011 तक दी गई थी, जिसके लिए डीओएफ ने सीसीईए की पूर्व प्रभाव स्वीकृति 3 जुलाई 2012 को ली थी। सीसीईए द्वारा उपरोक्त भुगतान की अनुमति दिये जाने के कई कारणों में एक था कि एकमुश्त मालभाड़ा राजसहायता का भुगतान एसएसपी उद्योग को 31 अगस्त 2011 तक पहले ही किया जा चुका था।
- इसके अतिरिक्त, अगस्त 2011 से स्वयं ही मालभाड़ा राजसहायता की समाप्ति (द्वितीयक मालभाड़ा अन्य एनपीके उर्वरकों के संबंध में अप्रैल 2012 से वापस लिया गया था) तथा उसके पश्चात् एसएसपी को प्राथमिक भाड़ा के लिये कोई भुगतान न करना इस तथ्य को इंगित करता है कि ₹104 पीएमटी के स्थान पर ₹200 पीएमटी की दर से एकमुश्त भुगतान करने का कोई सही आधार नहीं था और इसलिए डीओएफ का उत्तर बाद में किए गए सोच विचार जैसा प्रतीत होता है।

4-4 i h, .Mds mRi kind dEi fu; ka }kjk l Lrh ?kjsy@, i h, e ¼i z kkl fud eW; ka du ra=½ xS ka ds iz; ks ds dkj .k gg ykHk dh ol wyh ugha djuk

नाइट्रोजन ('एन') एक एनपीके पोषक तत्व है, जो सीधे तौर पर अमोनिया से निकलता है और कुछ मामलों में यह आयतित उर्वरकों मुख्यतः यूरिया और डीएपी से निकाला जाता है।

डीओएफ ने पाया (सितंबर 2010) कि मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन के प्रयोग हेतु सस्ती घरेलू/एपीएम गैस के प्रयोग से तैयार किया स्वदेशी अमोनिया कम्पनियों के लिए आयातित अमोनिया से अपेक्षाकृत सस्ती कीमत का था। तीन कम्पनियाँ जिनका नाम राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड (आरसीएफ), दीपक फर्टिलाइज़र्स एवं पेट्रोकेमिकलस कार्पोरेशन लिमिटेड (डीएफसीएल) और गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र्स एवं केमिकल्स कम्पनी (जीएसएफसी) एपीएम/घरेलू गैस का प्रयोग कर रहीं थीं।

एनबीएस नीति के अंतर्गत, स्थिर राजसहायता वार्षिक आधार पर घोषित की गई, जो अमोनिया के उत्पादन हेतु फीडस्टॉक के प्रयोग पर आधारित नहीं थी। इसके अतिरिक्त, पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी को मुक्त किया गया और उत्पादकों/आयातकों को उचित स्तर पर एमआरपी को निर्धारित करने की अनुमति दी गई। इसीलिए, उन उत्पादकों जिन्होंने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा आवंटित सस्ती घरेलू गैस का प्रयोग किया, को अनुचित लाभ मिला, क्योंकि उनके द्वारा तैयार एनपीके उर्वरकों का एमआरपी अन्य उत्पादकों, जो आयतित अमोनिया का प्रयोग कर रहे थे, के बराबर था।

इसलिए, एमओपीएनजी ने (दिसम्बर 2011) पीएण्डके उर्वरक संयंत्रों को केजीडी 6 गैस की आपूर्ति बन्द करने और इसे केवल यूरिया संयंत्रों को जारी रखने का प्रस्ताव दिया क्योंकि इसका भारत सरकार की राजसहायता भुगतान पर प्रभाव पड़ रहा था। डीओएफ ने यद्यपि इन संयंत्रों को आपूर्ति जारी रखने का सुझाव दिया एवं आश्वासन दिया कि उन उर्वरक इकाइयों जो यूरिया के अतिरिक्त कोई अन्य उत्पाद उत्पादित कर रही थी, से वसूली के लिए आयतित अमोनिया या किसी अन्य बेंचमार्क से मूल्य के अन्तर के आधार पर, विशेष मार्गदर्शिकाएँ तैयार की जाएँगी।

अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (ईजीओएम) ने अपनी बैठक में जोकि 24 फरवरी 2012 को हुई, एमओपीएनजी के प्रस्ताव के साथ डीओएफ के सुझावों पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि पीएण्डके संयंत्र जो सस्ती गैस प्रयोग कर रहे थे, (आरसीएफ, डीएफसीएल और जीएसएफसी) को केजीडी 6 गैस की आपूर्ति को स्थगित करने व साथ ही भविष्य में केवल यूरिया संयंत्र को आपूर्ति सीमित करने के प्रस्तावों पर 24 मई 2012 तक रोक लगाने का निर्णय लिया। इस अवधि में, डीओएफ को उर्वरक कम्पनियों द्वारा सस्ती घरेलू गैस के प्रयोग द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ की वसूली हेतु दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना था। डीओएफ ने ड्राफ्ट दिशानिर्देशों को अप्रैल 2012 में तैयार करने का कार्य शुरू किया। राज्य मंत्री (एमओएस) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने अपने नोट (नवंबर 2013) में यह निर्देश दिया कि दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने में देरी को देखते हुए डीओएफ को अस्थायी वसूली प्रारम्भ कर देनी चाहिए। यह निर्देश एमओएस ने दिसंबर 2013 में फिर से दोहराया। इसके अनुसार, 6 जनवरी 2014 को डीओएफ ने उपरोक्त तीन कम्पनियों को वसूली के आदेश जारी किए।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि ईजीओएम के फरवरी 2012 के निर्देशों के बावजूद भी, डीओएफ ने ना तो ऐसी वसूली के लिए कोई दिशानिर्देश तैयार किए और ना ही कोई अस्थायी वसूली की (नवंबर 2014)। इसके परिणामस्वरूप, इन उर्वरक कम्पनियों को पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादन के लिए सस्ती एपीएम गैस मिलती रही और अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता रहा।

डीओएफ ने अपने उत्तर (जुलाई 2014) में कहा कि 24 फरवरी 2012 की बैठक में लिए गए, ईजीओएम के निर्देशों पर विभाग ने पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादन हेतु सस्ती घरेलू गैस के प्रयोग से डीएफसीएल, जीएसएफसी और आरसीएफ द्वारा 24 मई 2012 से प्राप्त अनुचित लाभों की वसूली हेतु दिशानिर्देशों को अंतिमरूप देने का कार्य शुरू कर दिया है।

डीओएफ ने यह भी सूचित किया कि:

- जीएसएफसी ने दिनांक 6 जनवरी 2014 के डीओएफ के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, अहमदाबाद से रोक का आदेश ले लिया। डीएफसीएल ने भी डीओएफ आदेश को माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में चुनौती दी, लेकिन अभी कोई रोक का आदेश प्राप्त नहीं हुआ। आरसीएफ ने अभी न्यायालय का रुख नहीं किया है (जुलाई 2014)।

- डीओएफ ने (अक्टूबर 2014) पुनः उत्तर दिया कि यूरिया और पीएण्डके उर्वरक उत्पादन में अमोनिया की मात्रा की गणना में कठिनाई जैसे विभिन्न कारकों के कारण इस मामले को एनबीएस नीति के अन्तर्गत आईएमसी जिसमें एमओपीएनजी तथा विधि मामले विभाग से सदस्य होंगे, को सौंपने का निश्चय किया गया जो इस मामले की विस्तृत जाँच करें और सुझाव प्रस्तुत करें। आईएमसी के सुझाव के पश्चात्, मामले को कैबिनेट के सामने निर्णय के लिए रखा जाएगा। इसी बीच, तीन कम्पनियों में से एक कम्पनी डीएफसीएल को एपीएम गैस आपूर्ति 14 मई 2014 से रोक दी गयी। इस मामले पर आईएमसी की पहली बैठक 16 अक्टूबर 2014 को सम्पन्न हुई।

उत्तर को इन तथ्यों के विरुद्ध देखने की आवश्यकता है कि:

- ईजीओएम के निर्देशों के दो वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी डीओएफ ने वसूलियों के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप नहीं दिया, जिस अवधि के दौरान उर्वरक निर्माण करने वाली कम्पनियाँ अतिरिक्त लाभ उठाती रहीं। यद्यपि मई 2014 में डीएफसीएल को दी जाने वाली सस्ती गैस की आपूर्ति को बंद कर दिया गया, लेकिन जीएसएफसी/आरसीएफ को इस प्रकार की गैस की आपूर्ति जारी (अक्टूबर 2014) रही।
- इसके अतिरिक्त, डीओएफ के आंतरिक वित्त प्रभाग द्वारा इस तथ्य पर जोर दिए जाने के बावजूद कि वसूली को 1 अप्रैल 2010 से किया जाना चाहिए, जो कि एनबीएस नीति के प्रारम्भ होने की तारीख है, डीओएफ 24 मई 2012 से वसूली पर विचार करता रहा, यद्यपि यह तारीख केवल एक लक्षित तारीख है जो ईजीओएम द्वारा डीओएफ को इस प्रकार की वसूलियों को प्रभावी बनाने हेतु दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए दी गई थी।

पीएण्डके उर्वरकों की तुलना में यूरिया के उत्पादन के लिए अमोनिया के उपयोग पर आँकड़े की अनुपलब्धता के कारण इस वसूली के न होने के वित्तीय प्रभाव को लेखापरीक्षा द्वारा नहीं निकाला जा सका।

4-5 fu; æ.keDr i h, .Mds moĵ dka ds l ærk ea ekfl d vki frl ; kstuk ¼, e, l i h½

राज्य सरकारों की सलाह से डीएसी द्वारा माह-वार और राज्य-वार उर्वरकों की मांग का अनुमान तथा आंकलन किया जाता है। इसी को डीओएफ को सूचित कर दिया जाता है क्योंकि यह विभाग राज्यों की मांग को उपलब्ध साधनों से पूरा करने के लिए अधिकृत है। उर्वरकों की प्रस्तावित आवश्यकता को पूरा करने के लिए डीओएफ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/कम्पनियों/आपूर्तिकर्ताओं के लिए एमएसपी प्रत्येक माह के 25वीं को या उससे पहले, अगले माह के लिए जिसके लिए प्रयोजन किया जा रहा है, तैयार करता है।

लेखापरीक्षा ने जबकि यह पाया कि उर्वरक कम्पनियों के लिए डीओएफ द्वारा तैयार प्रारंभिक एमएसपी माह के शुरू होने से पहले या तो 'शून्य' या अति न्यूनतम मात्रा में निर्धारित करके जारी किए। उर्वरक कम्पनी द्वारा वास्तविक आपूर्ति की मात्रा के आधार पर जोकि आवश्यक रूप से डीओएफ द्वारा आरंभ में नियोजित की गई मात्रा से काफी अधिक थी, नियोजित मात्रा का नियमन इस आधार पर किया गया कि (i) कम्पनियों ने अतिरिक्त उर्वरक का उत्पादन किया, (ii) पत्तन से माल को हटाना पड़ा, (iii) बचे हुआ माल की आपूर्ति की गई, (iv) राज्य सरकार की आवश्यकता, (v) आयातित उर्वरक का पत्तन पर पहुँचना (vi) रोक मात्रा को बनाये रखना तथा (vii) पूर्व एमएसपी के आधार पर की गई आपूर्ति इत्यादि। कुछ मामलों में अधिक मात्रा की राशि बिना कारण निर्धारित किये विनियमित की गई। 101 मामलों में, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान एमएसपी में वर्णित शून्य मात्रा के विरुद्ध 447116 एमटी पीएण्डके

उर्वरक की आपूर्ति/विनियमन किया गया। इस प्रकार के मामलों के उदाहरण जहाँ आरंभिक नियोजित मात्रा को बहुत बढ़ी हुई मात्रा में, उस माह की वास्तविक उर्वरक आपूर्ति के बाद नियमित किया गया, **vuyxud VI** में दिए गए हैं। यद्यपि उर्वरक कम्पनियों और डीएसी ने उर्वरक की उपलब्धता और आवश्यकता की पूर्व सूचना डीओएफ को दी, डीओएफ ने वास्तविक एसएसपी का आंकलन क्षेत्र में आवश्यकता के आधार पर नहीं किया।

डीओएफ ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि एमएसपी कम्पनियों द्वारा दिए गए पिछले माह के उत्पादन और आयात के आंकलनों के आधार पर तैयार किया जाता था। इसलिए एमएसपी मूलतः आंकलित प्रेषण की योजना है जो कि माह में अपेक्षित हो सकती है। लेकिन एफएमएस में राजसहायता का भुगतान प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। अतः एमएसपी जोकि नियमित किया गया, वह राज्यों के वास्तविक प्राप्ति को दर्शाता है जोकि राज्य की वास्तविक मांग का सही प्रतिबिंब है। इसलिए, क्योंकि आरंभिक एमएसपी, जोकि मूलतः प्रेषण को शामिल करता है, राज्यों में वास्तविक प्राप्ति के आधार पर नियमित करने की सदा आवश्यकता रहेगी। एफसीओ के अनुसार पीएण्डके उर्वरक केवल 20 प्रतिशत तक तथा यूरिया को 50 प्रतिशत तक नियमित किया जा सकता है अतः एमएसपी को समान तौर पर लेने से राज्यों की उपलब्धता पर विपरीत असर होगा। डीओएफ ने फिर उत्तर दिया (मार्च 2015) कि यद्यपि डीएसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाये हैं कि उर्वरकों के आंकलन की प्रक्रिया ज्यादा तर्कसंगत, वैज्ञानिक और वास्तविक हो, उर्वरकों का वास्तविक उपयोग मौसम विशेष के दौरान जारी उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनके कारण किसानों द्वारा उर्वरकों की वास्तविक मांग बदल जाती है। फील्ड डिस्पैच की आपूर्ति कई घटकों पर निर्भर करती है, इसलिए यह हमेशा एमएसपी से अलग होगी। कम्पनियों के स्टॉक की स्थिति और राज्यों की आवश्यकता के आधार पर डीओएफ द्वारा एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। आपूर्ति को आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। जिलों में किसानों के लिए उर्वरकों की अधिक उपलब्धता हर प्रकार से श्रेष्ठ होती है क्योंकि कमी के कारण कालाबाज़ारी होती है।

डीओएफ का उत्तर इस तथ्य के प्रकाश में देखा गया है कि :

- i. आरंभिक एमएसपी आंकलित आपूर्ति पर आधारित था जो उस माह के दौरान संभव हो तथा विनियमित एमएसपी राज्य में प्राप्तियों पर आधारित था। इस प्रकार, इससे यह प्रतीत होता है कि इन दोनों सप्लाय योजनाओं में दर्शाई गई मात्राओं के बीच में कोई समन्वय नहीं था। इसलिये, यदि अग्रिम तौर पर बनाये गये एमएसपी में वर्णित मात्रा से बिना किसी संबंध के उर्वरक कम्पनियों द्वारा आपूर्ति की गई सम्पूर्ण मात्रा को विनियमित किया जाना था, तो फिर राज्य की आवश्यकता प्रस्तावित करने के लिए अग्रिम रूप से बनाया गया एमएसपी का उद्देश्य विफल हो जाता है।
- ii. उर्वरक कम्पनियां वास्तविक आवश्यकता से अधिक आपूर्ति कर इस पर राजसहायता ले सकने के अवसर (क्योंकि 85 प्रतिशत 'आन अकाउंट' राजसहायता, प्राप्ति के आधार पर गई अर्थात उर्वरक कम्पनियों द्वारा की गई आपूर्ति पर) के तर्क को नकारा नहीं जा सकता।
- iii. इसके अतिरिक्त, राज्यों में उर्वरकों की वास्तविक आवश्यकता की तुलना में अधिक उपलब्धता के परिदृश्य में, राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के गैर कृषि उद्देश्यों में प्रयोग के लिए विपणन के अवसरों और अवैधानिक निर्यातों की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता।

vud kd k 7 % डीओएफ एक तंत्र की स्थापना करे जो यह सुनिश्चित करे कि डीएसी द्वारा अनुमानित माह-वार तथा राज्य-वार उर्वरकों की मांग के आधार पर उर्वरकों की आवश्यकता का अग्रिम आंकलन हो पाए तथा उर्वरकों की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति की व्यवस्था का समन्वय करे।

4-6 vko' ; drk l s vf/kd Mh, ih²⁵ dk vk; kr djus ds dkj.k jktl gk; rk dk vufpr Hkqrku

एनबीएस के अधीन राजसहायता भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार, ज़िला/राज्यों में उर्वरकों की प्राप्ति के आधार पर 85 प्रतिशत राजसहायता पहले दी जाती है। शेष 15 प्रतिशत राजसहायता का दावा उर्वरक कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित प्रोफार्मा 'डी' में दी गई सूचना के आधार पर किया जाता है जो कम्पनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित होता है।

डीओएफ आईएमसी की अनुशंसाओं के आधार पर प्रतिवर्ष एनबीएस दरें घोषित करता है, जो पूरे वर्ष के लिए लागू रहती हैं। 2011-12 के लिए डीएपी की एनबीएस दर ₹19763 पीएमटी थी। आईएमसी ने 17 जनवरी 2012 को सम्पन्न हुई बैठक में 2012-13 के लिए डीएपी की राजसहायता को घटाने का निर्णय लिया। इसके पश्चात् आईएमसी ने 7 फरवरी 2012 को हुई बैठक में डीएपी के लिए ₹14350 पीएमटी राजसहायता की अनुशंसा की। इन दरों को 29 मार्च 2012 में अधिसूचित किया गया।

डीओएफ द्वारा दिनांक 8 फरवरी 2012 की अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

- फरवरी 2012 और मार्च 2012 के दौरान यूरिया के अलावा आने वाले डीएपी (एमएपी/टीएसपी/डीएपी लाईट), एनपीके (सभी ग्रेड) और एमओपी उर्वरकों को अगले आदेश आने तक पत्तन से किसी भी राज्य को निर्गत नहीं किया जाएगा।
- 1 फरवरी 2012 (31 जनवरी 2012 को अंतिम स्टॉक) तक पहले से उपलब्ध उर्वरकों को फरवरी तथा मार्च के महीनों के दौरान ही निर्गत किया जाएगा।
- यदि फरवरी 2012 माह के लिए आपूर्ति योजना को महीने के दौरान आयातों को सम्मिलित करते हुए दर्शाया गया है तो फरवरी 2012 माह के दौरान आपूर्ति योजना आयात के अनुपात में कम रहेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि फरवरी 2012 माह के लिए डीएपी के एमएसपी के अनुसार, जिसे 25 जनवरी 2012 को विभिन्न उर्वरक कम्पनियों के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकारों को जारी किया गया था, डीएपी के लिए महीने की आवश्यकता 4.08 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) थी जिसकी तुलना में माह के लिए स्वदेशी और आयातित आपूर्तियां क्रमशः 5.30 एलएमटी और 8.79 एलएमटी थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि डीओएफ ने अपनी 8 फरवरी 2012 की अधिसूचना में पत्तनों से उर्वरकों के निर्गमन रोकने के निर्णय के लिए कोई कारण वर्णित नहीं किये थे।

हालाँकि 28 फरवरी 2012 को डीओएफ ने अपने लिए गए निर्णय को बदल दिया तथा तत्कालीन संयुक्त सचिव ने टिप्पणी की कि "चर्चा के अनुसार फरवरी/मार्च के दौरान उर्वरकों के निर्गत को रोकने के आदेश पत्तनों की व्यस्तता के कारण दिए गए थे। अब व्यस्तता की कोई भी सूचना नहीं है, इसलिए अब हम एक नया आदेश जारी कर के फरवरी 2012 में आ चुके उर्वरकों को निर्गत कर सकते हैं"। सचिव, डीओएफ ने इसे 28 फरवरी 2012 को अनुमोदित किया। हालाँकि, पोतों की व्यस्तता होने/न होने के संबंध में दस्तावेज नहीं पाए गए।

²⁵ एमएपी/टीएसपी/डीएपी लाईट सहित

फरवरी 2012 तथा मार्च 2012 महीनों के लिए डीएपी की वास्तविक आवश्यकता, राज्यों में प्रारंभिक स्टॉक, प्राप्त मात्रा, विक्रय मात्रा का विवरण निम्न है:

रक्यदक 9 % Qjoj h rFkk ekpl 2012 es Mh, i h dh vko'; drk , oa mi yC/krk

विक्रय, य, एवम एड

ekg@o"kl ¼, ½	vko' ; drk ¼h½	j kT; ka ea i kj fEHkd LVKb ¼ h½	j kT; ka }kjk i kfr %okLrfod½			j kT; ka mi yC/krk ¼th= I h+, Q½	fcØh ²⁶ ¼, p½	vfUre LVKb ¼/kb=, p& th½
			Lons kh ¼Mh½	vk; kfr ¼b½	; ksx ¼, Q= Mh+b½			
Qjoj h 2012	4.08	8.77	4.41	8.72	13.13	21.90	11.85	10.05
ekpl 2012	2.99	10.05	3.76	4.76	8.52	18.57	14.57	4.00

इस संदर्भ में निम्नानुसार को पाया गया:

- फरवरी 2012 के लिए डीएपी की आवश्यकता 4.08 एलएमटी थी। इसके विरुद्ध, 1 फरवरी 2012 को 8.77 एलएमटी, डीएपी क्षेत्रों/राज्यों में पहले से ही उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त 4.41 एलएमटी स्वदेशी डीएपी की इसी माह के दौरान प्राप्ति हुई। इस प्रकार, फरवरी 2012 के लिए डीओएफ के पास 13.18 एलएमटी डीएपी थी। इसलिए, राज्यों को फरवरी 2012 के दौरान 8.72 एलएमटी आयातित डीएपी की आपूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी।
- इसके अतिरिक्त, मार्च 2012 के वास्तविक आँकड़ों के विश्लेषण ने भी यही दर्शाया। 2.99 एलएमटी, डीएपी की मासिक आवश्यकता, जो कि 3.66 एलएमटी, के स्वदेशी उत्पादन से पूरी हो सकती थी, के बावजूद आयातित डीएपी की 4.76 एलएमटी को राज्यों को दिया गया।
- डीओएफ में फरवरी 2012 तथा मार्च 2012 के दौरान आने वाले आयातित डीएपी (साथ ही साथ अन्य पीएण्डके उर्वरक) को निर्गत न करने के 8 फरवरी 2012 को लिए गए निर्णय के संदर्भ में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। उपलब्ध मात्रा, स्वदेशी डीएपी की आपूर्ति आदि को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त निर्णय की तार्किकता यह प्रकट करती है कि मासिक आवश्यकता की पूर्ति स्वदेशी उत्पादन तथा पिछले महीनों के बकाया शेष से की जा सकती थी। हालाँकि, 7 फरवरी 2012 को 2012-13 के लिए डीएपी की राजसहायता दर में कमी किए जाने के बाद 28 फरवरी 2012 को उक्त निर्णय के बदलाव ने उर्वरक कम्पनियों को आयातित उर्वरकों को जिला स्तर पर निर्गत करने और इस पर 2011-12 की उच्च दरों पर राजसहायता की माँग करने हेतु समर्थ बनाया। यदि पहले लिया गया निर्णय निरस्त नहीं किया गया होता, तो उर्वरक कम्पनियों को मार्च 2012 से पहले आयात किए गए डीएपी पर 2011-12 के लिए निर्धारित ₹19763 पीएमटी की उच्च दरों के बजाय 2012-13 के लिए निर्धारित की गई ₹14350 पीएमटी की कम दरों पर राजसहायता मिलती।

²⁶ यह प्रथम बिन्दु पर बिक्री (यानि कि थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता आदि को बिक्री) को दर्शाता है न कि अन्तिम उपभोक्ता को बिक्री

- लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 8 फरवरी 2012 के आदेश में जैसाकि डीओएफ के 28 फरवरी 2012 के नोट में दर्शाया गया था, यह उल्लेख नहीं करता कि पोतों की व्यस्तता के कारण प्रतिबन्धों को लगाया गया था; लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए किसी भी अभिलेख में यह नहीं पाया गया कि उक्त अवधि के दौरान कोई भी पत्तन व्यस्तता थी और फरवरी 2012 तथा मार्च 2012 के लिए डीएपी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, आयातित डीएपी की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं थी।

फिर भी उर्वरक कम्पनियों आयातित डीएपी को जिला मुख्यालयों को निर्गत करने में समर्थ रहीं एवं 2011-12 की उच्च दरों पर राजसहायता की माँग कर सकी। परिणामस्वरूप, डीओएफ को आयातित उर्वरकों की अतिरिक्त मात्रा जिसकी कोई तत्काल आवश्यकता नहीं थी, पर ₹653 करोड़²⁷ की अतिरिक्त राजसहायता वहन करनी पड़ी।

डीओएफ ने (जुलाई 2014 में) अपने उत्तर में कहा कि जिन परिस्थितियों में निर्णय लिया गया, उनका उल्लेख संबंधित फाइल में किया गया था और उसके अतिरिक्त उनके पास कोई अन्य टिप्पणी नहीं थी। डीओएफ ने आगे (अक्टूबर 2014) उत्तर दिया कि पीएण्डके उर्वरकों का आयात ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत था और कोई भी कम्पनी अपनी व्यवसायिक आवश्यकता के आधार पर इन उर्वरकों की कितनी भी मात्रा आयात कर सकती थी। पीएण्डके उर्वरकों का आयात रातों-रात नहीं हुआ। क्रय की योजना बनाने एवं वस्तु को देश में लाने में महीनों लगे और दीर्घ समयावधि अनुबन्धों के अन्तर्गत आवश्यक आयात भी थे, जिन्हें कम्पनियाँ रोक नहीं सकती थी। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में तथा इस तथ्य के आधार पर कि आयातों के लिये एनबीएस योजना के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं था, कम्पनियाँ आयातों को नहीं रोक सकती थी तथा किसी आयातित वस्तु को अपरिवहनीय घोषित नहीं कर सकती थी। इसके अतिरिक्त, एनबीएस नीति के अन्तर्गत केवल 20 प्रतिशत पीएण्डके उर्वरक आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत थे जिनका परिवहन नियमन होना था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2012-13 के लिए राजसहायता दरें आयातकों द्वारा उर्वरकों को निर्गत किए जाने के बाद 29 मार्च 2012 को निर्धारित की गई थी। डीओएफ ने समापन सम्मेलन (नवम्बर 2014) के दौरान कहा कि उर्वरकों का परिचालन आवश्यकतानुसार डीएसी तथा राज्य कृषि विभागों के साथ विचार विमर्श के बाद निर्धारित किया गया।

डीओएफ के उत्तरों को निम्न तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए:

- 8 फरवरी 2012 के आदेश में फरवरी 2012 तथा मार्च 2012 के दौरान प्राप्त आयातित डीएपी को निर्गत न करने के किसी तर्क का उल्लेख नहीं था। इसके अतिरिक्त डीओएफ का दावा कि उक्त आदेश पोत व्यस्तता के कारण तथा निरस्त व्यस्तता खत्म होने के कारण जारी किए गए थे, के संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं था।
- इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने न तो आयातों के समय और न ही आयातित वस्तुओं की मात्रा पर टिप्पणी की थी। टिप्पणी पिछले निर्णय के निरस्तीकरण पर आधारित था, इस तथ्य के बावजूद कि आवश्यकता की पूर्ति उपलब्ध प्रारम्भिक स्टॉकों तथा स्वदेशी उत्पादन से की जा सकती थी।

²⁷ सभी डीएपी वर्गों के उर्वरकों की राजसहायता दरों के सबसे कम अन्तर के आधार पर गणना की गई: कुल अतिरिक्त मात्रा=फरवरी 2012 में 8.72 एलएमटी तथा मार्च 2012 में 4.76 एलएमटी (कुल 13.48 एलएमटी), राजसहायता दरें (टीएसपी) में न्यूनतम अन्तर=₹14875 पीएमटी-₹10030 पीएमटी=₹4845 पीएमटी अतिरिक्त भार=कुल अतिरिक्त मात्रा X राजसहायता दरों में अन्तर=₹653 करोड़

- इसके अतिरिक्त, इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि उर्वरक उद्योग को भली भाँति ज्ञात था कि राजसहायता दरें अप्रैल 2012 (2012-13 के लिए) से कम होने वाली थी तथा उर्वरक कम्पनियों ने अपने समस्त स्टॉक फरवरी 2012 तथा मार्च 2012 में ही निकाल कर, 2011-12 की विद्यमान उच्च दरों का लाभ उठाया।
- जनवरी-मार्च 2011 की तुलना में जनवरी-मार्च 2012 दौरान डीएपी की आपूर्ति के आँकड़ों के विश्लेषण ने दर्शाया कि जनवरी-मार्च 2011 के दौरान राज्यों/ज़िलों को मासिक निर्गत/आपूर्तियाँ 2.07 एलएमटी, 1.98 एलएमटी तथा 1.25 एलएमटी के विपरीत क्रमशः जनवरी-मार्च 2012 में 4.72 एलएमटी, 8.72 एलएमटी तथा 4.76 एलएमटी थी। यह गत वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में निर्गत में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है जो लेखापरीक्षा के तर्क का समर्थन करता है कि उच्च दरों पर राजसहायता के दावों के लिए उर्वरक कम्पनियों द्वारा अधिक दर पर निर्गत किए गए।

इस प्रकार से डीओएफ के अपने प्रारम्भिक निर्णय को निरस्त करने से उर्वरक कम्पनियों को आयातित उर्वरक की आपूर्ति बनाए रखने का तथा उच्च दरों पर राजसहायता की माँग करने का अवसर मिल गया, जिसके कारण भारत सरकार पर ₹653 करोड़ की अतिरिक्त परिहार्य राजसहायता का भार पड़ा।

4-7 ekpl 2012 ds nkjku vko'; drk dk vkadyu fd, fcuk ,l ,l ih dh fcØh

एनबीएस नीति के अन्तर्गत एसएसपी की भुगतान प्रक्रिया के अनुसार, एसएसपी पर राजसहायता प्रथम बिंदु बिक्री²⁸ के आधार पर निर्गत की जाती है। तदनुसार, योग्य इकाइयों को एसएसपी के सन्दर्भ में सूचना के आधार पर 85 प्रतिशत 'ऑन अकाउंट' राजसहायता भुगतान की माँग की अनुमति दी जाती है जो कि कम्पनी के प्राधिकृत आधिकारी तथा सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित होती है। शेष भुगतान को डीओएफ, राज्य सरकार द्वारा जारी बिक्री के प्रमाणपत्रों के आधार पर निर्धारित प्रोफोर्मा 'बी' में भरकर जारी करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नीति के अन्तर्गत एसएसपी के लिए किसी भी मासिक आपूर्ति योजना को बनाने की आवश्यकता नहीं थी। परिणामस्वरूप, एसएसपी की गतिविधि की निगरानी डीओएफ द्वारा नहीं की गई।

मार्च 2012 के दौरान एसएसपी की बिक्री जनवरी 2012 तथा फरवरी 2012 की बिक्री से असामान्य रूप से अधिक थी। जनवरी 2012, फरवरी 2012 तथा मार्च 2012 में बिक्री क्रमशः 2.99 एलएमटी, 3.54 एलएमटी और 6.34 एलएमटी थी। जनवरी 2011, फरवरी 2011 और मार्च 2011 से संबंधित आँकड़े क्रमशः 3.36 एलएमटी, 2.49 एलएमटी तथा 1.69 एलएमटी थी। इस प्रकार फरवरी 2012 तथा मार्च 2012 में एसएसपी की बिक्री पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में अधिक थी। यद्यपि फरवरी 2012 में बढ़त ठीक-ठाक (40 प्रतिशत) ही थी, मार्च 2012 में बिक्री मार्च 2011 की बिक्री से 4.65 एलएमटी अधिक थी, अर्थात् मार्च 2011 की बिक्री की तुलना में 275 प्रतिशत वृद्धि।

उपरोक्त परिदृश्य को ध्यान में रख कर एनबीएस नीति के अन्तर्गत एसएसपी की भुगतान प्रक्रिया में आंशिक संशोधन करते हुए डीओएफ ने (जुलाई 2012) निर्णय किया कि:

- मार्च 2012 के लिए सभी एसएसपी इकाइयों को राजसहायता माँगों का 85 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत 'ऑन अकाउंट' भुगतान के रूप किया जाएगा।

²⁸ अन्य पीएण्डके उर्वरकों के लिए, भुगतान प्राप्ति पर आधारित है।

- सभी एसएसपी उत्पादक इकाइयों, जिन्होंने 2011-12 की आखिरी तिमाही के किसी भी माह के दौरान स्थापित क्षमता से अधिक उत्पादन किया है, से स्पष्टीकरण माँगा जाएगा।
- अतिशय मामलों में तीसरे पक्ष द्वारा विशिष्ट निरीक्षण कराया जायेगा जैसे कि इकाइयाँ जिन्होंने अपनी स्थापित क्षमता से 10 प्रतिशत अधिक उत्पादन किया तथा वे इकाइयाँ जिनकी मार्च 2012 की बिक्री में अधिक विभिन्नता थी।

तदनुसार, तीसरे पक्ष द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर, डीओएफ ने (मार्च 2013) में, 16 एसएसपी कम्पनियों को छोड़कर मार्च 2012 के लिए बाकी सभी कम्पनियों को प्रोफार्मा 'बी' की प्राप्ति की शर्त पर शेष 50 प्रतिशत राजसहायता प्रदान कर दी। इन 16 कम्पनियों में अधिकतम पिछले पाँच माह के मुकाबले मार्च 2012 माह की बिक्री भी अधिक थी तथा स्थापित क्षमता के मुकाबले 2011-12 की अंतिम तिमाही के दौरान एक या एक से अधिक माह में उत्पादन भी अधिक था। उक्त 16 कम्पनियों के सन्दर्भ में, अक्टूबर 2011 से मार्च 2012 की छमाही के लिए उत्पादन तथा बिक्री के दावों की पुष्टि के लिए डीओएफ द्वारा नियुक्त किए गए तीसरे पक्ष द्वारा पुनः निरीक्षण किए गए। हालाँकि, उक्त निरीक्षण में कथित रूप से कोई भी अनियमितता नहीं मिली इसलिए, एक कम्पनी को छोड़कर, जिसकी 31 अक्टूबर 2014 तक जाँच चल रही थी, 15 कम्पनियों को शेष भुगतान कर दिया गया।

इस सन्दर्भ में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- चूँकि एसएसपी के लिए कोई भी मासिक आपूर्ति योजनाएँ नहीं बनाई गई थी इसलिए एसएसपी की क्षेत्र में वास्तविक आवश्यकताओं का आंकलन नहीं किया जा सका। अतः उर्वरक निर्माण कम्पनियों पर एसएसपी के उत्पादन, आपूर्ति एवं बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था।
- एसएसपी के उत्पादन एवं बिक्री के संदर्भ में डीओएफ ने अपनी जाँच उर्वरक कम्पनियों के दावों के सत्यापन तक सीमित रखी, परन्तु वर्ष की उस अवधि के दौरान एसएसपी की आवश्यकता में वास्तविक रूप से वृद्धि के बारे में जानने के लिए कोई प्रयास नहीं किये।

डीओएफ ने उत्तर दिया (जुलाई 2014) कि कैबिनेट ने 2012-13 के लिए एनबीएस दरों को 1 मार्च 2012 को अनुमोदित किया तथा 2012-13 के लिए दरों को वांछित अनुमोदन के पश्चात् 29 मार्च 2012 को विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया। चूँकि 2012-13 के लिए एनबीएस दरों की अधिसूचना प्रक्रिया में थी, इसलिए किसी भी कम्पनी से इस संदर्भ में सम्पर्क नहीं किया गया। एनबीएस नीति के कार्यान्वयन के दौरान, 16 एसएसपी इकाइयों के संदर्भ में बिक्री अभिलेखों में यह पाया गया कि मार्च 2012 माह के दौरान बिक्री की गई एसएसपी की मात्रा पिछले महीनों से अधिक थी। चूँकि बिक्रियों का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा प्रोफार्मा 'बी' के अन्तर्गत किया जाता है, इसलिए किसी विशेष माह में बिक्री की तुलना पिछले वर्ष के उसी माह की बिक्री से करने का कोई अवसर नहीं था। निरीक्षण दल के निष्कर्षों की जाँच के आधार पर, मैसर्स मंगलम फॉस्फेट लिमिटेड (एमएफएल) के अतिरिक्त सभी 16 इकाइयों की रोकी गई 50 प्रतिशत राजसहायता निर्गत कर दी गई। डीओएफ ने आगे (अक्टूबर 2014) कहा कि चूँकि एसएसपी साधारणतः एक स्थानीय उर्वरक है इसलिए उसके लिए कोई आपूर्ति योजना नहीं बनाई गई थी। डीएसी ने भी एसएसपी की आवश्यकता का आंकलन नहीं किया था। विभाग ने भी राजसहायता दावों के निरीक्षण के लिए जो उपयुक्त था, वही किया। एसएसपी उत्पादन एवं बिक्री के सत्यापन में तथा तत्पश्चात् 15 एसएसपी इकाइयों के संदर्भ में राजसहायता को निर्गत करने में डेढ़ वर्ष से अधिक समय लगा। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मामलों में राजसहायता को देने में पर्याप्त सावधानी ली गई और 15 इकाइयों को राजसहायता विस्तृत सत्यापन तथा उचित सावधानी के पश्चात् दी गई। एसएसपी एक नियंत्रणमुक्त उर्वरक है जो कि विभिन्न उत्पादन क्षमता के साथ देश भर में फैली लगभग 100 इकाइयों द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस उत्पाद पर कोई भी प्राथमिक या

द्वितीयक मालभाड़ा दिया नहीं गया था। इन इकाइयों के उत्पादक अपने उत्पाद को आसपास के क्षेत्रों में ही बेचते हैं, क्योंकि इसका उपभोग निकट के क्षेत्रों में ही होता है। क्योंकि इकाइयों की संख्या बहुत अधिक है जो आसपास के क्षेत्रों की माँग का निपटान करती है तथा उन्हें मालभाड़ा राजसहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा था इसलिए एसएसपी के नियमन के लिए आपूर्ति योजना बनाना वांछनीय नहीं था, क्योंकि बिक्री का सत्यापन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा था।

डीओएफ ने (नवम्बर 2014) समापन सम्मेलन के दौरान कहा कि:

एसएसपी के लिए गतिविधि योजना बनाना बहुत ही कठिन है क्योंकि यह उद्योग एक स्थानीय उद्योग है तथा बहुत सी कम्पनियों कार्यवाही पूंजी समस्याओं, देश में सीमित बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता आदि के कारण इस इकाइयों के लिए तय की गई न्यूनतम क्षमता को प्राप्त करने में संघर्ष कर रही है। कई छोटी एसएसपी इकाइयाँ अपने उत्पाद को बेचने के लिए बड़ी कम्पनियों के साथ व्यवसायिक गठबंधन करती है। इन परिस्थितियों में तथा एसएसपी इकाइयों की अधिक संख्या (वर्तमान में 98) को देखते हुए, इसकी 20 प्रतिशत गतिविधि को नियमित करने से कोई हल नहीं निकलेगा। इसके अतिरिक्त उर्वरकों की गतिविधि को नियंत्रित करने का उद्देश्य उपलब्धता सुनिश्चित करना है तथा एसएसपी के सन्दर्भ में उपलब्धता की कोई समस्या नहीं है क्योंकि एसएसपी इकाइयाँ पूरे देश में स्थित है।

पीएण्डके उर्वरकों (एसएसपी के अतिरिक्त) पर 'ऑन अकाउंट' राजसहायता का भुगतान जिले में प्राप्त उर्वरकों के आधार पर किया गया था, जबकि एसएसपी के सन्दर्भ में 'ऑन अकाउंट' राजसहायता का भुगतान प्रथम बिन्दु बिक्री के आधार पर किया गया था। विभाग ने शेष राजसहायता के भुगतान को एम-एफएमएस में खुदरा विक्रेताओं द्वारा की गई बिक्री की पुष्टि से जोड़ा था, जो यह सिद्ध करता है कि उर्वरक राजसहायता किसानों तक पहुँचाई गई थी। हालाँकि, डीएसी से एसएसपी की आवश्यकता का आंकलन करने का निवेदन किया जा रहा है जैसा कि अन्य उर्वरकों के लिए किया जाता है। डीओएफ ने यह भी सूचित किया कि नवंबर 2012 से विक्रेताओं द्वारा विक्रय को प्रमाणित किये जाने के बाद ही भुगतान किये गए। डीओएफ ने फिर सूचित किया (मार्च 2015) कि एसएसपी के परिचालन के लिये कोई मालभाड़ा राजसहायता नहीं दी जाती है। इसलिये, इन उत्पादों के लिये कोई आपूर्ति योजना तैयार नहीं की जाती है।

डीओएफ के उत्तर को इन तथ्यों के प्रकाश के देखा जाना चाहिए कि :

- एसएसपी के लिए एक स्थायी मासिक आपूर्ति योजना के अभाव में, एसएसपी के उत्पादन और विक्रय के लिए उर्वरक निर्माता कम्पनियों पर कोई प्रतिबंध नहीं था।
- वर्ष 2012-13 के लिए एनबीएस दरों को कैबिनेट ने पहले ही 1 मार्च 2012 को अनुमोदित कर दिया था, जो 2011-12 की विद्यमान एनबीएस दरों से ₹1686 प्रति टन कम थीं, इसलिए उर्वरक उद्योग में यह एक ज्ञात तथ्य था कि एनबीएस दरें कम होते जा रही थी जिससे वह उर्वरक कम्पनियों के लिए मार्च 2012 में बढ़े हुए विक्रय का कृत्रिम रूप से दावा करने के लिए प्रलोभक बन गया था।
- डीओएफ ने डीएसी से उस अवधि के दौरान वास्तविक क्षेत्र की आवश्यकता के अस्तित्व को सत्यापित करने के कोई प्रयास नहीं किये और अपनी जाँच उर्वरक कम्पनियों के उत्पादन और विक्रय के सत्यापन तक ही सीमित कर दिया, जो पूर्ण स्थिति की सही तस्वीर को प्रकाश में नहीं लाते।

- यह सही है कि एसएसपी को कोई प्राथमिक या द्वितीयक मालभाड़ा देय नहीं है, लेकिन एसएसपी पोषक तत्व आधारित राजसहायता का पात्र है। इसलिए डीएसी का सहयोग लेते हुए डीओएफ द्वारा एसएसपी की आपूर्ति पर कुछ नियंत्रण होना आवश्यक है।

वृद्धि के 8 % एसएसपी के लिए एमएसपी होने की आवश्यकता और उसके लिए रूपरेखाओं को डीएसी के निकट सहयोग के साथ डीओएफ द्वारा समाधान निकाला जाना चाहिए।

v/; k; 5 & dEi fu; k²⁹ }kjk uhfr dk dk; kJo; u

एनबीएस नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि पीएण्डके उर्वरकों के एमआरपी को नियंत्रणमुक्त कर दिया जाए और निर्माता/आयातक/व्यापारी इन उर्वरकों को उचित स्तर पर निर्धारित करें। हालाँकि 'उचित' शब्द को न तो कभी नीति में स्पष्ट/परिभाषित किया गया न ही डीओएफ ने कोई कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी किये। इसलिए लेखापरीक्षा ने जाँचने का प्रयास किया कि एमआरपी को उचित स्तर पर कैसे निर्धारित किया गया और एमआरपी की तार्किकता से स्वयं को आश्वस्त करने के लिए डीओएफ में कौन सा निगरानी तंत्र था।

5-1 mojd dEi fu; k³⁰ }kjk fu/kkfr , evkji h ds efs

नियंत्रण मुक्त पीएण्डके उर्वरकों का उत्पादन/आयात करने वाली 34 कम्पनियों (जिनमें 26 निजी कम्पनियाँ, 2 सहकारी समितियाँ तथा 6 सीपीएसई शामिल हैं) में से 5 कम्पनियों के³⁰ अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच की जो उर्वरक/उर्वरक आगतों के आयात एवं स्वदेशी कम्पनियों द्वारा उत्पादन, कम्पनियों की आपूर्ति की स्थिति, माँगी एवं प्राप्त की गई राजसहायता तथा अपने ब्राण्ड की एमआरपी तय करते समय लगाये गए घटकों एवं आगतों और उनसे लाभ की सम्भावनाओं से सम्बन्धित थे।

लेखापरीक्षा के दौरान, एनबीएस नीति के अन्तर्गत विभिन्न राजसहायता प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी के निर्धारण की लागत शीटें डीओएफ तथा चयनित पाँच उर्वरक कम्पनियों से माँगी गई थीं। ना तो डीओएफ ने और न ही पाँचों उर्वरक कम्पनियों ने लागत शीटें³¹ उपलब्ध करायी।

उद्घाटन सम्मेलन (जुलाई 2013) के दौरान डीओएफ द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद कम्पनियों की लागत शीटें अक्टूबर 2014 में लेखापरीक्षा को दी गयी यानि कि सितम्बर 2014 में डीओएफ को ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी होने के बाद। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त आँकड़ें दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं थे। इस प्रकार, लेखापरीक्षा, लागत शीटों में दर्शाये गये तथ्यों की सटीकता का सत्यापन नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा उर्वरकों के एमआरपी की तार्किकता का सत्यापन करने में असमर्थ थी।

डीओएफ ने उर्वरक कम्पनियों द्वारा तय किये गये एमआरपी के औचित्य के मूल्यांकन एवं उसे लागू करने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं बनाये थे। राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के सम्बन्ध में लागत शीट तैयार करने के लिए किसी अनिवार्य आवश्यकता के अभाव में सभी घटकों में शामिल कीमत की आवश्यकता/तार्किकता को स्वयं निश्चित करने के लिए डीओएफ के पास कोई तंत्र नहीं था। यह इस बात से स्पष्ट है कि इफको द्वारा डीएपी के मूल्य निर्धारण के अभिलेखों की जाँच के दौरान जो कि लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गई एकमात्र लागत शीट थी, ऐसे मामले पाये गए जहाँ एमआरपी में ऐसे घटकों को शामिल दर्शाया गया जो उचित नहीं थे। इसके अतिरिक्त, अन्य मामले जहाँ लेखापरीक्षा यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ थी कि उर्वरक कम्पनियों द्वारा निर्धारित की गई एमआरपी तर्कसंगत थी या नहीं वह भी ध्यान में आ गई। इन पर नीचे विचार किया गया है :

²⁹ लेखापरीक्षा के लिए चयनित पाँच उर्वरक कम्पनियों के संदर्भ में।

³⁰ इफको, आईपीएल, सीएफसीएल जेडआईएल व एफएसीटी

³¹ इफको के अलावा, जिसने भी लागत शीटें केवल आयातित डीएपी के लिए उपलब्ध करायीं।

5-1-1 , evkji h ea ykxr ?kVd dks vrdl ær : i l s 'kkfey djuk

5.1.1.1 ckW/Mka dh fcØh ij gkfu dh ol ÷yh

भारत सरकार ने 2007-08 और 2008-09 के दौरान इफको को राजसहायता बकाये के निपटान के लिए ₹8396.11 करोड़ के उर्वरक बॉण्ड जारी किए। बॉण्डों की कूपन दर 6.20 से 8.30 प्रतिशत थी तथा उनकी अवधि 2022-2026 के दौरान पूरी हो रही थी। इफको ने भारत सरकार की बायबैक योजना के अंतर्गत उन्हें बाजार में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को बेचा जिससे उसे बॉण्डों की बिक्री पर नुकसान उठाना पड़ा। कम्पनी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए, इफको ने 23 सितम्बर 2011 से (आयातित) डीएपी की एमआरपी तय करने के लिए लागत घटक के रूप में ₹142 पीएमटी को 'उर्वरक बॉण्ड की बिक्री पर हानि' के रूप में जोड़ दिया। तत्पश्चात् यह पाया गया कि मई 2012 में डीएपी के एमआरपी का संशोधन करते समय बॉण्डों की बिक्री पर हुए नुकसान के रूप में ₹142 पीएमटी के लागत घटक को शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार (23 सितम्बर 2011 से 30 मई 2012 के दौरान) एमआरपी में ₹142 पीएमटी जोड़ने के कारण बॉण्डों की बिक्री पर हुए नुकसान की ₹9.89 करोड़³² की वसूली उचित नहीं थी। अन्य उत्पादों की लागत शीटें लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे अन्य उत्पादों से हानि की भरपाई, यदि कोई हो, की जाँच लेखापरीक्षा द्वारा नहीं की जा सकी।

इफको ने (जून 2014) में अपने उत्तर में कहा कि एमआरपी विभिन्न मापदण्डों जैसे कि आयातित उर्वरकों की लागत, रख-रखाव तथा अन्य सम्बन्धित लागतों और बाजार की स्थिति के आधार पर निर्धारित की गई थी। हालाँकि कभी-कभी उद्योग को प्रतिस्पर्धा एवं बाजार की स्थिति को देखते हुए एमआरपी को कुल लागत से कम पर निर्धारित करना पड़ता है। कभी-कभी एमआरपी को कुल कीमत से भी कम पर निर्धारित किया गया था। वर्ष 2011-12 के दौरान इफको को आयातित डीएपी पर ₹5193 लाख (₹473 पीएमटी) की हानि हुई। इफको ने आगे कहा कि उस अवधि के दौरान, जब एमआरपी ₹18100 एमटी (बॉण्डों की बिक्री पर हुए ₹142 पीएमटी की हानि को मानने के बाद) निर्धारित की गई थी, तो उसे कोई लाभ नहीं हुआ और एमआरपी अनुचित नहीं थी।

डीओएफ ने अपने उत्तर में कहा (जून 2014) कि वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार, सरकार आरबीआई द्वारा बायबैक बॉण्डों में इफको सहित उर्वरक कम्पनियों द्वारा उठाई गई हानियों (अर्थात् ₹778.93 करोड़) की 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति करने को तैयार है। यदि इफको ने एमआरपी निर्धारण करने में बाण्डों की बिक्री में हानि के कारण कोई लागत शामिल की है तो इस कारण उसे सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति से कम्पनी को अनुचित लाभ हुआ और वह वसूली योग्य था।

5.1.1.2 oki l h ij gpz gkfu ds fy, ol ÷yh

डीओएफ ने (5 मई 2011) 2010-11 की तुलना में पीएण्डके उर्वरकों के लिए 2011-12 में उच्चतर एनबीएस दरें अधिसूचित की। 1 अप्रैल 2011 को आयातित डीएपी के आरंभिक स्टॉक पर राजसहायता वृद्धि, जो ₹4.41 लाख थी, की वसूली डीओएफ ने इफको से 17 अगस्त 2011 को की। इफको ने बदले में 24 सितम्बर 2011 से ₹40 पीएमटी को 'राजसहायता की वापसी पर हुए घाटे' के लागत घटक के रूप में आयातित डीएपी की एमआरपी को नियत करने के लिए जोड़ा। अक्टूबर 2011 से मार्च 2012 के दौरान, इफको ने 646459.42 एमटी का आयातित डीएपी बेचा। इफको से की गई वसूली हानि नहीं थी

³² विक्रय की गई डीएपी की मात्रा = 696317.28 एमटी

उर्वरक बॉण्डों की बिक्री पर हुए नुकसान का लागत घटक = ₹142

वसूली = (बेची गई डीएपी की मात्रा) x (बॉण्डों की बिक्री पर हुई हानि का लागत घटक) = ₹9.89 करोड़

और इसका डीएपी की एमआरपी से कोई संबंध नहीं था। अतः वापसी से संबंधित खर्चों को डीएपी के लागत तत्व में जोड़ना उचित नहीं था। इससे ₹2.59 करोड़ का अतिरिक्त लाभ होने के साथ-साथ 2011-12 के लिए आयातित डीएपी की एमआरपी में भी वृद्धि हुई।

इफको ने अपने उत्तर (जून 2014) में बताया चूँकि अधिसूचना 11 जुलाई 2011 को जारी हुई थी, किसी भी कल्पना की सीमा से इफको इस प्रकार की लागतों (वापसी के दौरान) का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था और तदनुसार उसको समाहित कर सकता था। अतः इफको ने 24 सितंबर 2011 से एमआरपी नियत करने में ₹40 पीएमटी की लागत पर विचार किया। जैसाकि भारत सरकार द्वारा कच्चे माल के प्रारंभिक भण्डार के संदर्भ में कोई वसूली नहीं की गई थी, उपरोक्त ₹40 पीएमटी की हानि, जो मूलरूप से 5 साल में वसूल करने पर विचार किया गया था, 1 जून 2012 से एमआरपी को संशोधित करते हुए विचार में नहीं लाया गया।

डीओएफ ने अपने उत्तर (जून 2014) में कहा कि 2011-12 के दौरान, राजसहायता दरों को दो बार संशोधित किया गया क्योंकि उच्च अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के कारण आयात संभव नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के बढ़ने से पहले आयातित पुराने भण्डार पर राजसहायता की उच्च दरें लागू नहीं थी। इसलिए 31 मार्च 2011 को अंतिम स्टॉक या उस तिथि के बाद बेचे गए स्टॉक पर मांगी गई या स्वीकृत उच्च राजसहायता की वापसी डीओएफ द्वारा की गई। अंतिम स्टॉक जो मार्च 2011 से पहले आयात हुए थे जिस पर उच्च राजसहायता मांगी गई थी उससे कम्पनी को अनुचित लाभ हुआ। अतः इस कारण राजसहायता की वापसी को उत्पादन कीमत का भाग या इफको द्वारा तदोपरान्त आयातित उर्वरकों की एमआरपी नियत करने में घटक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

5-1-2 fuEu Ø; ykxr dk ykHk Mh, ih dh , evkji h ea 'kkfey ugha djuk

डीओएफ, प्रत्येक पोषक तत्व के लिए राजसहायता निर्धारण करने हेतु बेंचमार्क मूल्य को अन्तिम रूप देते हुए, उर्वरकों के तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर विचार करता है। हालाँकि लेखापरीक्षा ने ऐसे उदाहरण देखे जहाँ उर्वरक कम्पनियों ने बेंचमार्क मूल्य से कम मूल्यों पर खरीद की उदाहरणतः सीएफसीएल एवं जेडआईएल ने वर्ष 2010-11 के दौरान डीएपी यूएस\$ 477.50 सीएफआर पीएमटी से यूएस\$ 500 सीएफआर पीएमटी तक की दरों से आयात किया। चूँकि वर्ष 2010-11 के लिए खरीद लागत डीएपी पर राजसहायता निश्चित करने के लिए इन मामलों में डीओएफ द्वारा विचार किये गये खरीद मूल्य यूएस\$ 500 पीएमटी के बेंचमार्क मूल्य से कम थी, कम खरीद मूल्य के कारण, इन कम्पनियों में बचत हुई होगी। वर्ष 2010-11 के लिए डीएपी की एमआरपी की संगणना के लिए किसी प्रकार की लागत सूची के अभाव में लेखापरीक्षा यह नहीं प्रमाणित कर पाया कि कम्पनियों ने 2010-11 में डीएपी के एमआरपी की इस निम्न कीमत पर खरीद का लाभ किसानों को पहुंचाया।

सीएफसीएल ने (जून 2014) में कहा कि डीएपी के पारेषण तदासीन अंतर्राष्ट्रीय दामों पर खरीदे गए थे एवं उनका योगदान उस साल में बेचे गए डिब्बाबंद सामानों की औसत विक्रय लागत का 1 प्रतिशत था। इसलिए एमआरपी संशोधन का कोई संभावना नहीं थी। ऐसे किसी संशोधन के परिणामस्वरूप कम्पनी के लाभांश में और भी अधिक कटौती होती।

जेडआईएल ने कहा (जून 2014) कि लेखापरीक्षा दल ने आयात की भारतीय रुपये लागत आकलन हेतु वास्तविक विनियम दर जिस पर आयात किए गए थे, को अनदेखा कर दिया है, जो हमारे मत में विनियम दर से अधिक थी, सरकार द्वारा एनबीएस दरें निश्चित करते हुए विचार किया गया था। उसने यह भी कहा कि कम्पनी द्वारा 'हैंडलिंग चार्जस' का वास्तविक व्यय भी अधिक था।

सीएफसीएल/जेडआईएल के उत्तर सत्यापित नहीं हो सके क्योंकि इन कम्पनियों की 'लागत शीट' सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को नहीं दी गई।

5-1-3 , evkj ih dk vufpr fu/kkjk

5-1-3-1 ekyHkkMk fj ; k; r dh oki l h ds cnys , evkj ih ea gpl xj vuj kfrd c<krjh

द्वितीयक मालभाड़ा डीओएफ की दिनांक 16 मार्च 2010 की अधिसूचना के अनुसार एनबीएस के अन्तर्गत घोषित रियायत दरों में निहित था। डीओएफ ने 1 दिसंबर 2010 को घोषित किया कि पीएण्डके उर्वरकों (एसएसपी के अलावा) के लिए द्वितीयक मालभाड़ा 1 जनवरी 2011 से 'एकरूप भाड़े' की तर्ज पर ही अदा किया जाएगा, जैसा यूरिया पर लागू है। इस आंशिक संशोधन के परिणामस्वरूप डीएपी के मामले में मालभाड़ा राजसहायता में ₹300 पीएमटी तक की गिरावट हुई।

उक्त अधिसूचना के पश्चात् यह देखा गया कि उर्वरक कम्पनियों ने अपनी एमआरपी वर्तमान ₹9950 पीएमटी से ₹10750 पीएमटी तक बढ़ा दी, जो 16 जनवरी 2011 से (सीएफसीएल), 21 जनवरी 2011 से (आईपीएल) एवं 1 फरवरी 2011 से (इफको) में प्रभावी थी। एमआरपी के संशोधन की गणना के संदर्भ में कोई लागत विवरण अर्थात् लागत शीटें आदि इन कम्पनियों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। लेकिन, सीएफसीएल के एक आंतरिक नोट में डीएपी की मूल्य वृद्धि के लिए निम्न तर्क दिया गया था:

“डीओएफ ने 1 जनवरी 2011 से प्रभावी, डीएपी/एमओपी पर ₹300 पीएमटी के द्वितीयक मालभाड़ा को वापस लेने की अधिसूचना दी है। अन्य कम्पनियों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के समकक्ष, हम अपनी एमआरपी को तुरंत प्रभाव से बढ़ाकर ₹10750 करने का प्रस्ताव करते हैं”।

उपर्युक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि एमआरपी, एनबीएस दरों में निहित ₹300 के द्वितीयक मालभाड़ा की कमी की भारपाई करने के लिए ही बढ़ाई गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि एमआरपी की बढ़ोतरी, अधिकाधिक, एनबीएस दरों की कमी के बराबर होनी चाहिए थी यानि केवल ₹300 पीएमटी। डीएपी की एमआरपी ₹800 पीएमटी बढ़ाकर उर्वरक कम्पनियों ने एमआरपी पर ₹500 पीएमटी का अतिरिक्त बोझ बढ़ा दिया।

सीएफसीएल ने अपने उत्तर (जून 2014) में कहा कि उन्हें 401486.750 एमटी की बिक्री पर ₹300.42 पीएमटी की अतिरिक्त कमाई हुई, जोकि वर्ष में बिके हुए डिब्बाबंद माल के औसत विक्रय मूल्य का करीब 1 प्रतिशत था। ₹500 पीएमटी तक कमी करने से कम्पनी का लाभ और भी घट जाता।

5-1-3-2 , evkj ih ea xj vuj kfrd fxjkoV

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 जनवरी 2012 से 23 मई 2012 की अवधि के लिए, सीएफसीएल की क्रय लागत ₹5398 पीएमटी से घटकर ₹5466 पीएमटी हो गई जबकि कम्पनी द्वारा डीएपी की एमआरपी में केवल ₹1100 पीएमटी की गिरावट की गई। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹67.37 करोड़³³ का अतिरिक्त लाभ हुआ।

सीएफसीएल ने अपने उत्तर में (जून 2014) कहा कि उन्होंने एनबीएस नीति के तहत आयातित डीएपी को 2010-11, 2011-12 व 2012-13 में विभिन्न एमआरपी जो कि लागतों के आधार पर निश्चित की गई थी एवं साथ ही समय-समय पर बाजार से मिलान की गई थी, पर बेचा था। कम्पनी ने 1335682 एमटी की बिक्री पर ₹525.65 पीएमटी की अतिरिक्त मात्रा अर्जित की जो कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान बिके डिब्बाबंद सामान की औसत बिक्री मूल्य का लगभग 1.55 प्रतिशत था। अतः कम्पनी ने कोई उच्चतर लाभ नहीं कमाया।

³³ अतिरिक्त लाभ निम्नानुसार निकाला गया है: 155517 (बेची गई मात्रा) x ₹4332 (नवम्बर/दिसम्बर 2011 तथा फरवरी/मार्च 2012 की औसत कीमत में अंतर जिसमें ₹1100 तक की कमी की गई है)।

पैरा 5.1.3.1 की टिप्पणी से संबंधित सीएफसीएल द्वारा प्रस्तुत एवं डीओएफ से अनुपूरित उत्तर, इस कारण से स्वीकार्य नहीं है कि सीएफसीएल द्वारा एमआरपी में बढ़ोतरी केवल ₹300 पीएमटी के द्वितीयक मालभाड़ा रियायत के हटाने के कारण हुई एनबीएस दरों में हुई गिरावट की प्रतिपूर्ति करने के लिए की गई थी जोकि सीएफसीएल के आंतरिक नोट से स्पष्ट है। अतः एमआरपी में वृद्धि ₹300 पीएमटी तक ही सीमित रखी जानी चाहिए थी। इसके अलावा, न तो सीएफसीएल ने और न ही डीओएफ ने एमआरपी के निर्धारण से संबंधित लागत शीट लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी।

सीएफसीएल व डीओएफ के उत्तर जो पैरा 5.1.3.2 की टिप्पणी से संबद्ध हैं को इस तथ्य के प्रकाश में देखना होगा कि, एनबीएस नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उर्वरक कम्पनियों को उर्वरकों की एमआरपी को एक तार्किक स्तर पर निश्चित करने की अनुमति देना था। उर्वरक कम्पनियों से अपेक्षा थी कि वे एमआरपी निश्चित करते हुए वास्तविक खरीद मूल्य को भी शामिल करें जिससे उसका लाभ किसानों तक बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, डीओएफ ने स्वीकारा है कि कम्पनियों द्वारा निर्धारित पीएण्डके उर्वरकों के एमआरपी की तार्किकता को सत्यापित करने की आवश्यकता थी।

एमआरपी की तार्किकता पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियों पर डीओएफ के उत्तर में समानता यह थी कि एनबीएस नीति के अंतर्गत, पीएण्डके उर्वरकों के एमआरपी को नियंत्रणमुक्त किया गया एवं इसे उर्वरक कम्पनियों द्वारा एक तार्किक स्तर पर निश्चित किया गया। तार्किकता निश्चित करने हेतु, कम्पनियाँ, समय-समय पर डीओएफ द्वारा दिए गए निर्देशों एवं आवश्यकता के अनुसार प्रमाणित लागत आंकड़े उपलब्ध कराती थीं। कम्पनियाँ एफएमएस में नियमित रूप से डीओएफ को पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी बता रही हैं। आईएमसी के सुझाव पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित एनबीएस दर के अनुसार कम्पनियाँ रियायत का दावा भी कर रही थीं। इसके अतिरिक्त, डीओएफ ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि उसने पीएण्डके उर्वरक कम्पनियों से 2012-13 के आगे के लागत आँकड़े लेने का निर्णय किया था। चूंकि इन कम्पनियों के लागत आँकड़ों की संवीक्षा करने के लिए कोई कार्यबल एवं तकनीकी योग्यता उपलब्ध नहीं है, इसलिये विभाग ने लागत आँकड़ों के अध्ययन के लिए सत्यापित लागत लेखाकार/कम्पनियों को नियुक्त किया है। लागत लेखाकारों/फर्मों द्वारा रिपोर्ट की प्राप्ति के उपरान्त कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। जैसाकि इस रिपोर्ट में व्यक्तिगत मामलों का उल्लेख है ऐसे मुद्दों का विभाग अलग से परीक्षण करेगा।

वृद्धि के 9 % चूंकि एनबीएस योजना ने एमआरपी को उर्वरक कम्पनियों द्वारा एक तर्कसंगत स्तर पर निर्धारित करने के लिए नियंत्रणमुक्त किया था, इसलिए डीओएफ उठाए गए कदमों की पर्याप्तता का यह सुनिश्चित करने के लिए गहनता से पुनरीक्षण करना चाहिए कि कम्पनियों द्वारा मूल्य वास्तव में एक तर्कसंगत स्तर पर निर्धारित किया गया है इसलिए डीओएफ द्वारा पहले ही से नियुक्त की गई फर्मों को निर्देश दिया जाए कि वे अपने प्रतिवेदनों को समय पर प्रस्तुत करें ताकि अपने मूल्यों पर विसंगत लागत घटकों को शामिल करने वाली उर्वरक कम्पनियों के विरुद्ध डीओएफ कार्यवाही कर सके। इसके अतिरिक्त, डीओएफ अप्रैल 2010 से आगे 2012-13 से परीक्षित लागत आँकड़ों की बजाए एनबीएस नीति के प्रारम्भ की तिथि से उर्वरक कम्पनियों के लागत आँकड़ों को सत्यापित करने पर विचार करे।

V/; k; 6 & fu"d"kz , oa vuq ka k, a

6-1 fu"d"kz

डीओएफ द्वारा कृषि उत्पादकता की उन्नति, उर्वरकों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने, स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास को बढ़ावा देने और राजसहायता के भार को कम करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2010 से पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति प्रारंभ की गई। एनबीएस नीति के अन्तर्गत पीएण्डके उर्वरकों के एमआरपी को नियंत्रणमुक्त रखा गया और उत्पादकों/आयातकों/विपणनकर्ताओं को पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी को एक उचित स्तर पर नियत करने की अनुमति दी गई।

नियंत्रणमुक्त फॉस्फेट व पोटेशियुक्त उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति की निष्पादन लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि:

- एनबीएस नीति के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए डीओएफ में कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं था और पोषक तत्वों के असंतुलित उपयोग को रोकने में नीति सफल नहीं हुई। 'एन', 'पी' एवं 'के' के 4:2:1 के वरीयता अनुपात के विरुद्ध वर्ष 2013-14 में प्रयोग अनुपात क्रमशः 8:2.7:1 रहा। एनबीएस नीति के तहत स्वदेशी उर्वरक उद्योग की विकास में सुधार करने के व्यक्त उद्देश्य के बावजूद भी पीएण्डके उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन 2010-11 (122.64 एलएमटी) से 2012-13 (98.28 एलएमटी) तक लगातार गिरा। 2013-14 में उत्पादन 105.24 एलएमटी था।
- यद्यपि एनबीएस नीति के प्रारंभ के पश्चात् राजसहायता बिल को सीमित रखने का उद्देश्य प्राप्त हो गया था, चूंकि राजसहायता वितरण की राशि 2009-10 के ₹39452 करोड़ से कम होकर 2013-14 में ₹29427 करोड़ हो गई थी, तथापि, यह पाया गया कि इस अवधि के दौरान पीएण्डके उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन के साथ-साथ आयात भी कम हो गया था, जोकि देश में पीएण्डके उर्वरकों की उपलब्धता व खपत में कमी को दर्शाता है।
- 78 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में स्थापित की गयी जाँच सुविधाओं का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया क्योंकि कुछ सुविधाओं में क्षमता से कम प्रयोग हुआ व अन्य में क्षमता से अधिक।
- डीएपी के लिए एनबीएस दरों को निश्चित करने के लिए तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में बेंचमार्क को निम्न स्तर पर निश्चित करने के परिणामस्वरूप डीएपी के आयात के लिए अनुबंधों को अन्तिम रूप देने में देरी हुई। इससे भारत सरकार को ₹5555 करोड़ का परिहार्य राजसहायता बोझ पड़ा।
- प्रोफार्मा 'बी' जोकि राज्यों में वास्तव में प्राप्त उर्वरकों की मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता के प्रमाणीकरण के समर्थन में नियंत्रक साधन था, भारी मात्रा में लंबित था। 31 अक्टूबर 2014 को 2007-2008 से 2013-14 की अवधि से संबंधित 4112 प्रोफार्मा 'बी' लंबित थे जिसमें से 3899 प्रोफार्मा 'बी' एनबीएस नीति की अवधि से संबंधित थे।
- 1 जनवरी 2011 से 31 अगस्त 2011 की अवधि के दौरान एसएसपी के लिए ₹104 पीएमटी की मालभाड़ा राजसहायता की वापसी की प्रतिपूर्ति करने के लिए ₹200 पीएमटी के एकमुश्त भुगतान की स्वीकृति दी गई जिसमें परिणामतः ₹25.74 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- ईजीओएम के निदेशों (फरवरी 2012) के दो वर्ष से अधिक विलंब के पश्चात् भी डीओएफ ने अमोनिया के उत्पादन के लिए एपीएम गैस का प्रयोग करने वाली उर्वरक कम्पनियों से वसूली के लिए दिशानिर्देशों को अन्तिम रूप नहीं दिया।

- नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में एमएसपी जैसे कि उर्वरक कम्पनियों के साथ-साथ राज्यों को जारी किया गया, आवश्यकताओं के तर्कसंगत मूल्यांकन पर आधारित नहीं था। कम्पनियों द्वारा वास्तविक रूप से की गई आपूर्ति की मात्रा को एमएसपी में उल्लिखित मात्रा के साथ कोई मिलान किए बिना ही नियमित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, एसएसपी के लिए कोई एमएसपी नहीं बनाया जा रहा था।
- त्वरित आवश्यकता न होने के बावजूद भी, फरवरी-मार्च 2012 के दौरान राज्यों को आपूर्ति आयातित उर्वरकों की अतिरिक्त मात्रा पर 2011-12 के उच्चतर एनबीएस मूल्यों पर राजसहायता के भुगतान के कारण ₹653 करोड़ का अतिरिक्त राजसहायता बोझ डीओएफ को वहन करना पड़ा।
- डीओएफ में ऐसा कोई निगरानी तंत्र नहीं था जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उर्वरक कम्पनियों द्वारा निश्चित किए गए मूल्य उनके उत्पादन की लागत पर आधारित थे और वे तर्कसंगत थे।


6-2 vuqkd k, a

1. नीति के प्रत्येक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सुपरिभाषित दिशानिर्देशों, जो कि अन्य बातों के साथ-साथ इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परिमाण निर्धारित करने योग्य सुपुर्दगियों और विशिष्ट समयसीमा को इंगित करते हों, को निर्धारित करने की आवश्यकता है।
2. डीओएफ यूरिया की कीमतों के आलोचनात्मक पुनरीक्षण सहित उचित रूप से समन्वित विशिष्ट उपायों को रखे तथा प्रचार की एक समर्पित योजना के द्वारा उर्वरक के संतुलित उपयोग के लाभों को किसानों तक पहुँचाए।
3. डीओएफ को वित्त मंत्रालय के घनिष्ठ समन्वय के साथ उर्वरक क्षेत्र में निवेश में वृद्धि तथा इसके प्रोत्साहन के लिए कदम उठाने चाहिए। पीएण्डके उर्वरकों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण को शीघ्र अपनाने की अनुशंसा की जाती है।
4. एफक्यूसीएल के उपयोग का आलोचनात्मक पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है, जिससे कि इन सुविधाओं का परिहार्य कम उपयोग अथवा अत्यधिक उपयोग न हो।
5. डीओएफ वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पहले बेंचमार्क मूल्य के निर्धारण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के प्रभाव या गति का ध्यान रखे जो उर्वरक कम्पनियों को अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता के साथ समय पर आवश्यकतानुसार प्राप्ति के लिये संविदा करने में सक्षम बना सके।
6. डीओएफ प्रोफार्मा 'बी' की प्राप्ति तथा विलम्बन की विद्यमान निगरानी व्यवस्था की आलोचनात्मक रूप से समीक्षा करे तथा इस मुद्दे की तात्कालिकता/अनिवार्यता की भावना लाने के लिये तथा विलम्बन को समाप्त करने के लिये क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर स्थिति की आवधिक समीक्षा करने पर विचार करे।
7. डीओएफ एक तंत्र की स्थापना करे जो यह सुनिश्चित करे कि डीएसी द्वारा अनुमानित माह-वार तथा राज्य-वार उर्वरकों की मांग के आधार पर उर्वरकों की आवश्यकता का अग्रिम आंकलन हो पाए तथा उर्वरकों की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति की व्यवस्था का समन्वय करे।
8. एसएसपी के लिए एमएसपी होने की आवश्यकता और उसके लिए रूप रेखाओं को डीएसी के निकट सहयोग के साथ डीओएफ द्वारा समाधान निकाला जाना चाहिए।

9. चूँकि एनबीएस योजना ने एमआरपी को उर्वरक कम्पनियों द्वारा एक तर्कसंगत स्तर पर निर्धारित करने के लिए नियंत्रणमुक्त किया था, इसलिए डीओएफ उठाए गए कदमों की पर्याप्तता का यह सुनिश्चित करने के लिए गहनता से पुनरीक्षण करना चाहिए कि कम्पनियों द्वारा मूल्य वास्तव में एक तर्कसंगत स्तर पर निर्धारित किया गया है इसलिए डीओएफ द्वारा पहले ही से नियुक्त की गई फर्मों को निर्देश दिया जाए कि वे अपने प्रतिवेदनों को समय पर प्रस्तुत करें ताकि अपने मूल्यों पर विसंगत लागत घटकों को शामिल करने वाली उर्वरक कम्पनियों के विरुद्ध डीओएफ कार्यवाही कर सके। इसके अतिरिक्त, डीओएफ अप्रैल 2010 से आगे 2012-13 से परीक्षित लागत आँकड़ों की बजाए एनबीएस नीति के प्रारम्भ की तिथि से उर्वरक कम्पनियों के लागत आँकड़ों को सत्यापित करने पर विचार करे।


डीओएफ ने (मार्च 2015) जवाब दिया कि इसने पहले ही कुछ अनुशंसाओं पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है जैसे कि यूरिया की कीमत का निर्धारण, पीएण्डके उर्वरकों के आवागमन/आपूर्ति में सुधार और पीएण्डके उर्वरकों के मूल्यों की तर्कसंगतता को सुनिश्चित करना।

fnukd % 20 अप्रैल 2015
LFkku % ubz fnYyh


%kulln ekgu ctkk½
i /kku funs'kd ys[kki jh{k
%kfkzd , oa l ok ea=ky; ½

i frgLrk{kfj r

fnukd % 20 अप्रैल 2015
LFkku % ubz fnYyh


¼ kf' k dkUr 'kek½
Hkkj r ds fu; æd&egkys[kki jh{k

अनुलग्नक

vuyxud I

(i; k 1-3 में उल्लिखित)

, uch, l uhfr ds vllrxr l fefyr mo; dka dh l ph

Ø-l ā; k	mo; d dk uke
1.	डीएपी (18-46-0-0)
2.	डीएपी लाईट (16-44-0-0) (2010-11 में सम्मिलित)
3.	एमएपी (11-52-00)
4.	टीएसपी (0-46-0-0)
5.	एमओपी (0-0-60)
6.	एसएसपी (0-16-0-11) (मई 2010 में सम्मिलित)
, ui hds l enj	
7.	16-20-0-13
8.	20-20-0-13
9.	20-20-0-0
10.	23-23-0-0
11.	24-24-0-0
12.	28-28-0-0
13.	10-26-26-0
14.	12-32-16-0
15.	14-28-14-0
16.	14-35-14-0
17.	15-15-15-0
18.	15-15-15-09 (2010-11 में सम्मिलित)
19.	16-16-16-0
20.	17-17-17-0
21.	19-19-19-0
22.	अमोनियम सल्फेट
23.	डीएपी लाईट ग्रेड II (14-46-0-0) (2011-12 में सम्मिलित)
24.	एमएपी लाईट (11-44-0-0) (2011-12 में सम्मिलित)
25.	13-33-0-6

वृत्त II

(पैरा 1.4 में उल्लिखित)

फोहकु i h, .Mds moḡ dka ds fy, , uch, l jktl gk; rk 1/2 ifr , eVh½ dh x.kuk dk mnkgj .k

i k'kd rRo dk vuq kr ¼, u% h% d% l %½	1 Vu ¼1000 fd-xk-½ ea i k'kd rRo dh ek=k	ifr Vu jktl gk; rk 1/2 e½	ifr Vu dy jktl gk; rk 1/2 e½
(1)	(2)	(3) (कॉलम 2 X प्रति कि.ग्राम. एनबीएस दर जैसा कि सम्बद्ध पोषक तत्व के लिए डीओएफ ¹ ने अधिसूचित किया)	(4)
ekeyk , % Mkb&vekf; e OkLQV ¼Vh, i h½			
18:46:0:0	180 किलो (एन) 460 किलो (पी)	180 X 27.153 (एन) = 4887.54 460 X 32.338 (पी) = 14875.48	19763
ekeyk ch% ekuk& vekfu; e OkLQV ¼, e, i h½			
11:52:0:0	110 किलो (एन) 520 किलो (पी)	110 X 27.153 (एन) = 2986.83 520 X 32.338 (पी) = 16815.76	19803
ekeyk l h% fV"y l q j OkLQV ¼Vh, l i h½			
0:46:0:0	460 किलो (पी)	460 X 32.338 = 14875.48	14875

¹ उदाहरण हेतु वर्ष 2011-12 के लिए एनबीएस दरों का उपयोग किया गया।

पीएण्डके उर्वरकों के लिए 81वें प्रतिवेदन (अप्रैल 2013 में संसद में प्रस्तुत) में लोक लेखा समिति की अनुशंसा और उर्वरक विभाग द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही

<p>Øe l f; k</p>	<p>Yktd ys[kk l fefr dh vuq[kd k</p>	<p>moj'd foHkx }kj vuprhl dk; bigh %tj kfd uofcj 2014 ea l fpr fd; k x; k%</p>
<p>1</p>	<p>समिति विरोध करती है कि उर्वरक की आवश्यकता का आकलन वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार न करके नीरस ढंग से इसकी आवश्यकता को पिछले सत्र/वर्ष की खपत से सामान्यतः 5 से 10 प्रतिशत बढ़ाकर किया गया। यद्यपि मुख्य उर्वरकों के वास्तविक खपत के आँकड़े प्रक्षेपित आवश्यकता से बहुत कम थे फिर भी प्रायः सभी मामलों में उपलब्धता आकलन से ज्यादा थी। समिति ने इच्छा जताई कि चूँकि क्षेत्रीय बैटकों में महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे उपज का गहन अध्ययन और खपत की पद्धति, उपज एवं सिंचित क्षेत्र, प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत, राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी में पोषक तत्वों की आवश्यकता आदि पर चर्चा होती है, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्षेत्रीय बैटकों के विस्तृत कार्यवृत्त को सावधानी पूर्वक बनाया जाए ताकि इन तथ्यों को ध्यान में रख कर और सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। अतः समिति यह आग्रह करती है कि समग्र आकलन प्रक्रिया की गहन रूप से समीक्षा की जाए ताकि क्षेत्रों से अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित वास्तविक एवं सटीक सांख्यिकीय आँकड़ों को प्राप्त किया जाए और अधिक लागत प्रभावी भविष्यकालीन प्रौद्योगिकी तकनीकों का सहारा लिया जाए, जैसे दूर संवेदी और भू-खण्डों का उपग्रहीय चित्रक आकलन जिससे की उर्वरकों की आवश्यकता के परिचालन तथा वितरण को सावधानी और प्रभावी विधि से किया जा सके।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • उर्वरकों की आवश्यकता के आकलन को और अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए इस मंत्रालय ने नए प्रोफार्म को प्रस्तुत किया और पूर्व के कुछ प्रोफार्म (उर्वरक प्रयोग के लिए आकलन की आवश्यकता) को संशोधित किया। • राज्यों से अनुरोध किया गया कि सकल उपज क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र, प्रखण्ड स्तर पर फसल क्षेत्र और पोषक तत्वों की कमी से संबंधित सूचना व जिला स्तर पर एनपीके पोषक तत्वों की आवश्यकता से संबंधित सूचनाओं को नए प्रोफार्म में संकलित करें। • सांख्यिकीय आँकड़े के संकलन से संबंधित मुद्दों को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उठाया गया। • इस मंत्रालय ने भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल को 19 मुख्य राज्यों (171 जिलों) में उर्वरकों के प्रयोग के लिए स्थान विशेष आधारित अनुशंसा बनाने हेतु भू-संदर्भित मृदा उपज मानचित्र तैयार करने के लिए एक परियोजना को स्वीकृति दी। अभी तक सभी 171 जिलों में मृदा मानचित्र तैयार किए जा चुके हैं। डिजिटाइज्ड मानचित्रों की तैयारी से संबंधित घटक को बारहवीं योजना अवधि में 371 जिलों में जारी रखने का प्रस्ताव है। • कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) ने 12 सितंबर से क्षेत्रीय बैटकों/सम्मेलनों से संबंधित विस्तृत कार्यवृत्त के ब्यों के अभिलिखित करना आरम्भ कर दिया है।
<p>2</p>	<p>समिति गंभीरता से उल्लेख करती है कि उर्वरक राजसहायता के संदर्भ में किया गया भुगतान वर्ष 2003-04 में ₹11,835 करोड़ से आठ गुना बढ़कर वर्ष 2008-09 में ₹96,603 करोड़ हो गया जो कि वर्ष 2009-10 में घटने से पहले ₹61,636 करोड़ था। समिति यह भी उल्लेख करती है कि प्रमुख घटक नियंत्रणमुक्त उर्वरकों को उच्च राजसहायता भुगतान</p>	<p>पीएण्डके उर्वरकों और स्वदेशी उत्पादन की कुल आवश्यकता के बीच की दूरी को पूरा करने के लिए उर्वरक विभाग उर्वरक कंपनियों को हितकारी मूल्यांकन व्यवस्था के अंतर्गत कच्चे माल/तैयार उर्वरकों की आपूर्ति करने के लिए संयुक्त उपक्रम परियोजना स्थापित करने, विदेशों में उर्वरक संपत्ति को अर्जित करने और</p>

किया गया जो कि वर्ष 2003-04 में ₹3326 करोड़ से 20 गुना बढ़कर वर्ष 2008-09 में ₹65,555 करोड़ हो गया। विभाग के अनुसार, पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादन के लिए कच्चे माल के आयात पर लागत भारतीय मुद्रा में उतार-चढ़ाव और बढ़ी हुई खपत जिससे उर्वरकों की सुपुर्दगी लागत में वृद्धि जारी रही क्योंकि फरवरी, 2002 से मार्च 2010 तक एमआरपी में कोई बदलाव नहीं आने के कारण राजसहायता राशि में वृद्धि हुई। समिति यह देखकर भी चिंतित थी कि यद्यपि फॉस्फेट युक्त उर्वरकों की क्षमता 1998-99 से 2008-09 तक दोगुनी हो गई परंतु वास्तविक उत्पादन केवल 30 प्रतिशत ही बढ़ा। राजसहायता बोझ में कई गुना वृद्धि हुई क्योंकि इस दौरान डीएपी/एमएपी/एनपीके मिश्रण की खपत में हुई वृद्धि को अत्यधिक उच्च कीमत के आयात से पूरा किया गया। समिति पाती है कि उत्पादन में 22 प्रतिशत नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई जो कि उसी अवधि में 38,67,000 एमटी से घटकर 29,93,000 एमटी हो गया जबकि डीएपी इकाइयों की स्थापित क्षमता वर्ष 1998-99 में 28,70,000 एमटी से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 72,99,000 एमटी हो गई (जोकि 154 प्रतिशत है)। रोचक तौर पर, यद्यपि उत्तरकालीन वर्षों के दौरान डीएपी के उत्पादन में वृद्धि हुई जिसने वर्ष 2009-10 और 2010-11 में उपयोग क्षमता का 84 प्रतिशत और वर्ष 2011-12 में 80.8 प्रतिशत को प्राप्त किया फिर भी फॉस्फेट युक्त कच्चा माल/मध्यस्थ के उत्पादन के लिए तैयार फॉस्फेट युक्त उर्वरकों या फॉस्फेट युक्त कच्चा माल/मध्यस्थ के लिए आयात पर निर्भरता 90 प्रतिशत रही क्योंकि देश में रॉक फॉस्फेट की निधियाँ अल्पतम और खराब दर्जे की हैं। इससे भी दुखद है कि, कृषि उपयोग के लिए पोटाशयुक्त उर्वरकों के आयात पर निर्भरता 100 प्रतिशत है। उर्वरक विभाग तथा-कथित रॉक फॉस्फेट और पोटाश के नवीन भण्डारों का पता लगाने के लिए अन्वेषण/सर्वे को बढ़ावा दे रहा है। फिर भी समिति चाहती है कि पीएण्डके उर्वरकों के कच्चे माल के अन्वेषण के अलावा विभाग को उर्वरक अधिकता वाले देशों विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए जो आयात पर निर्भर हैं, के साथ सामरिक निवेशों और गठबंधनों द्वारा पर्याप्त कदम उठाने चाहिए जिससे न केवल तैयार उर्वरकों बल्कि नये कच्चे माल की लंबे समय तक आपूर्ति की जा सके।

3

पोषक तत्व पर आधारित राजसहायता नीति के 01.04.2010 से प्रारंभ होने के साथ पीएण्डके उर्वरकों की राजसहायता राशि में कोई अतिरिक्त बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है और वास्तव में पीएण्डके क्षेत्र में पूर्ण राजसहायता व्यय में गिरावट देखी गई जो 2011-12 में ₹36,107 करोड़ और 2012-13 में ₹28,576.12 करोड़ थी। राजसहायता प्राप्त एक नियंत्रणमुक्त वस्तु (उर्वरक) के तर्काधार पर, समिति यह बताती है कि 25.08.1992 से पीएण्डके उर्वरक, के नियंत्रण मुक्त होने से इन उर्वरकों की खपत पर बुरा असर पड़ा क्योंकि राजसहायता हटा ली गई जिससे छोटे और सीमान्त किसानों पर असर हुआ और अन्ततः एनपीके उर्वरकों के इस्तेमाल में असंतुलन पैदा हो गया। समिति पाती है कि जबकि उर्वरक की खपत 2003-04 से 2008-09 में 46 प्रतिशत बढ़ी, कृषि उत्पादन (अनाज, तिलहन और गन्ना) के प्रमुख घटकों में इस दौरान सिर्फ 16 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई जोकि

लंबे समय के समझौतों में सम्मिलित होने के लिए बढ़ावा दे रहा है।

इस संदर्भ में, भारतीय कंपनियों ने ओमान, सेनेगल, मोरक्को, ट्यूनिशिया, जोर्डन और नाइजीरिया में संयुक्त उपक्रम पहले से ही स्थापित कर लिये हैं। उर्वरकों के क्षेत्र में सहयोग को घाना, टोगो, बेलायूस, कनाडा, रूस, यूक्रेन, ईरान, ईराक, जोर्डन, अल्जीरिया आदि देशों के साथ खोजा जा रहा है।

ईरान, रूस, टोगो में संयुक्त उपक्रम परियोजना और कनाडा से पोटाश का दीर्घावधि क्रय करार विभाग में विचाराधीन है।

मुदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को विधिवत महत्व दिया गया, रसायनिक उर्वरकों और जैविक खाद के संयोजित प्रयोग को समर्थन दिया गया ताकि मुदा के स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके। राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत इस योजना को एक उप-मिशन के रूप में 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने के लिए प्रस्तावित किया गया। राज्य सरकारों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रणालियों के पैकेज के जरिये किसानों को बेहतर कृषि संबंधी पद्धतियाँ प्रदान की गई।

एनबीएस नीति के कार्यन्वयन में बेहतर नतीजों के लिए विभाग ने मैसर्स अर्नेस्ट

कमजोर सामयिक सह-संबंध दर्शाती है। तथ्यों से सचेत होते हुए रसायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग और जैविक उर्वरकों की उपेक्षा से कम पैदावार हुई जिससे कृषि उत्पादन में निष्क्रियता आई, उर्वरक इस्तेमाल की दक्षता में कमी से किसानों को कम लाभ हुआ जिसने मृदा में न्यूनतम पोषक तत्वों को और भी कम कर दिया। जैसाकि विचार किया गया है, सीमिति विभाग पर रसायनिक उर्वरक और जैविक खाद के संयोजित प्रयोग को सम्मिलित करते हुए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को उचित महत्व देने पर बल देती है ताकि उच्च उर्वरक प्रतिक्रिया के लिए मिट्टी में जैविक कार्बन को बनाए रखा जा सके। आगे, फसल की पैदावार पर असर डाले बिना उर्वरक के प्रयोग की क्षमता को बढ़ाने में निःसंदेह उर्वरक की बड़ी मात्रा को बचाने की उच्च क्षमता है, यह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि संपोषणीय कृषि के लिए बेहतर भूमि संबंधी पद्धतियों को अपनाया जाए और बेहतर गुणों वाले उर्वरकों का उपयोग किया जाए जिसमें जैविक उर्वरकों को सम्मिलित किया गया हो। सीमिति विभाग से चाहती है कि देश की संतुलित उर्वरण आवश्यकता का समाधान किया जाए ताकि विभाग उपयुक्त संयोजनों और आवश्यक आगंतों के सहित देश के संतुलित उर्वरण की आवश्यकता को एक सक्रिय संकल्पना के रूप में ले ताकि लक्षित समय सीमा के भीतर एनबीएस नीति के अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

एंड यंग (ईवाई) जोकि एक परामर्श कंपनी है, को एनबीएस नीति के प्रभाव के अध्ययन के लिए एक कार्य सौंपा है। इस अध्ययन के मुख्य केन्द्रीय क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

- I. एनबीएस नीति के मूल्यां और उर्वरकों की भारत में उपलब्धता।
- II. एनबीएस नीति का मिट्टी के नियंत्रित उर्वरण और इसका कृषि उत्पादकता पर प्रभाव।
- III. एमआरपी के 'औचित्य' का पता लगाने के लिए यंत्रावली।
- IV. एनबीएस नीति के अधीन अतिरिक्त तंत्र की पहचान करना ताकि उसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके।
- V. कीमतों की निगरानी और नियमन
- VI. कीमतों की खोज और कीमतों का निर्धारण

अंतिम स्टडी रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद जोकि अभी प्रतीक्षित है और हिस्सेदार विभागों/कंपनियों से विचार करने के बाद, विभाग उपयुक्त उपाय करेगा जिससे कि एनबीएस नीति के भावी उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

समिति यह सूचित करती है कि कृषि उद्देश्यों के लिए नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की बिक्री हेतु राज्य सरकारों को प्रोफार्मा 'बी' का प्रमाणन करने की आवश्यकता पड़ती है जोकि उर्वरकों के अंत उपयोग पर एकमात्र प्रमुख नियंत्रण है लेकिन जून 2007 से इस तरीके के गटजोड को हटाने से कृषि उद्देश्यों के लिए नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए सक्षम प्राधिकारों द्वारा प्रमाणों को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन अब विद्यमान नहीं है। इसके परिणामस्वरूप बिना मिलान की हुई खरीद फरोख के आँकड़ों में काफी बढ़ोत्तरी पायी गई है जोकि वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक केवल ₹111 करोड़ की तुलना में वर्ष 2007-08 से 2009-10 ₹50.587 करोड़ रही। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि 14.12.2011 के अंतर्गत 2003-04 की अवधि के दौरान ₹ 2447.08 करोड़ की बकाया राशि थी और विभाग द्वारा शुरू किये गए एक अभियान के बाद नवीनतम लंबित आँकड़ा ₹1947 करोड़ था जोकि उर्वरक विभाग के सचिव के साक्ष्य में जमा किये गये लेखापरीक्षा प्राप्तियों पर आधारित था। प्रोफार्मा 'बी' में प्रमाणन की प्राप्ति होने तक राजसहायता के 10-15 प्रतिशत को जोड़ने की पूर्व प्रणाली के पुनःआरंभ करने की लेखापरीक्षा की अनुशंसा पर डीओएफ ने तर्क दिया कि प्रोफार्मा 'बी' कम प्रासंगिक है क्योंकि विभाग परिवर्तनशील उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) के अनुकूल बन रहा है जोकि प्रथम चरण में प्रतिदिन के आधार पर विक्रेता स्तर पर उर्वरक प्राप्ति और विक्रय को दर्ज करेगा। उर्वरक विभाग के अनुसार, इस प्रकार की सूचना ऑनलाइन उपलब्ध होगी और एक बार 2012-13 के वित्त वर्ष के अंतर्गत प्रणाली के स्थिर होने पर परिवर्तनशील (मोबाइल) एफएमएस के आधार पर

उर्वरक विभाग ने एक मोबाइल एफएमएस (एम-एफएमएस) प्रणाली आरंभ की है जो पहले से ही विद्यमान एफएमएस का जिला स्तर से विक्रेता स्तर तक का विस्तार करना है। एम-एफएमएस का पहला चरण उर्वरकों की प्राप्तियों को विक्रेता स्तर तक अधिग्रहण करता है। यह नवंबर 2012 से संचालित है और अब स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। एम-एफएमएस का दूसरा चरण खुदरा वितरकों (अर्थात अंतिम बिन्दु बिक्री) द्वारा की गई बिक्री और खरीद के विवरण का अधिग्रहण करता है। फरवरी 2013 के दौरान दूसरे चरण के उपयोग की अजमेर जिले में छः खुदरा वितरकों द्वारा सफलतापूर्वक जाँच की गई है तथा आवेदन को कंपनियों, खुदरा वितरकों और यूजर एक्सपैन्स टैस्ट में भागीदारों द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि के आधार पर संशोधित किया गया है। दूसरे चरण के पायलेट को 15 अगस्त 2013 के आरंभ में छः पायलेट जिलों में शुरू किया गया है। एक बार दूसरे चरण के स्थापित हो जाने पर, एमएफएमएस न केवल खुदरा वितरक स्तर तक उर्वरकों की उपलब्धता को उपलब्ध करेगा बल्कि संबंधित व्यक्ति को हर श्रेणी के उर्वरक की बिक्री का भी विवरण रखेगा। यह उर्वरक विभाग को खुदरा स्तर तक स्टॉक/बिक्री के सत्यापन के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली देगा।

आगे, संबंधित राज्यों के सभी कृषि निदेशकों से पहले से ही निवेदन किया गया है कि लंबित प्रोफार्मा 'बी' को शीघ्र जारी किया जाए।

राजसहायता का भुगतान किया जाएगा जो न केवल विक्रय अंकों के पुनर्मूल के लिए आवश्यकता का निराकरण करेगी बल्कि काला बाजारी और जमाखोरी के विरुद्ध एक प्रभावशाली निवारक के रूप में भी कार्य करेगी। विभाग की स्वयं स्वीकृति को विचार में रखते हुए कि ज़िला स्तर से आगे विक्रय व स्टॉक के सत्यापन का कोई विद्यमान तंत्र नहीं है तथा द्वितीयक विक्रय व खपत प्रतिमानों की निगरानी राज्य कृषि विभाग द्वारा की जा रही है इस पर समिति का वैचारिक मत था कि डीओएफ की भूमिका केवल गैर-कृषि उपयोग के लिए राजसहायता प्राप्त उर्वरक के विपथन के विभिन्न प्रतिवेदित उदाहरणों के प्रकाश में राज्य सरकार को सुग्राही बनाने तक ही सीमित न हो। आगे, समस्या की गंभीरता और कुरीतियों के कारण राजसहायता भार पर अंतर्निहित परिणामों का ध्यान रखते हुए यह अत्यावश्यक है कि एक सख्त सत्यापन व्यवस्था के सहित वास्तविक समय सूचना/ऑकड़े पर आधारित निवारक दंडात्मक/वित्तीय जुर्मानों को कठोरता से लागू करने को रखा जाए। जैसे कि सचिव द्वारा आश्वस्त किया गया है कि डीओएफ इस प्रमाण के साथ कि विभाग किसान स्तर तक कि उर्वरक आवाजाही का पता लगाने के लिए एक प्रायोगिक योजना को विकसित कर रहा है, समिति चाहती है कि डीओएफ तुरंत स्टॉक/विक्रय के सत्यापन के लिए विश्वनीय व सरल प्रक्रिया के सहित एक अधिक सख्त निगरानी तंत्र और निरीक्षण व्यवस्था को लागू ताकि राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के चोरी होने के खतरे, विपथन और रिसावों को रोका जा सके।

5

समिति गहरी चिंता के सहित कई कमियों और अपर्याप्तताओं को देखती है जो उर्वरकों की गुणवत्ता जांच को संक्रमित करते हैं। ऐसे चिंता क्षेत्र में इसके अलावा शामिल हैं सभी विक्रय निकासों से जांचे गए नमूनों के लिए आवश्यक क्षमता की तुलना में वर्तमान गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की अत्यंत अपूर्ण क्षमता; प्रयोगशालाओं में अपूर्ण भौतिक एवं मानवीय आधारभूत संरचना; जांचे गए नमूनों के वास्तविक संख्या में अहम कमियाँ आदि। समिति को जो सबसे ज्यादा चिंतित करता है वो है उर्वरक गुणवत्ता क्षमता के नतीजों का बताई गई समय सीमा में विश्लेषण और संचारण का पालन न होना। यद्यपि विभाग द्वारा लिए गए कई उपायों के साथ-साथ पहले से ही विद्यमान 39 एफक्यूसीएल का सशक्तिकरण, 15 नई एफक्यूसीएल की स्वीकृति, मृदा जाँच प्रयोगशालाओं की संख्या को बढ़ाकर 1049 करना जिनकी 31.03.2012 को विश्लेषण क्षमता 10.7 मिलियन हो, 180 स्थिर और 145 चल प्रयोगशालाएं जोड़ने की योजना आदि। समिति अभी भी ठीक तरीके से उर्वरकों की गई जाँच और इस्तेमाल में लाए जाने वाले अवमानक उर्वरकों के कारण होने वाले अवरोधों से चिंतित है। समस्या एफसीओ प्राक्धानों के सहित संयोजित है जिसमें उर्वरकों की क्षमता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सिर्फ राज्य सरकारों पर है यद्यपि केन्द्र सरकार मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय मदद प्रदान करती है। समिति दोनों विभागों (कृषि और उर्वरक) पर दबाव डालती है कि वो उर्वरकों की जाँच क्षमता में सम्मिलित अत्यावश्यकताओं पर गंभीरता से विचार करे और मृदा

बिन्दु 5 एवं 6 के लिये:

समिति राज्यों में उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और एफसीओ के कार्यान्वयन के क्रियान्वयन तंत्र में सुधार लाने पर बल देती है। यह मंत्रालय किसानों को बेहतर दर्जे के उर्वरकों को देने को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों के साथ उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करने और राज्यों में एफसीओ के प्रवर्तन तंत्र को लागू करने की आवश्यकता पर बल देता है। हाल ही में, इस मंत्रालय ने 31.07.2013 के पत्र द्वारा सभी राज्यों को विभिन्न बिन्दुओं पर सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

	<p>जाँच प्रयोगशालाओं और क्षमता जाँच की भौतिक और मानवीय आधारभूत संरचना की बढ़ोत्तरी को सुदृढ़ करने में लगातार प्रगतिशील रहे। समिति को विश्वास है कि राज्य सरकारों के साथ क्रमबद्धता से कार्य करके और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जैसे अनुसंधान संस्थानों को शामिल करके विभाग उर्वरकों की जाँच क्षमता में अवश्य ही स्पष्ट प्रभावशाली सुधार ला पाएगा।</p>	
<p>6</p>	<p>उर्वरक गुणवत्ता जाँच के नतीजों को बताने में अनुबंधित 52 दिन की समय सीमा में देरी के प्रतिकूल निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए समिति विभागों को राज्य सरकारों को एफसीओ के खण्ड 30 जोकि गुणवत्ता जाँच नतीजों के अनुबंधित समय सीमा में विश्लेषण और अनुबंधित करने के सख्त अनुपालन को निर्देशित करता है, के उल्लंघन पर कठोर कार्यवाही करने पर बल देती है। समिति आगे अनुसंधित करती है कि अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय प्रावधान जो उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही और दोषी पाए जाने पर सात साल की सजा निर्धारित करने के अतिरिक्त उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्राधिकृत प्रमाणपत्र के विलोपन और अन्य प्रशासनिक कार्यवाही, की जा सकती है ताकि अवमानक उर्वरकों की बिक्री और आपूर्ति रोकी जा सके।</p>	
<p>7</p>	<p>किसानों को अवमानक उर्वरकों की आपूर्ति की शिकायतों के बारे में उर्वरक विभाग के प्रतिनिधियों की स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए समिति यह अनुशंसा करती है कि किसानों की अवमानक उर्वरकों से संबंधित शिकायतों के तंत्र को सरल बनाया जाए और उन्हें (किसानों) अपनी शिकायतें जिला मजिस्ट्रेट/जिला कृषि अधिकारी के समक्ष दर्ज कराने की इजाजत दें ताकि शीघ्र और उचित कार्यवाही हो सके। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जब कभी आवश्यकता हो तब संसद सदस्यों, विधायकों और जनता के अन्य प्रतिनिधियों के साथ गैर सरकारी संस्था को विशेष राज्यों में उर्वरक गुणवत्ता जाँच केंद्रों की एकदम सही स्थिति के साथ-साथ उनकी सूची भी प्रदान की जाए। समिति आगे यह चाहती है कि विभागों द्वारा अपेक्षित उपायों को किया जाए ताकि भारतीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन परियोजना किसानों द्वारा सिंचाई के लिए इस्तेमाल में लाए गए गंदे पानी की समस्या का संबोधन करें।</p>	<p>कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को पत्र जारी करके यह सलाह दी है कि किसानों की अवमानक उर्वरकों से संबंधित शिकायतों के तंत्र को सरल बनाएं। इसके अतिरिक्त, उन्हें यह सलाह भी दी गई है कि उर्वरक जाँच प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता की सूचना संसद सदस्यों, विधायकों और जनता के अन्य प्रतिनिधियों को उपलब्ध की जाए।</p> <p>समिति यह चाहती है कि उपाय किए जाएँ ताकि भारतीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना किसानों द्वारा इस्तेमाल किए गए गंदे पानी की समस्या को समाधान कर सके। इस संदर्भ में यह उल्लेख किया गया है कि सिंचाई के जल का विषय संसाधन मंत्रालय के अधीन आता है।</p>

JKT; &okj fo'ys'kr ueuka dh l d; k dks n' kkrh foofj.kdk

jKT;	,OD; W l h yk dh l d; k	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		okLrfod : i l s t kp fd; s x, ueuka dh l d; k	Okf'kld fo'ysk.k {kerk	okLrfod : i l s t kp fd; s x, ueuka dh l d; k	Okf'kld fo'ysk.k {kerk	okLrfod : i l s t kp fd; s x, ueuka dh l d; k	Okf'kld fo'ysk.k {kerk	okLrfod : i l s t kp fd; s x, ueuka dh l d; k	
असम	1	500	271	500	275	500	292	500	324
मिजोरम	1	250	5	250	0	250	1	250	1
झारखंड	1	3385	682	3385	838	4165	824	1500	723
बिहार	1	2000	1748	2000	1738	2000	1719	2000	2080
ओडीसा	3	3500	2396	3500	2196	3500	2217	10000	3398
पश्चिम बंगाल	3	4500	2064	4500	2079	4500	2971	4500	2387
गुजरात	3	7500	5977	7500	9060	7500	9990	7500	14623
मध्य प्रदेश	4	5200	4560	5200	4853	6500	5497	7270	6671
छत्तीसगढ़	1	2500	2098	2500	2018	2500	2150	2500	2171
महाराष्ट्र	5	13630	14989	16000	16403	18000	16939	18000	17422
राजस्थान	4	8000	14336	8000	15820	10000	15586	8000	14051
हरियाणा	3	5100	4089	5100	4561	5100	4277	5100	3901
हिमाचल प्रदेश	3	2000	1866	2000	1707	2000	1770	2000	1673
जम्मू व कश्मीर	2	1400	1395	1450	1895	1450	1980	1450	2127

पंजाब	3	3000	3123	3000	3018	3000	3629	3600	3576
उत्तर प्रदेश	5	10000	9205	10000	11345	10000	10227	16500	10848
उत्तराखंड	2	700	200	800	183	700	215	700	261
आंध्र प्रदेश	5	15000	14935	15000	15419	15000	15284	15000	15238
कर्नाटक	7	10065	5948	10065	6229	15000	9642	15000	10423
केरल	2	3000	2574	3000	2542	4000	2262	4000	2463
पोंडिचेरी	1	700	627	700	484	700	627	700	467
तमिलनाडु	14	17500	18011	17500	17398	17756	16540	17900	17899
भारत सरकार	4	8500	10769	8500	11909	8500	9233	8500	6234
दु	78	127930	121868	130450	131970	142621	133872	152470	138961

Mh, ih ¼i k'skd rRo ^ih*½ ds fy, cpekdZ dher ds foyfcr fu/kkZ .k ds dkj .k jktl gk; rk dh vfrfjDr ykxr dks n'kkZrh foofj.f.kdk

Øe l'q; k	moj d	2011&12 ea foØ; dh xbl ek=k ¼, eVh e½	QWLQV* ¼i h½ dh ek=k ¼, eVh e½
1	2	3	4
1.	Mh, ih (18-46-0-0)	9634024.82	4431651.41
2.	Mh, ih ykbM (16-44-0-0)	1129456.75	496960.97
3.	, e, ih (11-52-00)	112995.45	58757.63
4.	Vh, lih (0-46-0-0)	84479.45	38860.55
5.	, l , lih	4814287.60	770286.01
, ui hds l'eg			
6.	16-20-0-13	314392.10	62878.42
7.	20-20-0-13	2931482.97	586296.60
8.	20-20-0-0	2710128.25	542025.65
9.	24-24-0-0	176203.10	42288.74
10.	28-28-0-0	283646.70	79421.08
11.	10-26-26-0	1711250.10	444925.03
12.	12-32-16-0	1252722.30	400871.14
13.	14-28-14-0	241542.20	67631.82
14.	14-35-14-0	321090.50	112381.68
15.	15-15-15-0	410969.70	61645.46
16.	15-15-15-0.2	30262.90	4539.43
17.	15-15-15-09	69829.55	10474.43
18.	16-16-16-0	46152.80	7384. 45
19.	17-17-17-0	5422.00	921.74
20.	19-19-19-0	12101.55	2299.30
			8222505.54

2011&12 ds nkjku ih, .Mds moj dka ea ^ih* dh ek=k ¼, eVh e½		8222505.54
ih, eVh ; w l \$ 612 ih, eVh dh cpekdZ dher ij ebl 2011 ea fu/kkZjr dh xbl njka ij vk/kkZjr ^ih* ds fy, jktl gk; rk ¼ ih, eVh e½	32338	
^ih* ds fy, jktl gk; rk ; fn ; w l \$ 500 dh cpekdZ dher ij uoaj 2010 ea	25582**	

nj fu/kkfjr dh xbl gkrhA ih, eVh e		
foHknh; jktl gk; rk e	6756	
ifjgk; Ljktgk; rk	मात्रा X 6756	₹5555.12 करोड़

* फॉस्फेट की मात्रा, उर्वरक में उपस्थित फॉस्फेट की प्रतिशतता पर आधारित है।

**₹46.06 की विनिमय दर, 5.15 प्रतिशत की दर पर सीमा शुल्क, 1.03 प्रतिशत की दर पर 105 दिनों के लिए लंदन इंटरबैंक द्वारा प्रस्तावित दर (एलआईबीओआर) का ऋण, ₹729 पीएमटी का प्रबंधन शुल्क, 275 पीएमटी विक्रेता का मार्जिन, ₹50 पीएमटी पूंजी पर वापसी और ₹9950 पीएमटी पर डीएपी की एमआरपी के आधार पर राजसहायता की गणना की गई।

^vkj fHkd ekfl d vki frl ; kstuk* vkg fu; fer ekfl d vki frl ; kstuk* ea n'kkz h xbz mojd vki frl; ka dh ek=k ea varj

¼, eVh ea ek=k½

dEi uh dk uke	Ekg	mRi kn dk uke	jkT; dk uke	Mhvks Q ds vuq kj ; kst uk	fu; fer dh xbz ek=k	fu; fer dh xbz vfrfjDr ek=k	vfrfjDr vki frl ds fy, dkj .k
nhi d mojd	जून-12	एनपीके	महाराष्ट्र	2000	10900	8900	एनपीके के उत्पादन में वृद्धि
	जून-12	एनपीके	कर्नाटक	0	800	800	एनपीके के उत्पादन में वृद्धि
	जून-12	एनपीके	गुजरात	0	800	800	एनपीके के उत्पादन में वृद्धि
	जून-12	एनपीके	मध्य प्रदेश	0	500	500	एनपीके के उत्पादन में वृद्धि
jkVh; j l k; u vkg mojd	जून-12	आयातित एमओपी	महाराष्ट्र	0	5400	5400	दिए नहीं गए
	जून-12	आयातित एमओपी	आंध्र प्रदेश	0	2700	2700	दिए नहीं गए
	जून-12	आयातित एमओपी	कर्नाटक	0	8100	8100	दिए नहीं गए
	जून-12	आयातित एमओपी	तमिलनाडु	0	5400	5400	दिए नहीं गए
	जून-12	आयातित एमओपी	बिहार	0	2700	2700	दिए नहीं गए
	जून-12	आयातित एमओपी	पश्चिम बंगाल	0	2700	2700	दिए नहीं गए
dkjkeMy varj kVh; fyfeVM	जून-12	स्वदेशी डीएपी	आंध्र प्रदेश	0	5000	5000	उत्पादन में वृद्धि
	जून-12	स्वदेशी डीएपी	कर्नाटक	0	2500	2500	उत्पादन में वृद्धि
	जून-12	स्वदेशी डीएपी	महाराष्ट्र	0	5000	5000	उत्पादन में वृद्धि
	जून-12	स्वदेशी एनपीके	महाराष्ट्र	0	10000	10000	उत्पादन में वृद्धि
	जून-12	स्वदेशी एनपीके	मध्य प्रदेश	0	5000	5000	उत्पादन में वृद्धि
	जून-12	स्वदेशी एनपीके	आंध्र प्रदेश	55000	65800	10800	उत्पादन में वृद्धि
	जून-12	आयातित एमओपी	आंध्र प्रदेश	0	3500	3500	उत्पादन में वृद्धि
	जून-12	आयातित एमओपी	तमिलनाडु	0	2500	2500	उत्पादन में वृद्धि
	जून-12	आयातित एमओपी	कर्नाटक	0	2500	2500	उत्पादन में वृद्धि
	जून-12	आयातित एमओपी	पश्चिम बंगाल	0	2500	2500	उत्पादन में वृद्धि
pcy mojd , oaj l k; u fy-	जनवरी-13	आयातित एमओपी	गुजरात	0	486	486	बंदरगाह पर शेष रह गया स्टॉक
	जनवरी-13	आयातित डीएपी	छत्तीसगढ़	0	2716.35	2716.35	मार्कफेड की माँग को पूर्ण करने के लिए
	जनवरी-13	आयातित डीएपी	आँध्र प्रदेश	0	311.95	311.95	बंदरगाह पर स्टॉक को हटाने के लिए
	जनवरी-13	आयातित डीएपी	राजस्थान	8000	13259.55	5259.55	राजस्थान को माल भेजा गया क्योंकि वही अन्य राज्य के लिए अनुमत नहीं था।
	जनवरी-13	आयातित डीएपी	गुजरात	1000	7520	6520	दिशापरक प्रतिबंध के कारण माल भेजा गया। रेल द्वारा माल को ले जाया गया।

VVK j k; u fy-	जनवरी-13	स्वदेशी डीएपी	बिहार	0	10982.20	10982.20	उपलब्ध नहीं
	जनवरी-13	स्वदेशी एनपीके	बिहार	0	669.90	669.90	608 एमटी की प्राप्ति गत माह के पारगमन के विरुद्ध है और 62 एमटी एनपीके फैक्ट्री का बचा हुआ स्टॉक है।
je , l xhtu LVkj	जनवरी-13	आयातित डीएपी	मध्य प्रदेश	0	2646.60	2646.60	मूल योजना को प्रस्तुत नहीं किया गया।
ijknhi oMLOV fyfeVM	जनवरी-13	स्वदेशी डीएपी	छत्तीसगढ़	2600	4019.40	1419.40	अवशिष्ट स्टॉक की आपूर्ति की गई
	जनवरी-13	स्वदेशी डीएपी	झारखंड	0	1046.80	1046.80	अवशिष्ट स्टॉक की आपूर्ति की गई
	जनवरी-13	स्वदेशी डीएपी	महाराष्ट्र	1200	2670.80	1470.80	अवशिष्ट स्टॉक की आपूर्ति की गई
	जनवरी-13	स्वदेशी एनपीके	आंध्र प्रदेश	21800	33228.70	11428.70	अवशिष्ट स्टॉक की आपूर्ति की गई
	जनवरी-13	स्वदेशी एनपीके	झारखंड	0	655	655	अवशिष्ट स्टॉक की आपूर्ति की गई
	जनवरी-13	स्वदेशी एनपीके	महाराष्ट्र	4000	8197.80	4197.80	अवशिष्ट स्टॉक की आपूर्ति की गई
	जनवरी-13	आयातित डीएपी लाइट	छत्तीसगढ़	0	2728.55	2728.55	अवशिष्ट स्टॉक की आपूर्ति की गई
	जनवरी-13	आयातित डीएपी लाइट	उत्तर प्रदेश	2600	7718.85	5118.85	-वही-
	जनवरी-13	आयातित एमओपी	असम	0	2657.70	2657.70	उपलब्ध नहीं
bM; u iMk'k fy-	अगस्त-11	एमओपी	आंध्र प्रदेश	0	500	500	डीओएफ से निर्देश प्राप्त होने के कारण आपूर्ति/राज्य सरकार/संघ द्वारा आवश्यकता
	अगस्त-11	एमओपी	गुजरात	0	8000	8000	-वही-
	अगस्त-11	एमओपी	राजस्थान	0	1500	1500	-वही-
	अगस्त-11	डीएपी	हरियाणा	15000	19000	4000	डीओएफ से निर्देश/राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता
	अगस्त-11	डीएपी	गुजरात	0	4000	4000	-वही-
	अगस्त-11	डीएपी	जम्मू एवं कश्मीर	0	4000	4000	-वही-
	अगस्त-11	डीएपी	केरल	0	2700	2700	-वही-
	अगस्त-11	डीएपी	उड़ीसा	0	500	500	-वही-
	अगस्त-11	डीएपी	पंजाब	50000	65000	15000	-वही-
	अगस्त-11	एमएपी	गुजरात	0	4000	4000	-वही-
अगस्त-11	एमएपी	महाराष्ट्र	0	4000	4000	-वही-	

	अगस्त-11	एमएपी	पंजाब	0	3500	3500	-वही-
	अगस्त-11	डीएपी लाईट	बिहार	0	3000	3000	-वही-
	अगस्त-11	डीएपी लाईट	झारखंड	0	3000	3000	-वही-
	अगस्त-11	डीएपी लाईट	मध्य प्रदेश	0	3000	3000	-वही-
	अगस्त-11	डीएपी लाईट	छत्तीसगढ़	0	8000	8000	-वही-
	अगस्त-11	डीएपी लाईट	आंध्र प्रदेश	0	12000	12000	-वही-
Jh jke mojd , oajlk; u	जुलाई-12	आयातित डीएपी	राजस्थान	0	2700	2700	दिए नहीं गए
	जुलाई-12	आयातित डीएपी	पंजाब	0	2700	2700	दिए नहीं गए
	जुलाई-12	आयातित डीएपी	हरियाणा	0	2700	2700	दिए नहीं गए
	जुलाई-12	आयातित डीएपी	मध्य प्रदेश	0	5400	5400	दिए नहीं गए
	जुलाई-12	आयातित डीएपी	गुजरात	0	1500	1500	दिए नहीं गए
	जुलाई-12	आयातित डीएपी	महाराष्ट्र	0	2700	2700	दिए नहीं गए
	जुलाई-12	आयातित डीएपी	उत्तरांचल	0	5100	5100	दिए नहीं गए
VKK jlk; u fy-	जुलाई-12	आयातित डीएपी	बिहार	0	13250	13250	31198 एमटी का आयातित डीएपी का एक जलयान 16.07.2012 को पहुँचा।
	जुलाई-12	आयातित डीएपी	झारखंड	0	2650	2650	-वही-
	जुलाई 2012	आयातित डीएपी	पश्चिम बंगाल	0	10600	10600	-वही-
bM; u iMk'k fy-	मई-12	एमओपी	आंध्र प्रदेश	20000	32000	12000	राज्य सरकार की आवश्यकता
	मई-12	डीएपी	जम्मू व कश्मीर	0	2700	2700	-वही-
	मई-12	डीएपी	उत्तर प्रदेश	0	2700	2700	-वही-
VVK jlk; u fy-	अप्रैल-12	आयातित डीएपी	उत्तर प्रदेश	0	12000	12000	60000 एमटी की आवश्यकता की अपेक्षा 106600 एमटी को आयोजित/विनिहित किया गया
dlj keMy bMj us'tuy fyfeWl	अप्रैल-12	एमओपी	कर्नाटक	0	2500	2500	09.04.2012 को काकीनाड़ा बंदरगाह पर 6200 टन का एमओपी स्टॉक उपलब्ध था
	अप्रैल-12	एमओपी	पश्चिम बंगाल	0	2500	2500	-वही-
	अप्रैल-12	एमओपी	आंध्र प्रदेश	0	1200	1200	-वही-
xlu LVlj mojd fy-	अप्रैल-12	आयातित डीएपी	पंजाब	जारी नहीं किये गये	3900	3900	37000 एमटी के डीएपी जलयान को 21.04.2012 को आने से वर्जित कर दिया गया।
ulxktū mojd , oajlk; u	सितंबर-12	आयातित एमओपी	आंध्र प्रदेश	0	15716.30	15716.30	अगस्त 2012 के प्रेषित और शेष स्टॉक को सितंबर 2012 में लिया गया।
	सितंबर-12	आयातित एमओपी	कर्नाटक	0	3805.80	3805.80	-वही-

	सितंबर-12	आयातित एमओपी	उड़ीसा	0	3767	3767	-वही-
	सितंबर-12	आयातित एमओपी	पश्चिम बंगाल	0	2514	2514	-वही-
t qj h gk Mx fy-	सितंबर-12	स्वदेशी डीएपी	आंध्र प्रदेश	0	743	743	अगस्त 2012 के समाप्त होने पर रिकॉर्ड पर बचा हुआ स्टॉक
	सितंबर-12	स्वदेशी डीएपी	कर्नाटक	0	355	355	-वही-
	सितंबर-12	स्वदेशी डीएपी	तमिलनाडु	0	630	630	-वही-
	सितंबर-12	स्वदेशी डीएपी	केरल	0	590	590	-वही-
	अक्टूबर-12	स्वदेशी डीएपी	बिहार	0	481.45	481.45	प्राप्ति सितंबर 2012 की आपूर्ति योजना के विरुद्ध थी
VKk j l k; u fy-	अक्टूबर-12	स्वदेशी डीएपी	झारखण्ड	0	1004.15	1004.15	-वही-
	अक्टूबर-12	आयातित डीएपी	बिहार	0	13225.65	13225.65	सितंबर 2012 की आपूर्ति योजना के विरुद्ध आपूर्ति की गई
	अक्टूबर-12	आयातित डीएपी	पश्चिम बंगाल	0	5383.50	5383.50	-वही-
	अक्टूबर-12	स्वदेशी एनपीके	झारखण्ड	2650	3595.15	945.15	रेक मात्रा को बनाए रखने के लिए
	अक्टूबर-12	स्वदेशी एनपीके	असम	500	1262.20	762.20	-वही-
VKk j l k; u fy-	अक्टूबर-12	आयातित एमओपी	असम	0	2572.20	2572.20	सितंबर 2012 की आपूर्ति योजना के विरुद्ध आपूर्ति की गई
	अक्टूबर-12	आयातित एमओपी	मध्य प्रदेश	0	202.95	202.95	आपूर्ति कुछ हद तक डीएपी के सहित एकत्रित थी
	अक्टूबर-12	आयातित एमओपी	जम्मू व कश्मीर	0	252.40	252.40	-वही-
	अक्टूबर-12	आयातित एमओपी	उत्तरांचल	0	117.50	117.50	-वही-
	अक्टूबर-12	आयातित डीएपी	जम्मू व कश्मीर	4000	7042.05	3042.05	राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता
pky mojd , oa j l k; u fy-	अक्टूबर-12	आयातित डीएपी	उत्तर प्रदेश	0	13181	13181	दिए नहीं गए
	अक्टूबर-12	आयातित डीएपी	बिहार	0	10874.80	10874.80	दिए नहीं गए
	अक्टूबर-12	आयातित डीएपी	पश्चिम बंगाल	0	8621.80	8621.80	दिए नहीं गए
	अक्टूबर-12	आयातित डीएपी	झारखंड	0	2138.40	2138.40	दिए नहीं गए
	अक्टूबर-12	आयातित डीएपी लाइट	उत्तर प्रदेश	0	36485.60	36485.60	दिए नहीं गए
	अक्टूबर-12	आयातित डीएपी लाइट	बिहार	0	9707.60	9707.60	दिए नहीं गए
	अक्टूबर-12	आयातित डीएपी लाइट	पश्चिम बंगाल	0	3929.60	3929.60	दिए नहीं गए
	अक्टूबर-12	आयातित डीएपी लाइट	झारखंड	0	517.40	517.40	दिए नहीं गए
bMlxVO mojd	दिसंबर-12	आयातित एमओपी	जम्मू व कश्मीर	0	562.05	562.05	आपूर्ति कुछ हद तक डीएपी के सहित एकत्रित थी
	दिसंबर-12	आयातित एमओपी	महाराष्ट्र	0	316.25	316.25	नवंबर 2012 के पारगमन रिकॉर्ड की प्राप्ति
	दिसंबर-12	आयातित डीएपी	मध्य प्रदेश	15000	18016.75	3016.75	दिसंबर 2012 में नवंबर के पारगमन रिकॉर्ड की प्राप्ति हुई

	दिसंबर-12	आयातित डीएपी	महाराष्ट्र	0	1567.20	1567.20	--वही-
bOdk	दिसंबर-12	स्वदेशी मिश्रित (एनपीके)	छत्तीसगढ़	0	2727	2727	सदस्य सहकारी समितियों से माँग, एचएल रेक मात्रा और पारगमन में स्टॉक की उपलब्धता
	दिसंबर-12	स्वदेशी मिश्रित (एनपीके)	हिमाचल प्रदेश	0	2665	2665	डीओएफ से प्राप्त निर्देश
	दिसंबर-12	स्वदेशी मिश्रित (एनपीके)	पश्चिम बंगाल	8000	15731	7731	सदस्य सहकारी समितियों से माँग, एचएल रेक मात्रा और पारगमन में स्टॉक की उपलब्धता
	दिसंबर-12	स्वदेशी मिश्रित (एनपीके)	तमिलनाडु	0	5294	5294	डीओएफ से प्राप्त निर्देश
	दिसंबर-12	स्वदेशी डीएपी	हरियाणा	11000	24370	13370	सहकारी समिति के लिए माँग
	दिसंबर-12	स्वदेशी डीएपी	राजस्थान	14000	20320	6320	-वही-
	दिसंबर-12	स्वदेशी डीएपी	तमिलनाडु	0	2567	2567	-वही-
	vWk j l k; u fy-	दिसंबर-12	स्वदेशी एनपीके	बिहार	2100	6545.25	4445.25
दिसंबर-12		स्वदेशी एनपीके	पश्चिम बंगाल	11340	20406.20	9066.20	-वही-
, xixxM vWkud i xboV fy-	नवंबर-12	एनपीक	आंध्र प्रदेश	0	3400	3400	नवंबर 2012 माह में आपूर्ति योजना देर से प्राप्त हुई थी।
	नवंबर-12	एनपीक	कर्नाटक	0	3500	3500	-वही-
	नवंबर-12	एनपीक	तमिलनाडु	0	9000	9000	-वही-
	नवंबर-12	आयातित डीएपी	तमिलनाडु	0	1000	1000	-वही-
	नवंबर-12	आयातित डीएपी	झारखण्ड	0	1000	1000	-वही-
	नवंबर-12	आयातित डीएपी	बिहार	0	6000	6000	-वही-
	नवंबर-12	आयातित डीएपी	छत्तीसगढ़	0	1100	1100	-वही-
	नवंबर-12	आयातित डीएपी	उत्तर प्रदेश	0	7500	7500	-वही-
, pit,e j l k; u , oa mojd fy-	नवंबर-12	आयातित डीएपी	उत्तर प्रदेश	-शून्य-	15000	15000	अक्टूबर 2012 माह के दौरान नौ परिवहन में विलंब के कारण
	नवंबर-12	आयातित डीएपी	पंजाब	-शून्य-	15000	15000	-वही-
	नवंबर-12	आयातित डीएपी	हरियाणा	-शून्य-	5000	5000	-वही-

शब्दावली

'kCnkoyh

ukbVktu ; Pr mojd	उर्वरक जिसमें प्राथमिक रूप से नाइट्रोजन पोषक तत्व है।
QkLQV ; Pr mojd	उर्वरक जिसमें प्राथमिक रूप से फॉस्फोरस पोषक तत्व है।
i kV'k ; Pr mojd	उर्वरक जिसमें प्राथमिक रूप से पोटैश पोषक तत्व है।
i k'd rRo	पोषक तत्व उर्वरकों के वह घटक होते हैं, जिनके उपयोग से पौधे की वृद्धि होती है।
Qkz xV eW;	वह मूल्य (कर सहित) जिस पर उर्वरक अंतिम उपभोक्ता अर्थात किसानों को उपलब्ध है।
ojh; rk vuq kr	पोषक तत्वों का वैज्ञानिक रूप से निर्धारित वह अनुपात जो मृदा के स्वास्थ्य और सन्तुलित उर्वरक के प्रयोग को सुनिश्चित करता है।
df" k mRi kndrk	कृषि में निवेशों के साथ कृषि से प्राप्तियों का अनुपात।
LFkfi r {kerk	वह उत्पादन जो एक स्थापित सुविधा के इष्टतम संभव उपयोग से प्राप्त हो सके।
fefJr mojd	नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश पोषक तत्व से युक्त उर्वरक।
cpekdl eW;	राजसहायता दरों के निर्धारण के लिए विचार किया गया क्रय मूल्य।
i kFkfed xfrfof/k	संयंत्र या पतन से विभिन्न संग्रह (रेक) बिन्दुओं तक रेल से गतिविधि।
f}rh; d xfrfof/k	निकटस्थ संग्रह (रेक) बिन्दु से जिले के ब्लॉक मुख्यालय तक सड़क से गतिविधि।
I Lrh Lon' kh@, i h, e xJ	स्वदेशी रूप से उत्पादित गैस जो कि एमओपीएनजी द्वारा आवंटन के अनुसार उर्वरक कम्पनियों को उपलब्ध है।
mojd ckWM	राजसहायता की नकद प्रतिपूर्ति के बदले में उर्वरक कम्पनियों को जारी बॉण्ड।
jktl gk; rk dh oki l h	राजसहायता में कमी किए जाने पर उर्वरक के अंतिम स्टॉक पर राजसहायता की अतिरिक्त राशि की वसूली किया जाना।
vki u tuju ykbl d	भारत सरकार द्वारा स्वदेशी आयातकों को जारी किया जाने वाला एक प्रकार का आयात लाइसेंस।
Ekkf l d vki frl ; kstuk	राज्य सरकार के साथ परामर्श में डीएसी द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकता पर आधारित योजना। प्रत्येक पूर्ववर्ती माह की 25 तारीख या इससे पहले उर्वरक कम्पनियों को डीओएफ द्वारा इसकी योजना जारी की जाती है।

संक्षिप्ताक्षर

I f{klrk{kj

Ø- l a	I f{klrk{kj	fooj .k
1.	एपीएम	एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म (प्रशासनिक मूल्यांकन तंत्र)
2.	सीएफसीएल	चंबल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (चंबल उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड)
3.	सीएण्डएजी	कॉम्प्यूट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक)
4.	सीएफआर	कॉस्ट एण्ड फ्रेट (लागत एवं मालभाड़ा)
5.	सीसीईए	कैबिनेट कमेटी ऑन इकनोमिक अपयेर्स (आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति)
6.	सीओएस	कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज़ (सचिवों की समिति)
7.	सीपीएसई	सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइज़ (केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम)
8.	डीएपी	डाई-अमोनियम फॉस्फेट
9.	डीओएफ	डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स (उर्वरक विभाग)
10.	डीएसी	डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड कोआपरेशन (कृषि एवं सहकारिता विभाग)
11.	डीओई	डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर (व्यय विभाग)
12.	डीएआरई	डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एण्ड एजुकेशन (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग)
13.	डीएफसीएल	दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स कोर्पोरेशन लिमिटेड (दीपक उर्वरक एवं पेट्रोसायन निगम लिमिटेड)
14.	ईजीओएम	इंपावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (अधिकार प्राप्त मंत्रियों का समूह)
15.	एफएआई	द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (भारतीय उर्वरक संघ)
16.	एफएमएस	फर्टिलाजर मोनितरिंग सिस्टम (उर्वरक निगरानी प्रणाली)
17.	एफसीओ	फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर (उर्वरक नियंत्रण आदेश)
18.	एफक्यूसीएल	फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरीज़ (उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ)
19.	एफएसीटी	फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लिमिटेड)
20.	जीओएम	ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (मंत्रियों का समूह)
21.	जीएसएफसी	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (गुजरात राज्य उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड)
22.	जीएनएफसी	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड (गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक कंपनी लिमिटेड)
23.	आईपीएल	इंडियन पोटाश लिमिटेड (भारतीय पोटाश लिमिटेड)
24.	आईएफएफसीओ	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को-ओपरेटिव ऑर्गनाइज़ेशन (भारतीय कृषक उर्वरक सहकारिता ऑर्गनाइज़ेशन)
25.	आईएमसी	इंटर मिनिस्ट्रीयल कमेटी (अंतर मंत्रालयी कमेटी)
26.	आईसीएआर	इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)

27.	एलआईबीओआर	लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट (लंदन इंटरबैंक द्वारा प्रस्तावित दर)
28.	एलएमटी	लाख मीट्रिक टन
29.	एमओपी	मुरियेट ऑफ पोटाश (पोटाश का मुरियेट)
30.	एमएपी	मोनो-अमोनियम फॉस्फेट
31.	एमएफएल	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (मद्रास उर्वरक लिमिटेड)
32.	एमआरपी	मैक्सिमम रीटेल प्राइस (अधिकतम खुदरा मूल्य)
33.	एमपीएल	मंगलम फॉस्फेट लिमिटेड
34.	एमओपीएनजी	मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एण्ड नेचुरल गैस (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय)
35.	एमटीपीए	मीट्रिक टन्स पर एन्म (प्रतिवर्ष मीट्रिक टन)
36.	एनपीएमएसएचएण्डएफ	नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी (मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना)
37.	एनएफएल	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड)
38.	एनबीएस	न्यूट्रीयंट बेस्ड सब्सिडी (पोषक तत्व आधारित राजसहायता)
39.	एनपीके	नाइट्रोजन-फॉस्फोरस-पोटाशियम
40.	एनपीएस	न्यू प्राइसिंग स्कीम (नई मूल्यांकन योजना)
41.	पीएसी	पब्लिक एकाउंट्स कमेटी (लोक लेखा समिति)
42.	पीएमटी	पर मीट्रिक टन (प्रति मीट्रिक टन)
43.	आरबीआई	रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (भारतीय रिज़र्व बैंक)
44.	आरसीएफ	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड)
45.	एसएसपी	सिंगल सुपर फॉस्फेट
46.	टीएसपी	ट्रिपल सुपर फॉस्फेट
47.	यूएफएस	यूनिफार्म फ्रेट सब्सिडी (एकसमान मालभाड़ा राजसहायता)